

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XVII, Eighth Session, 2016/1938 (Saka)
No. 11, Monday, May 09, 2016/Vaisakha 19, 1938 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 201 to 207	11-74
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 208 to 220(including 214A)	75-122
Unstarred Question Nos. 2301 to 2530	123-527

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 529-536

COMMITTEE ON PETITIONS

Action Taken Report 537

**STANDING COMMITTEE ON SCIENCE
AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT
AND FORESTS**

278th to 284th Reports 537-538

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 264th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Shri Kalraj Mishra 538

ELECTION TO COMMITTEE

General Council of Indian School of Mines, Dhanbad 539

MATTER UNDER RULE 377 570-594

- (i) Need to take necessary steps for construction of permanent school building for existing Kendriya Vidyalaya at Kheri parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Shri Ajay Misra Teni 571

- (ii) Need to establish a Sainik school and a Military school in Ambala parliamentary constituency, Haryana

Shri Rattan Lal Kataria 572

- (iii) Need to set up a National Disaster medical Response Force for providing medical help during natural disasters
Dr. Manoj Rajoria 573
- (iv) Need to provide additional funds for revival of Hindustan Copper Limited, Khetri, Rajasthan
Shrimati Santosh Ahlawat 574
- (v) Regarding timely release of Central Funds under Post-Matric Scholarship Scheme
Shri Dushyant Singh 575
- (vi) Need to probe alleged misappropriation of funds allocated under Centrally sponsored schemes and drinking water schemes in Banda parliamentary constituency, Uttar Pradesh
Shri Bharion Prasad Mishra 576
- (vii) Need to improve telecommunication facilities in Barmer parliamentary constituency, Rajasthan
Col. Sonaram Choudhary 577
- (viii) Need to grant Group 'B' status to railway engineers
Shri Shyama Charan Gupta 578
- (ix) Need to mint adequate number of coins as also printing of small denomination of currency notes
Shrimati Darshana Vikram Jardosh 579
- (x) Need to set up a Passport Office at Bharatpur, Rajasthan
Shri Bahadur Singh Koli 580
- (xi) Need to ensure adequate supply of water from Par-Tapi-Narmada Link project to North Maharashtra
Shri Harishchandra Chavan 581

- (xii) Need to start construction of railway line from Lalitpur to Ramtek as a part of North-South Corridor of Diamond Quadrilateral Railway Project
- Shri Prahlad Singh Patel 582
- (xiii) Need to make 'Agriculture education' a compulsory subject in school syllabus
- Shri Rajeev Satav 583
- (xiv) Need to introduce Air-India flights from Vancouver and Toronto in Canada to Amritsar and Chandigarh in Punjab
- Shri Ravneet Singh 584
- (xv) Regarding increasing atrocities against women of dalit and backward communities
- Prof. Saugata Roy 585
- (xvi) Need to set up a Kendriya Vidyalaya at Chandrakona in Arambag Parliamentary Constituency of West Bengal
- Shrimati Aparupa Poddar 586
- (xvii) Need to stop the process of privatization of IDBI Bank
- Shri Balabhadra Majhi 587
- (xviii) Need to take measures to address the problem of land subsidence in East Godavari district of Andhra Pradesh
- Dr. Ravindra Babu 588

(xix)	Need to treat heat wave condition as a natural Calamity	
	Dr. Boora Narsaiah Goud	589
(xx)	Regarding problems faced by the employees of Hindustan Antibiotics Ltd., Pune	
	Shri Sankar Prasad Datta	590
(xxi)	Need to reorient the activities of post offices	
	Shri Dhananjay Mahadik	591-592
(xxii)	Need to construct toilets along National Highways in the country	
	Shri Ram Kumar Sharma	593
(xxiii)	Need to establish a new ONGC Basin in Karimganj district of Assam	
	Shri Radheshyam Biswas	594
	ANTI-HIJACKING BILL, 2016	596-650
	<i>(As passed by Rajya Sabha)</i>	
	Motion to consider	596
	Shri Ashok Gajapathi Raju	596-597 641-644
	Shri Adhir Ranjan Chowdhury	598-605
	Shri Rajesh Pandey	606-609
	Prof. Saugata Roy	610-614
	Shri Tathagata Satpathy	616-619
	Shri M. Murli Mohan	620-621
	Dr. Boora Narsaiah Goud	622-623
	Shri Sankar Prasad Datta	624-626
	Shri Y.V. Subba Reddy	627-629
	Shri Gopal Shetty	630-631

Dr. Arun Kumar	632
Shri Dushyant Chautala	633-634
Shri Rajesh Ranjan	635-636
Shri Kaushalendra Kumar	637-638
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	639
Shri George Baker	640
Clauses 2 to 21 and 1	649-650
Motion to Pass	650
UTTARAKHAND BUDGET, 2016-17	651
MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 205	652-657
UTTARAKHAND BUDGET (2016-17) – GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (UTTARAKHAND), 2016-17	658-739
Shri Arun Jaitley	660-664
Shri Gourav Gogoi	670-679
Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	680-692
Prof. Saugata Roy	693-698
Shri Tathagata Satpathy	699-703
Shri Jitender Choudhary	704-705
Shri Mekapati Raja Mohan Reddy	706-707
Shri A.P. Jithender Reddy	708
Shri Prem Singh Chandumajra	709-710
Shri Ajay Tamta	711-714
Dr. Arun Kumar	716-717
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	718
Shri Dushyant Chautala	719-720

Shrimati Mala Rajyalakshmi Shah	721-722
Shri Rajesh Ranjan	723-725
Kumari Sushmita Dev	726-728
Shri Arun Jaitley	729-737
Demands – Voted	739
UTTARAKHAND APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2016- Introduced	740
UTTARAKHAND APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2016 AND STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF UTTARAKHAND APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ORDINANCE, 2016	741-755
Shri Kalikesh N. Singh Deo	741-746
Shri Arun Jaitley	747-751
Resolution - Negatived	754
Motion to Consider	755
Clauses 2 to 4 and 1	755
Motion to Pass	755
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
31 st Report	756

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	757
Member-wise Index to Unstarred Questions	758-763

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	764
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	765

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, May 09, 2016/Vaisakha 19, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 201, Shri Bidyut Baran Mahato.

(Q. 201)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: अध्यक्ष महोदया, एक महत्वपूर्ण इश्यू है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kharge ji, I have not received any notice. This will not do. Please sit down.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing will go in record except what Shri Bidyut Baran Mahato speaks.

... (Interruptions)

श्री विद्युत वरन महतो: अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्र के विकास में 'श्रमेव जयते' का उतना ही अहमियत है जितना 'सत्यमेव जयते' का है।... (व्यवधान) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 27,000 करोड़ रुपये की विशाल राशि बगैर दावे के पड़ी है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वह गैर दावाकृत भविष्य निधियों पर दावा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं? इस तरह की रकम फंस जाने और वास्तविक लाभार्थियों तक उसके न पहुंच पाने की समस्या से निजात पाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?... (व्यवधान)

SHRI BANDARU DATTATREYA: Madam Speaker, I have already given it in detail in the reply. We have simplified the claim settlement process. Earlier the claim settlement process was in four stages. We have reduced it down to only two stages. ... (Interruptions)

Second, the dealing hand for claims up to Rs.25,000 will either be the Section Officer or the Supervisor. Then, the dealing hand for claims above Rs.25,000 will be the Accountant. We have also brought down the time taken for settlement of claims from 30 days to 20 days.

Third, whatever the case maybe, 83 per cent cases are settled in only three days and in 10 days, 98 per cent claims are settled. All the payments are made by

NEFT, that is, National Electronic Fund Transfer system. We have settled down up to 99 per cent cases.

For online transfer of claims, we have also adopted a very innovative method. We have started an Online Transfer Claim Portal (OTCP). Till now 8,43,000 claims have been settled through this service.

I wish to bring it to the notice of the hon. Members that if Aadhaar numbers of employees are seeded in their Universal Account Number (UAN), 99 per cent of the claims will be settled and the major problem in respect of claims will be solved.

श्री विद्युत वरन महतो: अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत देश में विशेषकर झारखंड में अब तक कितने श्रमिकों को पीएफ एकाउंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 27 हजार करोड़ रुपये विशाल राशि है। यह राशि पड़ी हुई है। यह रकम भारत के गरीब श्रमिकों के पसीने की कमाई है। जमशेदपुर औद्योगिक नगरी है। वहां हजारों उद्योग हैं। ईएसआई अस्पताल में मजदूरों के लगभग 2 लाख 70 हजार रजिस्ट्रेशन हैं। वहां मात्र 50 बेड का अस्पताल है। वर्ष 2014 में तत्कालीन मंत्री जी ने सौ बेड के एक अस्पताल का शिलान्यास किया था। वैसे भी नियमानुसार जहां 2 लाख 70 हजार मजदूर हों, वहां कम से कम डेढ़ सौ बेड का अस्पताल होना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 27 हजार करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम है। देश के विभिन्न मजदूरों के लिए बने हुए ईएसआई अस्पताल में क्या इस रकम का यूज कर सकते हैं?

SHRI BANDARU DATTATREYA: The hon. Member has raised two issues. One is related to ESIC, which is not related to this Question. Even then, regarding the Jamshedpur issue, I will sit with him and see if we can provide any facilities which would lead to betterment of services.

Regarding the PPF amount for workers, as far as my knowledge goes, our EPFO has taken new and modern initiatives and the same are put in place. As the hon. Member mentioned, our Prime Minister has started the *Shramev Jayate* programme along with the *Shram Suvidha* Portal, under which Universal Account Number (UAN) is given to the workers. In Jharkhand, we have 2.92 lakh UAN;

and the number of activation took place so far is 1.78 lakh. With this, we have disposed of all the amounts to the concerned workers.

कुँवर हरिवंश सिंह: अध्यक्ष महोदया, जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई है, कामगारों के संरक्षण के लिए काफी गंभीर है। इस दिशा में सरकार ने काफी कार्य किए हैं। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के दावों को त्वरित निपटाने हेतु यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर खोलने का निर्णय लिया है। यह देखा गया है कि नियोक्ता कर्मचारियों के यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर खोलने के प्रति उदासीन रहते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि अब तक कितने कर्मचारियों के यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर खोले गए हैं? क्या सरकार ने देश में स्थित सभी कर्मचारियों के यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर खोलने का कोई लक्ष्य रखा है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? जो इम्प्लॉयर पैसे काट लेते हैं लेकिन भरते नहीं हैं, उनके लिए दंड का क्या प्रोविजन है?

HON. SPEAKER: The issue is not related to this Question. But if the hon. Minister wants to respond to the same, he can do so.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Hon. Member has posed a very good question. There is a lot of confusion about inoperative amount. Some people think that it is an unclaimed amount. It is not an unclaimed amount. It is called inoperative amount. In total we have Rs.43,000 crore of inoperative amount. I am happy to inform this august House that we have launched 'One Member, One EPF Account' last week to reduce inoperative accounts.

We have launched the other initiative which has helped workers to provide information and seek help about the accounts. I am also happy to inform that in March, 2016, in the 212th Central Board of Trustees meeting, we have decided to credit interest rates to all our EPF members who have inoperative accounts. From 2011 to 2014, the UPA Government could not give interest and reimburse the workers.

The other important initiative which we have taken is the Universal Account Number. Totally, we have given 6.78 crore UAN to workers. We have activated 2.58 crores of them. The other thing is about the penal provision and attachment of bank account. If any defaulter is there, it will proceed and

prosecution will also be there. For any violation of provisions of the Act, definitely the prosecution will take place.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले सरकार को बधाई दूंगा, यूनिवर्सल एकाऊंट नंबर से पहले जो लूट होती थी वह रुक गई है। ठेकेदार के पास नम्बर होता था और मजदूर को पैसा नहीं मिलता था उसका भी रास्ता निकल गया। समस्या तब आती है जब असंगठित क्षेत्र का मजदूर भिन्न भिन्न जगह पर काम करता है और ऑफिसियल तरीके से नहीं जाता है तो उसका भी क्लेम बनता है लेकिन जब नए नम्बर की बात आती है जब असंगठित का मजदूर किसी क्षेत्र में काम करने जाता है, पेंशन 99% लोगों को पहुंच रही है। यदि गांव से चलने वाला मजदूर किसी के झांसे में आकर काम करने लगता है तो क्या उसके बारे में कुछ व्यवस्था है। अगर वह अपना नम्बर चाहता है तो उसके लिए कोई हेल्प लाइन और निगरानी तंत्र सरकार के पास है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, अभी तक जो मैंने बताया वह आर्गनाइज्ड सेक्टर के बारे में है लेकिन जो अनअर्गनाइज्ड सेक्टर है वह देश में करीब 93 per cent workers are in unorganised sector and the Government has given the priority in the first phase to the construction workers. Now, we have made all the construction workers into an organised force and they will all be given the UAN and the social security benefits of EPFO and ESIC.

Another important thing is that recently, we have taken a decision and started a pilot project for auto-rickshaws and rickshaw-pullers. In Delhi, we are going to start this pilot project. In Hyderabad also, we are starting this pilot project.

In the unorganised sector, the third category is of scheme-workers – anganwadi workers, mid-day meal scheme workers and ASHA workers. We are going to take that category of people also.

Regarding his question, already I have informed you that UAN Help Desk is there and through that, 122 officers, all of our field officers, are connected. We have also put in place the grievance redressal system.

(Q. 202)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, आज आपका दिन है।

श्री विष्णु पद राय: अध्यक्ष महोदया, आज अंडमान निकोबार दिवस है। यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकार देखा, उसके बाद नई शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी को देखा, इस सरकार ने ऐसी भारत की बेटी चुन कर दी है। मैं सिर्फ बहाना बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि उदाहरण दे रहा हूँ। वर्ष 2008-2009 में कांग्रेस सरकार ने पॉलिटिकल सैंक्शन किया था, मैं बहुत बार चिल्लाया, गिड़गिड़ाया लेकिन कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी जी मंत्री बनी, अब अंडमान निकोबार के लिए दो पॉलिटिकल की चर्चा हो रही है और इसका अनुमोदन करने जा रही हैं। भारत सरकार की चिंता है कि जिस जिले में नवोदय नहीं है वहां नवोदय विद्यालय खोलना, कांग्रेस पार्टी 60 साल तक सरकार में थी, अब लैंड आइडेन्टिफाई हो गया है, लिटिल अंडमान के रविन्द्र नगर में नवोदय विद्यालय खुलेगा, यूपीए-1 और यूपीए-2 सरकार का समय बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं किया। स्मृति ईरानी जी मंत्री बनीं और हमने आग्रह किया और आज 26 राज्यों से 163 प्रोपोजल आया, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को विलिंगनेस देना है, लैंड देना है, बिल्डिंग बनाकर देना है, टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन भी देना है। मैं नवोदय स्कूल खोलने के लिए मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप हमारा प्रोपोजल कब सैंक्शन करेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मैं आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि हाल ही में वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह प्रस्तावित किया कि हमारे देश में 62 ऐसे जिले हैं, जहां नवोदय विद्यालय आज तक स्थापित नहीं हो पाए हैं, इसलिए उनके आर्थिक प्रस्ताव और समर्थन के बाद, अब मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस साल हम 62 डिस्ट्रिक्ट्स में नवोदय विद्यालय खोलने की क्षमता रखते हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार भी सम्मिलित है।

माननीय अध्यक्ष : श्री विष्णु पद राय जी, अब तो आपकी कोई सप्लीमेंट्री नहीं है?

श्री विष्णु पद राय: अध्यक्ष महोदया, अब मैं कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछना चाहता हूँ, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की जनता की ओर से मैं शिक्षा मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: आज बहुत बड़ी बात यह है कि श्री विष्णु पद राय जी की तरफ से कोई सप्लीमेंट्री नहीं पूछी गई है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, नवोदय विद्यालयों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए छात्रों को शिक्षा के अच्छे अवसर प्राप्त हुए हैं। गरीब परिवारों के वे बच्चे जो शहरों में जाकर महंगे स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं।...

माननीय अध्यक्ष: माननीय सांसद, कृपया प्रश्न पूछिए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

उन बच्चों को नवोदय विद्यालयों के माध्यम से आगे बढ़ने का काफी स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय अभी तक केवल जिला केन्द्रों पर ही बनाए गए हैं, तो क्या ब्लॉक स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना कर के और अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इस योजना से जोड़े जाने की कोई योजना बनाई गई है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदया, जो हमारी पॉलिसी है उसके अनुसार each district one नवोदय विद्यालय खोलने की पॉलिसी है। फिलहाल इसके अतिरिक्त और किसी स्थान पर कोई विद्यालय खोलने की पॉलिसी नहीं है। ... (व्यवधान)...

महोदया, अब आप कहें तो मैं उनका जवाब भी दे दूँ।

माननीय अध्यक्ष : नहीं। अब आप बैठिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमें एम.पी. होने के नाते, एक केन्द्रीय विद्यालय में 10 विद्यार्थियों के एडमिशन करने की रिक्मेंडेशन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मांग आ रही है, उसे देखते हुए हमें लगता है कि इस 10 की संख्या को और बढ़ाना चाहिए, तो क्या मंत्री महोदया इस संख्या को बढ़ाने पर विचार करेंगी?

महोदया, इसके साथ ही साथ, मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालयों में एम.पी. की रिक्मेंडेशन नहीं चलती है। इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि जैसे केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए एम.पी. की रिक्मेंडेशन चलती है, क्या उसी प्रकार की व्यवस्था नवोदय विद्यालयों में भी करने पर विचार करेंगी?

श्रीमती स्मृति जूविन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी को बताना चाहती हूँ- अधीरदा नवोदय विद्यालय में शभा एंट्रेस एग्जाम दिए भोट्टो हयो कौने रेक्मेंडेशन चोलवे न- इसका मतलब यह है कि नवोदय विद्यालयों में सारे बच्चे, जो एडमिशन चाहते हैं, उन्हें एंट्रेस एग्जाम देना पड़ता है और मेरिट के आधार पर उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का चयन किया जाता है, जो सबसे गरीब तबके से हैं और विशेषतः आदिवासी बहुल क्षेत्रों और जो हमारी डाउन-ट्रोडन कम्युनिटीज हैं,

उनसे इंगेज करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। इसमें एग्जाम देना पड़ता है और मेरिट के आधार पर उनका नवोदय विद्यालयों में चयन किया जाता है।

महोदया, जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों की माननीय सदस्य ने चर्चा की, मैं इस बारे में बताना चाहती हूं कि उस इलाके में जो केन्द्र सरकार के अफसर तैनात होते हैं, उनके बच्चों को, प्रदेश की सरकार में जो ऑफिसर्स काम करते हैं, उनके बच्चों को, आर्मी और जो हमारे परसोनैल वहां पोस्टेड होते हैं, उनके बच्चों को, क्रमशः प्रायर्टीवाइज केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।

महोदया, आदरणीय सांसदों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की रिक्मेडेशन करने हेतु पहले छः कूपन मिलते थे, ताकि वे छः बच्चों का नाम एडमिशन हेतु प्रस्तावित करें। इस सरकार ने पहली बार उसे बढ़ाकर 10 किया है। यह पहला वर्ष है, जब सभी सांसद 10-10 छात्रों को प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव भेज रहे हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि कई बार सांसद कुछ ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश की सिफारिश करते हैं, जो उनके लोक सभा क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन वे किसी पीड़ित परिवार से हैं अथवा बहुत ही गरीब अवस्था में जी रहे हैं। ऐसे छात्रों के प्रवेश के प्रस्तावों को भी मैं स्वयं, as केन्द्रीय विद्यालय चेयरपरसन स्वीकार करती हूं और उन प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करती हूं और बोर्ड उन प्रस्तावों को स्वीकार करता है।

महोदया, इससे ज्यादा, इस समय कैपेसिटी बढ़ाना, मुझे लगता है कि अनुचित होगा, क्योंकि जो बच्चे वर्तमान में केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों में यदि और बच्चों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो इसका मतलब वर्तमान में पढ़ रहे बच्चों को अथवा अफसरों और डिफेंस परसोनैल के बच्चों को इस सुविधा से वंचित करना होगा। इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट को पहले पूरा करें, यह सरकार का प्रयास रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि समन्वय के माध्यम से हर विद्यार्थी के साथ न्याय किया जाए।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : Madam, I thank the hon. Minister for her comprehensive reply on the question. Even otherwise, she has been responsive to the problems of Kendriya Vidyalayas. My question is regarding Navodaya Vidyalayas.

In today's environment where both the Central and State Governments are promoting many model schools to address the problems of primary and secondary education in their States, Navodaya Vidyalayas have been a model for many decades, particularly in the residential model where teachers stay there.

I would like to bring to the Minister's attention many problems being faced in Navodaya Vidyalayas on two counts. One is the infrastructure is getting old; they need renovation. Teachers do not get the same facilities which the new model schools and charter schools are supposed to get. In fact, I myself have forwarded to the Ministry the complaints of certain Navodaya teachers regarding their facilities and pension.

I would urge the hon. Minister to take corrective steps to bring the Navodaya facilities for teachers and the infrastructure on the same basis as what the new proposals are coming up because they have served this country very well for the last many decades.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam Speaker, I would like to thank the hon. Member for highlighting various challenges that have gripped Navodaya Vidyalayas or for that matter even Kendriya Vidyalayas in terms of infrastructure which is old and needs added impetus and help from the Government of India. Let me also highlight to the hon. Member that both in Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya, through the main regional offices, we have also directed them to map the infrastructural needs of schools across the country so that adequate benefit and monetary support can be given for them, so that they can enhance their infrastructural capabilities.

There are many hon. Members of Parliament who time and again approach us for increasing capacity in terms of classes or sections in Kendriya Vidyalayas, which is also something that given adequate finances, we try and support.

Insofar as the facilities to be given to the Navodaya Vidyalaya teachers are concerned, this is an issue that has been raised not only by the hon. Member of Parliament but many parliamentarians with regard to the pensions that they get. I have, in my responses to them, highlighted that they were given an option to pick before a new pension initiative was undertaken within the Navodaya fraternity, and those who made an option or took a choice, today possibly in hindsight wanted to retract and go back and have the Government revisit it, which is

currently not a possibility financially. I have adequately responded to not only every other Member of Parliament, but also the hon. Member of Parliament who has highlighted this particular introspection in his communication to me.

श्री ददन मिश्रा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूर्व में स्थापित पुराने नवोदय विद्यालयों में क्या मानक के अनुरूप भवन निर्माण होकर कक्षाओं का संचालन हो रहा है? मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपदों के नवोदय विद्यालयों में मानक के अनुरूप भवन न होने की वजह से सिर्फ आधी सीटों पर ही एडमिशन हो रहा है। हमारे यहां श्रावस्ती में 80 सीटों के अगेन्स्ट सिर्फ 40 सीटों पर एडमिशन हो रहा है। ... (व्यवधान) इसके अलावा इंटरमीडिएट की क्लासों भी नहीं चल पा रहीं और हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चों को माइग्रेट करना पड़ता है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, इसी तरह से बलरामपुर में इंटरमीडिएट की क्लासों तो चल रही हैं, लेकिन वहां भी मात्र 40 सीटों पर ही एडमिशन हो रहा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि नवोदय विद्यालय गरीबों के लिए है। अगर मानक के अनुरूप भवन का निर्माण पूर्ण हो जाये, तो 40 और गरीब बच्चों का भला हो सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के श्रावस्ती और बलरामपुर के नवोदय विद्यालयों का मानक के अनुरूप भवन निर्माण होकर कक्षाओं का संचालन कब तक होगा?

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी : अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पूर्व के प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत कराया कि हम नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आर्थिक सहायता केन्द्र की ओर से विधिवत् पहुंचा रहे हैं और पूरा मैपिंग होने के बाद कि क्या-क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर की दरकार है, उसके आधार पर अब तक भारत सरकार 50 करोड़ रुपया मुहैया करवा चुकी है। किन्तु मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह कन्टीन्यूअस प्रोसैस है, इसलिए जिन-जिन क्षेत्रों में हमारे पास वर्तमान में टेम्परेरी फ़ैसिलिटीज हैं, वहां पर प्रदेश सरकार से जो टेम्परेरी फ़ैसिलिटी उपलब्ध होती है, उसी के आधार पर कक्षाएं चलायी जाती हैं।

फ़ैसिलिटी के अभाव में अगर ज्यादा कक्षाएं चलाने का प्रयास करेंगे तो छात्रों को ही असुविधा होगी। इसलिए उन सब स्कूलों में एक संतुलित व्यवहार हो रहा है, जहां इस वक्त टेम्परेरी फ़ैसिलिटी उपलब्ध है। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आदरणीय सांसद महोदय ने अपने क्षेत्र की जिन चिंताओं से अवगत कराया है, उनके क्षेत्र में वर्तमान कंस्ट्रक्शन अंडर वे है।

HON. SPEAKER: Q 203.

Shri Hemant Tukaram Godse : Not present.

(Q. 203)

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। वर्ष 2009 में इंडियन आर्मी और इग्नू के बीच एक एमओयू हुआ था जिसके अंतर्गत ज्ञानदीप स्कीम के नाम से साइन हुए थे लेकिन वर्ष 2012 में इसे रोक दिया गया। इसके कारण कई सैनिकों की डिग्री रोक दी गई जबकि उन्होंने कोर्स पूरा कर लिया था। सैनिक इतने दिनों से सफर कर रहे हैं, इनके लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

मैं बस्ती जिले से हूँ, मैंने मांग की थी क्योंकि यहां एडमिशन की बहुत समस्या थी और माननीय मंत्री जी ने इसे पूरा किया है। हमारे यहां सेंट्रल स्कूल को दो पार्ट में चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि इग्नू और इंडियन आर्मी के बीच 4 सितंबर, 2009 को एक एमओयू साइन किया गया था जिसके आधार पर इन सर्विस ट्रेनिंग इंडियन आर्मी फोर्सिस के सैनिकों को उपलब्ध कराई जा रही थी, उसे पैरामीटर ले डाउन करने का अधिकार और समन्वय इग्नू ने किया था। यह भी सत्य है कि वर्ष 31 मई, 2011 को इस कार्यक्रम को रोकने का अचानक ही निर्णय लिया गया। जिसकी वजह से सेना के कई जवानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि एयर चीफ मार्शल और आर्मी चीफ दलबीर सिंह जी ने मुझे इस समस्या से अवगत कराया और बताया कि लगभग चार लाख इंडियन आर्मी जवानों को इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, कोर्स पूरा करने के बावजूद भी उनको डिग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। हमने इग्नू से बातचीत कर हस्तक्षेप किया। ज्ञानदीप कार्यक्रम जो आर्मी के लिए चलता था, उसके अंतर्गत लगभग छः महीने के अंदर 3 लाख 75,000 आर्मी के जवानों को डिग्री दिलवाई। इसी तरह एयर फोर्स के लिए आकाशदीप कार्यक्रम चलता था। हमारे पास 49,000 एयरफोर्स आफिशयल्स की कम्प्लेंट आई थी। भारत सरकार ने इन सब 49,000 एयरफोर्स आफिशयल्स को सर्टिफिकेट दिलाने का काम किया।

DR. RATNA DE (NAG): Madam, I thank you for giving me the opportunity. We often come across news items about the open and distance institutions, be it offer of programmes or running programmes. I would like to know from the hon.

Minister whether any review has been undertaken about the utility and benefits accrued due to open and distance learning institutions, if yes, the details thereof.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Madam, review of any programme is a continuous process because we are taking cognizance of the fact that the IGNOU Act had given the powers to IGNOU to not only provide distance education but also act as a regulator. But in 2014, before this Government came into power, the previous Government had taken a decision of de-linking the regulatory authority of IGNOU and passing it on to the UGC instead. Currently, open distance learning is regulated by the UGC and 20 per cent of all our students in the higher education segment procure or obtain their education through open distance learning. There have been challenges in the sector wherein State Universities that give the authority to institutions to function with regard to open distance learning found that many institutions were crossing the geographical boundaries of the State thereby bringing students who are outside the geographical boundaries of the State into positions of challenges.

States in conjunction with the regulator have taken appropriate action so that students are in no way inconvenienced. Madam, we are also taking cognizance of the fact that regulations with regard to ODL, which is the acronym for Open Distance Learning, also need some introspection, and currently in conjunction with the UGC we are introspecting on the same.

श्री राजेश रंजन: अध्यक्ष महोदया, विश्व में भारत की शिक्षा की स्थिति बहुत ही निचले पायदान पर है। शिक्षा माफिया द्वारा विश्व में भारत को प्राइवेट एजुकेशन का केंद्र बिंदु बना दिया गया है। लगातार एजुकेशन संस्थाओं में आत्महत्या, कोटा में आत्महत्या।

माननीय अध्यक्ष : आप डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में प्रश्न पूछिए।

श्री राजेश रंजन : महोदया, एक तरफ शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने की बात कही जाती है, नए विश्वविद्यालय खोलने की बात है। मैं पटना विश्वविद्यालय के बारे में जानना चाहता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय में केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ-साथ कॉमन और कम्पलसरी एजुकेशन के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी जो भावना है कि वंचित और कमजोर तबकों को अधिक-से-अधिक शिक्षा मिले, वह पूरी हो सके?

श्रीमती स्मृति ज़बिन इरानी : अध्यक्ष जी, चूंकि यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी संक्षेप में उसका उत्तर देना चाहूंगी। यह कहना कि भारत में शिक्षा विश्व में सबसे निचले पायदान पर है, यह उचित नहीं होगा। हमारे यहां कई विद्यार्थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तीर्ण हो रहे हैं। कई एकेडमिशांस हैं, शिक्षक हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ और उनके काम के साथ न्याय करना और सम्मान देना उचित होगा।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि हमने विश्वविद्यालय की दृष्टि से विक्रमशिला की चर्चा की है, हमने विश्वविद्यालय की दृष्टि से गया में सेंट्रल यूनीवर्सिटी की चर्चा की है, हमारी ओर से बिहार में आईआईएम की स्थापना की पहल हुई है। मैं पूरे सदन को यह भी बताना चाहती हूं कि हम यह भी जानते हैं कि आज उच्च शिक्षा के संदर्भ में हमारे करिकुलम को अपग्रेड करने की दरकार है। हाल ही में हमने मैसिट्यूसिट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी से चर्चा की है जो हमारी सारी एनआईटीज़ के करिकुलम डेवलपमेंट में और उसे बेहतर करने में अपना योगदान देगी। भारत सरकार स्टैफर्ड के साथ भी चर्चा कर रही है ताकि एआईसीटी के माध्यम से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में हमारे आउटकम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से आंका जाए और बेहतर किया जाए, उस पर चर्चा हो रही है। जिसके माध्यम से 31 लाख इंजीनियरिंग छात्रों को बेनिफिट होगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं, क्योंकि यह प्रश्न डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित है, हम ओडीएल को टेक्नोलोजी से लेवरेज करते हुए "स्वयं" नाम का कार्यक्रम इसी एकेडेमिक वर्ष में शुरू करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आनलाइन और मोबाइल एप के माध्यम से सेंट्रल यूनीवर्सिटीज़, आईआईटीज़, आईआईएमज़, एनआईटीज़ और कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थान जो राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके माध्यम से डिप्लोमा सर्टीफिकेट और कुछ हद तक एक सिमेस्टर लगभग 500 कोर्सिस दस भारतीय भाषाओं में इस वर्ष शुरू करने की क्षमता रखते हैं और यह सारा ज्ञान इस पोर्टल पर और मोबाइल एप पर ये सारी संस्थाएं मुफ्त में हमारे छात्रों को उपलब्ध कराएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से जिस प्रकार की क्रांति की माननीय सदस्य अपेक्षा कर रहे हैं, उस बारे में हम सफल होंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 204।

1. श्री एम.के. राघवन - उपस्थित नहीं।
2. श्री पिनाकी मिश्रा - उपस्थित नहीं।
3. डॉ. किरीट सोमैया।

(Q. 204)

डॉ. किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदया, पाइप लाइन गैस के कुल मिलाकर 31 लाख कनेक्शंस लगे हैं, उनमें से आधे गुजरात शहर में लगे हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुंबई शहर का टोटल टार्गेट 15 लाख पाइप लाइन गैस कनेक्शंस का है लेकिन अभी तक सिर्फ 8.62 लाख कनेक्शंस लगे हैं। मंत्री जी ने दो बार मीटिंग्स की थी। वास्तव में पाइप लाइन गैस के कारण सब्सिडी एबोलिश हो जाती है क्योंकि पाइप लाइन गैस में सब्सिडी नहीं है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कनेक्शंस की गति बढ़ाकर मुंबई का 15 लाख का टार्गेट आने वाले 2-4 साल में पूरा किया जाएगा? मंत्री जी ने हमें इसे मोनिटर करने के लिए गंभीरता से लेने की बात कही थी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैसे दूसरे विभागों में सांसद के नेतृत्व में एक मोनिटरिंग कमेटी होती है, क्या इस प्रकार की कमेटी बनाई जा सकती है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The hon. Member is quite right in saying that for Mumbai 8,62,299 connections of PNG for domestic use have been given. He also observed that for Gujarat it is of a higher order. It is also because of the efforts of the State Governments which lay the pipeline through private partnership or otherwise that the connectivity gets increased and greater provision through the city distribution network can happen. Hon. Member has given the suggestion for monitoring it better. I am sure the Ministry has some mechanism through which the monitoring happens in conjunction and cooperation with the State Governments.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY: Under the present system for development of city gas distribution network, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board under the 2006 Act grants authorization to entities for developing the network in specified geographical areas of the country. Therefore, if a State has more geographical areas, the network will be better. Telangana currently has one as opposed to five in Andhra Pradesh and 22 in Gujarat. The one in Telangana is in Hyderabad. My question to the Minister is what is the basis of deciding the number and the location of GS in a particular State and does the

Ministry have any plan to increase the number of GS in the newly formed State of Telangana to cover cities like Khammam, Vikarabad and Warangal?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: The procedure through which city distribution network selects or chooses or finalizes on pipeline network depends first of all on the gas connectivity and the pipeline connectivity. As and when there are geographical areas identified which is a revenue district and the State Government and the private parties do express an intent based on the connectivity, those decisions are taken.

(Q. 205)

श्री भरत सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

खनिज सम्पदा हमारे देश का बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। इसमें अनेक आधारभूत उद्योगों के लिए कच्ची सामग्रियाँ शामिल हैं। ये खनिज विकास के लिए प्रमुख संसाधन हैं। देश अनेक धात्विक एवं गैर-धात्विक खनिजों के विशाल भण्डार से परिपूर्ण है तथा इनका भारतीय अर्थ-व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने खनिज सूची तैयार की है, क्या उनमें किसी नये खनिज को सम्मिलित किया गया है? सरकार की खनिज भण्डारण में सुधार लाने हेतु निजी क्षेत्र को शामिल करने की कोई योजना है, जिससे देश को खनिज सम्पदा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके?

माननीय अध्यक्ष : अभी एक ही प्रश्न पूछिए, बाद में दूसरा प्रश्न पूछिएगा।

श्री भरत सिंह: ठीक है, महोदया।

श्री विष्णु देव साय : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न किये हैं। मैं आपके माध्यम से उनको और इस सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा देश खनिज सम्पदा से भरपूर है। एक्सप्लोरेशन गवेषण को और बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे खनिज मंत्रालय ने व्यापक प्रयास किये हैं। पहले जीएसआई, एमएससीएल आदि ही गवेषण का कार्य करते थे, लेकिन अब उनमें अन्य संस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें सेल, एनएमडीसी, केआईओसीएल, आईईएएमएलएल, छत्तीसगढ़ सरकार का खनिज विभाग, मध्य प्रदेश सरकार का खनिज विभाग और कोई भी प्राइवेट एजेंसी आवेदन करेगी तो मंत्रालय द्वारा उनको गवेषण की अनुमति दी जाएगी। गवेषण को और व्यापक तथा गति प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने एनएमईटी का भी गठन किया है। उसमें रॉयल्टी के रूप में दो प्रतिशत राशि एनएमईटी में रहेगी, जिससे गवेषण का कार्य अच्छी तरह से होगा। जीएसआई, जो प्रारंभ से ही हमारे देश में गवेषण का कार्य करते आ रही है, उसे और सुदृढ़ किया गया है। देश में खनिज गवेषण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जीएसआई स्वयं को मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के मामले में सुदृढ़ किया है। जीएसआई की पुनर्संरचना अक्टूबर, 2011 में हुई थी और इसमें 1,353 पदों का सृजन किया गया है, 400 से अधिक की संख्या में भू-वैज्ञानिकों की भर्ती वर्ष 2011 से की गयी है। तकनीकी उन्नयन के मामले में एक नया समुद्र विज्ञान अनुसंधान जलयान ओआरवी समुद्र रत्नाकर और

एक हेलीवोन भू-भौतिक सर्वेक्षण प्रणाली एचजीएसएस गरूड वसुधा जीएसआई में लाये गये हैं। टिवनाटर एयरवोन सर्वे सिस्टम का भी अत्याधुनिक एविनिक्स सिस्टम के साथ उन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से उपकरणों जैसे भू-भौतिक सर्वेक्षणों के लिए ग्रीवीमीटर, टोटल फील्ड मैग्नेमीटर और सूक्ष्म मौलिक आंकड़ों के लिए अत्याधुनिक रासायनिक विश्लेषण उपकरणों का प्रबंध किया गया है। इस प्रकार से खनिज मंत्रालय प्रयास की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री भरत सिंह: महोदया, देश में खनिज अन्वेषण को बढ़ाने के कार्यों में तीव्रता लाने की दिशा में सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

खानों में सतत विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री विष्णु देव साय : महोदया, खानों में सतत विकास के लिए खनिज मंत्रालय ने काफी प्रयास किये हैं। इसमें भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खनन उद्योगों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में विकसित की गयी है। इसमें भारत में खनन के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है, जो समावेशी विकास के लिए योगदानकर्ता के रूप में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण पर वर्तमान में और भविष्य में बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले सहायक है। इससे हितधारकों, राज्य सरकारों, विभिन्न समूहों, विशेषज्ञों, उद्योग जगत तथा औद्योगिक संगठनों आदि में विस्तृत चर्चा के उपरांत तैयार किया गया है।

खनिज मंत्रालय ने सतत विकास के लिए एक स्टार रेटिंग देने की भी व्यवस्था की है। इसके तहत एक से पाँच तक स्टार रेटिंग दिया जाता है ताकि खनिज क्षेत्र में अच्छा काम हो सके, वे अपने को और ठीक से बना सकें।

मंत्रालय की ओर से एक डीएमएफ (जिला खनिज निधि) का गठन किया गया है। इसमें रॉयल्टी के अतिरिक्त 30 पर्सेंट और 10 पर्सेंट राशि जमा होगी, जिसके उस जिले के माइंस से प्रभावित लोगों के हित में काम होगा। इस तरह से सतत विकास के लिए खनिज मंत्रालय की ओर से प्रयास जारी हैं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सिलिका सैण्ड और ग्रेनाइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिस पर आधारित कोई उद्योग भी उस क्षेत्र में नहीं है। अभी ग्रेनाइट खनन के लिए वहां खदानें दी गयी थीं, लेकिन उनमें से 90 खदानें ऐसी हैं, जिनको रद्द कर दिया गया, जबकि अभी उनका पूरा समय बाकी है। क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में कोई कदम उठाएंगे, जिससे वे खदाने शुरू हो सकें और सिलिका सैण्ड आधारित उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएंगे?

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न उनके संसदीय क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन सामान्य तौर पर माइनिंग मंत्रालय दो प्रकार से काम करता है। एक, मेजर मिनरल्स हैं जो खनिज एक्ट से सम्पादित होते हैं और बाकी 55 माइनर मिनरल्स हैं, जो राज्य के अंतर्गत होते हैं। निश्चित रूप से यह सच है कि जहां भी यह मिनरल है, अगर उस पर आधारित उद्योग वहां लग जाएं तो खनन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलता है और उस क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह कौन सी माइन्स के प्रकरण बता रहे हैं, उसको मेरे संज्ञान में लाएं।

अगर वे हमारे अधिकार क्षेत्र के होंगे तो हम उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे और अगर राज्य के अधीन होंगे तो हम उसके बारे में राज्य सरकार को लिखेंगे।

HON. SPEAKER: Shri Nalin Kumar Kateel – not present.

Shrimati P.K. Sreemathi Teacher – not present.

Mr. Minister.

(Q. 206)

श्री राजीव सातव: अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में यह सवाल है। जैसा हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के प्राइसेज बहुत हद तक कम हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल का जो दाम है, क्या सरकार उसी स्तर पर भारत में भी पेट्रोल देने की दिशा में सोच रही है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, I think this is a question on which several times hon. Members have raised their concerns and the Minister concerned for whom I am standing in today has also answered. I would try to explain this because the price of international crude is one thing and you get the crude and refine it.

Today, with the Trade Parity Pricing (TPP), that is in practice, the prices of petroleum and also of kerosene are all linked with the international prices. As the hon. Member would know, the oil marketing companies are no longer just dealing with the controlled prices. ATF has been market determined since 2001; petrol has been market determined from 2010; and diesel is market determined from October of 2014.

So as always, the effort of the Government is to link it with the market price but of course there are other things which are added on like excise duties, VAT by the States and other levies of the State Governments and that price is normally passed on.

I think I would just like to quote here using this opportunity that the number of increases which were passed on, unfortunately, to the consumer on petrol 21 times whereas the decreases which have been passed on are 32 times. Similarly, in diesel 28 times increases have been passed on, which is unfortunate but 19 times decreases have also been passed on. The effort of the Government has always been to pass on decreases but there are times when you are expected to

bring in revenues through this because you need to invest in roads laying, infrastructure creation and so on.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने बताया कि जब क्रूड आयल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम होते हैं तो भारत में भी उसका असर पड़ता है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि रिफाइनरी कॉस्ट कितनी है, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है और मार्जिन कितना है। अगर राज्य सरकारों ने वैट बढ़ा दिया तो उसका लाभ भी उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाता है। मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 19 बार दाम कम किए हैं, जो केन्द्र सरकार ने अच्छा किया है। लेकिन क्या हमारी रिफाइनरी कॉस्ट नीचे आ पायी है? अधिकतर सांसदों को यह बात पता नहीं होगी कि रिफाइनरी कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इनको कितना मार्जिन रहता है और मार्केटिंग कॉस्ट क्या लेते हैं? कल अगर क्रूड ऑयल का प्राइज़ बढ़ता है तो क्या इनकी रिफाइनरी कॉस्ट कम लाने पर मंत्रालय ने कोई प्रयास किया है? यह अपनी रिफाइनरी की कॉस्ट लगाते हैं, क्या मार्केटिंग मार्जिन है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है? इनकी मार्केटिंग की कॉस्ट क्या है, कृपया मंत्री जी पूरे सदन को बताएं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, I will just give a broad sketch of what is the oil companies and their state of profit making. The impression is that the public sector oil marketing companies are earning huge profits due to the fall in crude prices is really not right. It is because the profit after tax as a percentage of the total turnover is very low. I can probably even quote one example. In 2013-14 the profit after tax as a percentage of turnover was 1.34 per cent and profit after tax in 2014-15 has been 1.49. So, the oil marketing PSUs have also suffered due to major inventory loss due to fall in crude price. They buy it in one price and then later the prices come down even further. So, during 2014-15 and nine months ended 2015, I would like to draw the attention of the hon. Member that the oil marketing companies had incurred an inventory loss of Rs. 29234 crore and Rs. 11451 crore respectively which have not been compensated to the oil companies. So, they do have their difficulties and then the price is also not related to the cost of production, but to international prices. So, I just want to assure the hon. Member that efforts are being made so that efficient practices are

improved in refineries by modernizing the refineries, by energy conservation and by cost optimization. All these can bring better situation there.

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पेट्रोल के दाम वर्ष 2013 से 32 बार घटे हैं और डीजल के दाम 19 बार घटे हैं। मैं इसके लिए अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1.04.2013 को अगर पेट्रोल की कीमत 68.31 रुपये प्रति लीटर थी और डीजल 48.63 रुपये प्रति लीटर था। लेकिन आज यह घटकर के 62.59 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है और डीजल 50.95 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आज यह मार्केट ड्रीवन है और कम्पनियां दाम तय करती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल के दामों में कमी आती है तो देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के कम्पनियों के क्या पैरामीटर्स हैं? क्या इसका कोई एक निर्धारित मानदंड है, यदि है, तो वह क्या है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Madam Speaker, the prices of what gets into the market here are determined by various factors and as a I said sometime earlier in answering one of the questions, the international price is one thing and the retail selling price is another thing. The price which is getting fixed based on international product price also has components which go into it which I explained whether it is Excise or VAT and the marketing costs and the marketing margins which these companies will have to take into consideration. Obviously the hon. Member has gone into specific details of what price prevailed at one point of time and what actually prevails now. I can take the example of July and August, 2014 and say if petrol was at Rs. 73.60, actually could have reached a certain price but because the additions which are made like Excise Duty and the VAT – I can give you the specific amounts, like Rs. 12 and Rs. 5.81 respectively – costs get added on which are not fluctuating as per the international things. These Excise Duties and VAT and other things are fixed here and they are not volatile to the international pricing situation and so obviously the price is very much dependent on very many factors other than what the international price alone is.

(Q. 207)

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, जो उत्तर मंत्री जी ने दिया है, उससे संतुष्टि होती है और यह देखने में आता है कि यूजीसी का जो कंट्रोल है या यूजीसी जो मानिटर करती है, वह मोस्टली उन युनिवर्सिटीज को करती है, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एक्ट के द्वारा बनाती हैं, जो स्टेट कंट्रोल में होती हैं। परंतु इन दिनों भारी मात्रा में प्राइवेट युनिवर्सिटीज खुल गई हैं और उनकी डिग्री को भी ऐसे ही मान्यता मिलेगी, क्योंकि वे भी स्टेट के किसी न किसी रिजोल्यूशन या एक्ट के मुताबिक आती हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्राइवेट युनिवर्सिटीज के बारे में भी यूजीसी कुछ कदम उठाती हैं, क्या उसने उन पर किसी प्रकार की मानिट्रिंग का सिस्टम डेवलप किया है?

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी : अध्यक्ष महोदया, जो यूजीसी का काम है, वह उच्च शिक्षा के वर्ग में रेगुलेटरी अथारिटी है, उसके अंतर्गत जो डिग्री का नोमनक्लेचर स्थापित होता है, वह यूजीसी निर्धारित करती है। प्राइवेट युनिवर्सिटीज के संदर्भ में जो चिंता माननीय सदस्य व्यक्त कर रहे हैं, उस विषय में मैं मात्र इतना कहना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हमने नो योर कालेज पोर्टल की शुरूआत की, जो एक मोबाइल एप भी है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक युनिवर्सिटी में चाहे वह प्राइवेट हो या सरकारी हो, कौन से कोर्सेज चलाये जा रहे हैं, जो अधिकृत हैं, उन कोर्सेज को पढ़ाने वाले कौन से शिक्षक हैं और उनका क्या एकेडेमिक बैकग्राउंड है। इसके संदर्भ में हम सारी सूचनाएं पब्लिक के मध्य में इस पोर्टल और एप के माध्यम से प्रेषित करते हैं, साथ ही यह भी निवेदन करते हैं कि अगर किसी छात्र अथवा अभिभावक की दृष्टि में कोई कोर्स उसमें लिखा नहीं है अथवा नो योर कालेज पोर्टल और एप में दिखाई नहीं पड़ता है तो उसके बारे में भी वह जानकारी विशेष रूप से रेगुलेटर से प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वह किसी भी अनधिकृत कोर्स में अपने आपको समाविष्ट न करें।

महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि अगर किसी छात्र को निम्नलिखित अधिकृत कोर्सेज में कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वह उस पोर्टल और एप के माध्यम से यूजीसी को अवगत कराता है, ताकि यूजीसी उस छात्र की मदद के लिए एडिक्वेट एक्शन ले सके।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: महोदया, आपने अपने उत्तर के पैरा-1 में पालिसी डाइरेक्शन के बारे में लिखा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों यूजीसी ने एक आदेश निकाला था, जिसके तहत 2009 से पहले की जो पीएचडी डिग्रीज हैं, उन सबको लगभग अमान्य करते हुए यह कहा था कि ये लोग किसी भी अपाइंटमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। फिर बाद में उसने अपने नोटिफिकेशन को वापस ले लिया। उसका प्रैस नोट भी इश्यु हो गया। परंतु सरकार की ओर से उस दिशा में कोई विधिवत

शासकीय विज्ञप्ति जारी नहीं की गई या कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए वे हजारों लोग पीएचडी किए हुए हैं, उनको इंटरव्यूज के अवसर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें इंटरव्यूज के लिए बुलाया नहीं जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी ने अपना डिसिजन दे दिया है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कब तक उसे नोटिफाई करेंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदया, मैं आपके माध्यम से बड़े आदर के साथ आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि जो विषय उन्होंने रखा है, उसके बारे में उनकी पूरी की पूरी जानकारी गलत है। पिछली सरकार में साल 2009 से पहले के जो लोग पीएचडी धारक हैं, उन्हें नौकरी पाने से वंचित किया था। इस सरकार ने उन्हें अधिकार दिलवाया है, यह तथ्य है। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार में जो यह निर्णय लिया गया कि 2009 से पहले जिन लोगों ने पीएचडी की, उन्हें क्यों नौकरियों से वंचित रखा जाए, इसके लिए कोई संताषाजनक उत्तर न मुझे मंत्रालय में प्राप्त हुआ और न यूजीसी से प्राप्त हुआ। इसलिए भारत सरकार की पहल से यूजीसी ने अपनी विशेष कमीशन की मीटिंग बुलवाई। हमने निगवेकर कमेटी का भी एक स्वरूप बनाया, जिसके माध्यम से जिन्हें 2009 से पहले पीएचडी डिग्री प्राप्त है, अगर उन्होंने रेगुलर मोड में अपनी पीएचडी की है तो उन्हें अधिकार दिया गया है कि वे नेट के एग्जाम में न बैठें और वे फिर नौकरी प्राप्त करने के लिए सक्षम हों, यह पहल भारत सरकार ने की है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यूजीसी कमीशन के माध्यम से जब यह रेगुलेशन बनकर भारत सरकार के पास आता है, तो उसे हमने स्वीकार भी किया है। वर्तमान में यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट प्रेस में है ताकि यह छप कर बाहर आए। लेकिन मैं दोबारा सदन में कहना चाहूंगी कि वंचित करने का काम नहीं, अधिकार दिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदया, हमारी शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मैं केवल यह आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने सन् 2002 के पहले का तो किया है, किंतु बिहार में सन् 2015 में लागू हुआ है। बिहार सरकार और वहां की यूनिवर्सिटीज़ ने 2009-15 तक कोई लागू ही नहीं किया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सन् 2009-15 तक जो हजारों विद्यार्थी थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है तथा जिन्होंने पी.जी. और पीएचडी भी की है, क्या केंद्र सरकार ऐसे लोगों पर विचार करेगी कि नेट की परीक्षा देने के लिए उनको अनुमति देना चाहेगी।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी : महोदया, सन् 2010 के बाद से जिन लोगों ने पीएचडी की है, उनको नेट का एग्जाम देना अनिवार्य है। यह सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने और प्रदेश की सरकारों ने भी माना है कि अगर शिक्षकों का स्तर बढ़ाना है तो कहीं न

कहीं यह जरूरी है कि किसी प्रकार एक एंट्रेस लैवल उनकी कॉम्पिटेंसी कैंपेसेटी को टैस्ट करने के लिए आवश्यक है। यह भी कहना उचित है कि जब व्यक्ति पीएचडी करता है तो विशेषतः इस धारणा के साथ नहीं करता है कि वह पढ़ाएगा, तो उसकी पढ़ाने की क्षमता को टैस्ट करने के लिए कहीं न कहीं यह एंट्रेस लैवल टैस्ट और क्वालिटी इनहेंस करने के लिए आवश्यक था। मैं इतना ही कहूंगी कि सन् 2009 से पहले जिन लोगों को वंचित किया, जब यह रैग्युलेशन आया तब उनको इस अधिकार से वंचित क्यों किया गया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न था और न्याय करने का प्रयास हमने किया। किंतु क्वालिटी सफर न हो, इसका भी हमने ध्यान रखा। इसीलिए हमने इस वक्त जो निर्णय किया है, उसमें कहा है कि अगर आपने रैग्युलर मोड में पीएचडी की है, अगर आपकी पीएचडी को किसी दो एक्सटरनल इवैल्युएटर्स ने एवैल्युएट किया है और अगर आपने अपनी पीएचडी के पूरे प्रस्ताव को सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत किया है, तब आपको यह अधिकार है कि आप नैट के एग्जाम में न बैठें। इससे एक तो जो लोग वंचित थे, उनको न्याय मिला। लेकिन साथ ही क्वालिटी के साथ, भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Rajesh Ranjan, Shri Bhagwant Mann, Dr. M. Veerappa Moily, and Prof. Saugata Roy on different issues.

The matters though important do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

12.03 hours**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now Papers to be laid.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Mid-Day Meal Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.743(E) in Gazette of India dated 30th September, 2015 under sub-section (3) of Section 39 of the National Food Security Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 4761/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Madam, I beg to lay on the Table

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

(i) The Employees Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 2015 published in Notification No. G.S.R. 93(E) in Gazette of India dated 20th January, 2016.

(ii) The Employees' Pension (Second Amendment) Scheme, 2016 published in Notification No. G.S.R.440(E) in Gazette of India dated 25th April, 2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4762/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Madam, on behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Oil Industry Development Board, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4763/16/16]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

- (i) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for city or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. M(1)T4S/CGD/1/2010 in Gazette of India dated 11th March, 2016.
- (ii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010 published in Notification No. F. No. VKS/DB/03/PPL in Gazette of India dated 30th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4764/16/16]

(4) Outcome Budget of Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4765/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पत्र पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूईई मिशन) दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (यूईई मिशन) दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4766/16/16]

- (3) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4767/16/16]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : महोदया, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2016 जो 19 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 430 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4768/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं प्रो. रामशंकर कठेरिया जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पत्र पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4769/16/16]

- (3) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4770/16/16]

- (5) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4771/16/16]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4772/16/16]

(9) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ एप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4773/16/16]

(11) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4774/16/16]

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, राँची के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, राँची के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4775/16/16]

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4776/16/16]

(17) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, उदयपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4777/16/16]

(19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4778/16/16]

(21) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4779/16/16]

(23) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3251(अ) जो 2 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा डॉ. बलतेज सिंह मान और डॉ. (श्रीमती) नहीद अबिदी को उनके द्वारा क्रमशः कार्यग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4780/16/16]

(24) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4781/16/16]

(26) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4782/16/16]

(28) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रावंग्ला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रावंग्ला के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4782A/16/16]

(30) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4783/16/16]

(32) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4784/16/16]

12.04 hours**COMMITTEE ON PETITIONS
Action Taken Report**

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Madam, I beg to present the Twelfth Action Taken Report on the recommendations made by the Committee on Petitions (16th Lok Sabha), in their First Report, on a Representation received from Shri Rinku Aggarwal, General Secretary, All Indian Railway Vendors Association, regarding arbitrary closure of stalls/trolleys of 9 Commission Vendors at New Delhi Railway Station.

12.04 ½ hours**STANDING COMMITTEE ON
SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS
278th to 284th Reports**

SHRI KIRTI VARDHAN SINGH (GONDA): Madam, I beg to lay on the table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests:-

- (1) Two Hundred Seventy-eighth Report on Demands for Grants (2016-2017) of the Department of Biotechnology.
- (2) Two Hundred Seventy-ninth Report on Demands for Grants (2016-2017) of the Department of Space.
- (3) Two Hundred Eightieth Report on Demands for Grants (2016-2017) of the Department of Scientific and Industrial Research.
- (4) Two Hundred Eighty-first Report on Demands for Grants (2016-2017) of the Department of Science & Technology.
- (5) Two Hundred Eighty-second Report on Demands for Grants (2016-2017) of the Department of Atomic Energy.

- (6) Two Hundred Eighty-third Report on Demands for Grants (2016-2017) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (7) Two Hundred Eighty-fourth Report on Demands for Grants (2016-2017) of the Ministry of Earth Sciences.
-

12.05 hours

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 264th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16), pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर और लोक सभा बुलेटिन दिनांक 01 सितम्बर, 2004 में निहित लोक सभा कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 264वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

12.06 hours**ELECTION TO COMMITTEE
General Council of Indian School of Mines, Dhanbad**

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to move:

“That in pursuance of rule 4 (ii) to (iv) read with rule 15(3) of the Rules and Regulations of the Indian School of Mines, Dhanbad, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the General Council of the Indian School of Mines, Dhanbad, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of rule 4 (ii) to (iv) read with rule 15(3) of the Rules and Regulations of the Indian School of Mines, Dhanbad, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves, to serve as members of the General Council of the Indian School of Mines, Dhanbad, subject to the other provisions of the said Rules and Regulations.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, 'Zero Hour'; Shri Idris Ali.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री इदरिस अली।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग एक मिनट रुकिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं। इदरिस अली जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं-नहीं बैठिए। अभी कोई बात नहीं होगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है, सब लोग हाथों में कागज ले रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका नाम इसमें हैं, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी बैठिए। Your name is also there.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Only Idris Ali ji's statement will go in record.

... (*Interruptions*)... *

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी जगह पर जाइए।

... (व्यवधान)

SHRI IDRIS ALI (BASIRHAT): Thank you, Madam Speaker. I am deeply grateful to you for giving me an opportunity.... (*Interruptions*) I am also deeply

* Not recorded.

grateful to our hon. didi, Mamata Banerjee; due to her, I have come here. ...
(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

SHRI IDRIS ALI: Madam, Basirhat constituency is covered by the Eastern Railway Zone of Sealdah Division. ... (*Interruptions*) The rail part which starts from Barasat to Hasnabad cross-section has around 19 stations, out of which, only Hasnabad and Basirhat stations have Computerised Railway Reservation counters and other 5 stations having computerised ticket counters, while rests are still using manual ticketing system.... (*Interruptions*)

Madam, I urge upon the Central Government to immediate develop CRS at Harowa and Malatipur stations and develop all the manual ticketing systems to Computer ticketing systems.

Construction of Bhyabla over-bridge is a long awaiting project which still is a long standing most urgent demand of the area for which every day and every intervals, commuters have to wait for long time to cross the level crossing, particularly the patients are the suffered most. ... (*Interruptions*)

Apart from this, I would like to draw the attention of the Ministry to speed up 24 kilometres double line projects between Sondaliya to Champapukur and to replace all passenger racks with 12 coaches and more frequencies of trains.... (*Interruptions*) I also demand a ladies special train from Hasnabad to Sealdah stations in the morning and back in evening. With the growth of population, there has been a cherished demand of a halt-station at Uttar Debipur between Bhyabla halt and Champapukur stations. The deepest regret is that there are no regular RPF security personnel in the first two trains and night shuttles.... (*Interruptions*)

The Government should take special attention immediately. ...
(Interruptions) Before I conclude, I would like to request the Government to urgently take-up the extension project of Hasnabad station to Shamsheernagar. ...
(Interruptions)

I hope that the hon. Railway Minister will ensure the all round development of Railway services, security and construction of flyover at Bhyabla railway crossing in Basirhat Parliamentary Constituency in West Bengal at the earliest....
(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : श्री संतोख सिंह चौधरी।

...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये। अभी मैं अलाउ नहीं कर रही हूँ तो क्यों बोल रहे हैं? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Madam, the Hubli-Dharwad Bus Rapid Transport System was conceived in 2008.... *(Interruptions)* After that, in 2013, the construction of road, which was supposed to be completed by 2015, was not completed. It will further take more than two years to complete the construction of road.... *(Interruptions)* But, in 2013 itself, the then UPA Government had placed the order for the BRTS, that is the diesel buses. The CNG is already available in Hubli-Dharwad. In 2013, an order for the diesel buses had been placed. More than 600 trees have been cut down.... *(Interruptions)* At this stage the environmental issue is very important. ... *(Interruptions)*

I urge upon the Ministry of Urban Development or Urban Transport to have a look at it. I feel that there is also a scam in placing an order for 130 buses....
(Interruptions) That is why, I urge upon the Urban Development Minister to immediately enquire into it and see that the order of diesel buses, which have already been placed, should be changed into CNG buses.... *(Interruptions)* This is my earnest request to the hon. Minister through you Madam. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Pralhad Joshi.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : माननीय अध्यक्ष जी, देश में सभी राज्यों में और सभी महानगरपालिकाओं में केन्द्र सरकार की बहुत बड़ी ज़मीनें पड़ी हैं लेकिन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और महानगरपालिका के बीच में जो पैसे का लेनदेन है, उसके बारे में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा है, इसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। परिणाम यह होता है कि मुम्बई जैसे शहर में जो डेवलपमेंट प्लान में रोड बताए गए हैं, वे रोड भी विकसित नहीं होते हैं, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड और गार्डन भी नहीं मिलता है। ऑफिशियल काम हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस जगह पर अनऑफिशियल झोपड़-पट्टियाँ निर्माण होती हैं। वेंकैया नायडू जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप अगर तुरंत निर्णय लेते हैं तो केन्द्र सरकार को बड़े पैमाने पर पैसा मिलेगा और मुम्बई शहर के लोगों को विकास और डेवलपमेंट प्लान में जो रास्ते बताए गए, वे रास्ते निर्माण होंगे, गार्डन और प्लेग्राउंड निर्माण होंगे और बड़े पैमाने पर आवास का निर्माण भी हो सकता है। इसलिए वेंकैया जी इस बारे में त्वरित मीटिंग बुलाकर इसका निपटारा करें जिससे देश के पास बहुत बड़े पैमाने पर पैसा भी आएगा और लोगों को सब प्रकार की सुविधाएँ भी आने वाले दिनों में मिलेंगी। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि तुरंत 8 से 15 दिन में माननीय वेंकैया जी इसका निपटारा करेंगे, ऐसा सदन के माध्यम से मैं अपनी भावनाएँ यहाँ प्रकट करता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : गोपाल शेट्टी जी, आप उनको माननीय मंत्री जी कहें।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री अरविंद सावंत, श्री पी.पी.चौधरी एवं श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नमक का हमारे जीवन की खाद्य वस्तुओं में महत्वपूर्ण स्थान है। नमक के उत्पादन में अगरियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन आज उनका जीवन बद से बदतर हो रहा है। ये लोग रण विस्तार की सीमा पर वर्ष में 8 महीने नमक उत्पादन में जुड़े रहते हैं। परिवार का गुज़ार चलाने के लिए वे लोग मानसून के बाद नमक उत्पादन में गरीब परिवार सह जुट जाते हैं।

एक संशोधन के मुताबिक इसमें 80 प्रतिशत बिना जमीनदारी, 70 प्रतिशत बीपीएल से है तथा 90 प्रतिशत गांव में झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। ... (व्यवधान) 90 प्रतिशत मनी माफिया के ऋणदार हैं।

...(व्यवधान) उनकी व्यक्तिगत आय 2000 रुपए से कम है। ये लोग अनेक रोगों के शिकार बनते हैं जैसे आंख, कान, टीबी, एनमिक, कुपोषण, दुर्बल शरीर, 98 प्रतिशत को हाथ-पैर व चमड़ी के रोग होते हैं।
...(व्यवधान)

देश में 70 प्रतिशत नमक उत्पादन गुजरात में होता है और बाकी का अन्य प्रदेशों में होता है। कच्छ के इलाके में 20 प्रतिशत नमक उत्पादन होता है तथा नमक का निर्यात होता है और देश को विदेशी आय भी मिलती है। ...(व्यवधान) नमक उत्पादकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गुजरात और देश भर में नागरिक सहूलियतें जैसे पक्की सड़कें, आवास, अभ्यारण में कायमी, बसने के लिए लम्बे समय के भाड़े-पट्टे पर जमीन की व्यवस्था और नमक का मिनिमम प्राइज, खरीददारी की प्रक्रिया, उत्पादन में बीमा कवच, ऋण माफी, मोबाइल शॉप, पीने का शुद्ध पानी आदि दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

मेरी सरकार से विनती है कि नमक उत्पादन करने वाले अग्रियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक अलग से सत्ता मंडल का निर्माण किया जाए जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

श्री रोडमल नागर (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ...(व्यवधान)

आज हमारा देश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो या ड्रग्स जैसी तस्करी की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इन गंभीर समस्याओं के खात्मे के लिए हमारी सरकार प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ...(व्यवधान)

12.17 hours

(Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members then left the House.)

वहीं दूसरी ओर बड़े नोट छापकर इन समस्याओं को जीवनदान भी दे रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सारी समस्याओं की जड़ में बड़े नोट भी हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे देश में 90 प्रतिशत नोट 500 और 1000 रुपए के छापे जा रहे हैं। बड़े नोटों का आसानी से गैरकानूनी इस्तेमाल इस देश में देश विरोधी गतिविधियों को फलने फूलने में किया जा रहा है। 500 और 1000 रुपए के नोटों या यह कहें कि बड़े नोटों की वजह से भ्रष्टाचार और देश की सुरक्षा पर गंभीर संकट पैदा हो गया है। बड़े नोटों के छपने

की वजह से राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा जाली नोटों का भी कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, वहां बड़े नोट बहुत कम दिखाई देते हैं।

एडगर फिज ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार देश के विकास के लिए टैक्स को ज्यादा से ज्यादा वसूलने की ओर ध्यान देती है, वहीं दूसरी ओर बड़े नोट छापती है जो देश में टैक्स चोरी का बड़ा साधन बनता है, यह अपने आप में एक समस्या है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रहित में जल्द से जल्द बड़े नोटों की छपाई कम की जाए, जिससे देश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री सुधीर गुप्ता, श्री पी.पी.चौधरी, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री रोडमल नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अनुप्रीया पटेल (मिर्जापुर): महोदया, मैं सरकार का ध्यान 19वीं शताब्दी के उस महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले के योगदान की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अछूतोद्धार एवं नारी शिक्षा के लिए समर्पित किया। उस दौर में मानवता पर कलंक के रूप में अस्पृश्यता जैसी कुरीति वीभत्स रूप में समाज में फैली हुई थी और स्त्रियों की शिक्षा को लेकर समाज में उदासीनता थी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया।

अछूतोद्धार के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करके समाज में नए चिन्तन को पैदा किया। वर्ष 1888 में उनके इस भाव को देखकर उन्हें महात्मा की उपाधि से भी नवाजा गया। महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने पुणे में पहली बार भारत में नारी की शिक्षा के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया। महिला शिक्षा के इस पुनीत कार्य में उन्होंने अपनी अर्द्धांगिनी, अपनी पत्नी, माता सावित्री बाई फूले को भी बढ-चढकर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। दोनों दंपति ने मिलकर समाज के भीतर तमाम अवरोधों और अपमानों का सामना करते हुए विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह कुप्रथा उन्मूलन और स्त्री शिक्षा की दिशा में निरन्तर संघर्ष किया। विपरीत परिस्थितियों में समाज के शोषित और कमजोर वर्गों के लिए तथा स्त्रियों के उत्थान के लिए इस दम्पति ने जो योगदान दिया, उसके लिए वह भारत रत्न जैसे पुरस्कार के हकदार हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप और समाज में

प्रेरणास्वरूप स्थापित करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले एवं उनकी पत्नी माता सावित्री बाई फूले, इस दंपति को भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री अरविंद सावंत, डॉ. किरीट सोमैया, श्री रामचरण बोहरा, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, श्री पी.पी.चौधरी और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री निनोंग इरिंग उपस्थित नहीं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान)

मैंडम, मैं बिहार का नहीं बल्कि हरियाणा की बात करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) न्यूज पेपर और मीडिया में लगातार यह समाचार चल रहा है कि वहां खुला अनाज, सांघी में हजारों टन अनाज खुले आसामान में पड़ा है और किसान मंडी में ट्रैक्टरों से सामान ले जा रहे हैं, उनकी गांड़ी मंडी में फंस रही है और वहां से ट्रैक्टरों 8-10 दिन में निकल रहे हैं।... (व्यवधान) उसी तरह से हरियाणा के नारनौद में भी गेहूं काफी जमा हो गया है, ... (व्यवधान) वहां आवागमन में दिक्कत हो रही है।... (व्यवधान) उसी तरह से महाराष्ट्र में प्याजों का लागत मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है।... (व्यवधान)

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसानों के द्वारा उपजाये गये अनाज को हिफाजत से रखना भी सरकार का दायित्व है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस ओर विशेष ध्यान दे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और दस्तकारों के लिए 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत आज तक 3 करोड़ 30 लाख लोगों को फायदा मिला है। अभी मैंने बैंकर्स की मीटिंग ली थी, इसके अलावा सबऑर्डिनेट लेजिसलेशन कमेटी की मीटिंग में गया, बैंकर्स से काफी बात हुई। माननीय वित्त मंत्री जी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उससे स्पष्ट हुआ कि इसमें से काफी लोग 'शैशव अवस्था' में, यानी 10,000 रुपये से 50,000 रुपये वाले ज्यादा लोनी हैं, ज्यादा लोगों को लोन दिया गया, लोगों को फायदा

हुआ। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, एम.बी.ए. और इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इसी प्रकार से वेटनरी वाले हैं। शायद उन लोगों ने अभी तक अप्लाई कम किया है।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी अपने विभाग के मार्फत यह जानकारी प्राप्त करें कि कितने प्रोफेशनल बच्चों ने डिग्रीज ले रखी है, कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया और कितने लोगों को लाभान्वित किया?

मेरा निवेदन है कि जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स किए हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि वे बेरोजगार न घूमें, बल्कि वे रोजगार देने लायक बनें। अब रोजगार देने लायक बनने के लिए उन्हें न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाये ताकि वे अपना सेट-अप जमा सकें और लोगों को रोजगार दे सकें। अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा यही निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री पी.पी.चौधरी, श्री रामचरण बोहरा और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सी.आर.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी, उपस्थित नहीं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक अति लोकमहत्व का विषय सदन में रखना चाहता हूँ। 'नमामि गंगे' एक अति महत्वकांक्षी योजना है, इस पर हजारों-हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। ...(व्यवधान) बिहार के सुल्तानगंज जहां उत्तरवाहिनी गंगा है और वह भागलपुर-मुंगेर का इलाका है, लोग देवघर-झारखंड तक 107 किलोमीटर की पैदल यात्रा कांवर लेकर करते हैं, उसके रख-रखाव के लिए, उसके घाटों की सफाई के लिए और इस मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाये।...(व्यवधान) उसे बंदरगाह का स्वरूप दिया जाये।...(व्यवधान) मुंगेर, सुल्तानगंज, बाँका और भागलपुर तक जो डॉल्फिन्स हैं, उनका बचाव होना चाहिए।...(व्यवधान) 'नमामि गंगा' के तहत सुल्तानगंज घाट के रख-रखाव, जो देवघर झारखंड तक जाता है, उसे राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाये।...(व्यवधान) इसका सपोर्ट हमारे और कई भाई करेंगे।...(व्यवधान) इसलिए हमारी मांग है कि सुल्तानगंज घाट की रख-रखाव किया जाए और उसे राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र राज्य के सांसदों की दिनांक 16

फरवरी, 2015 को सहयादरी, मुम्बई में बैठक हुई थी जिसमें किसानों के हितों के बारे में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी। वे विषय इस प्रकार हैं -- Crop and weather scenario, drought condition in Maharashtra, Centrally- sponsored scheme, National Food Security Mission, National Horticulture Mission, Micro irrigation, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, Vidarbha Intensive Irrigation Development Programme, National Mission on Oil Seed and Oil Palm, Rain-fed Area Development, Sub-Mission on Agriculture Mechanisation sanction awaited from the Government of India and issue related to farmers in Maharashtra State, crop and weather scenario.

मेरा अनुरोध है कि कृषि मंत्री, भारत सरकार के साथ उठाए गए उपयुक्त विषय के बारे में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इस कारण महाराष्ट्र राज्य के किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय बनी हुई है और वे अपने जीवन से निराश होकर भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमूर में भी सूखे की वजह से अकाल पड़ा हुआ है। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार के साथ उठाए गए उपयुक्त विषय के बारे में शीघ्र प्रभावी कदम उठाकर महाराष्ट्र के किसानों की रक्षा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता और श्री आलोक संजर को श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद जिला और गिरिडीह जिले के अंतर्गत जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पारसनाथ मधुबन है जो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं गिरिडीह से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर हिन्दुओं का महान् तीर्थ स्थल देवघर है। इन तीर्थ स्थलों पर करोड़ों भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। देश-विदेश से लोग आते हैं। इन क्षेत्रों के समीप सरकारी लोक उपकरण जैसे डीवीसी, सीसीएल, बीसीसीएल के प्रतिष्ठान हैं। वर्तमान में धनबाद जिले और गिरिडीह जिले में हैलिपैड का निर्माण करवाया जाए ताकि वहां से तीर्थ स्थल में जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र का भी निराकरण पर्यटक के माध्यम से हो सके। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इससे राजस्व की वृद्धि होगी। झारखंड नया राज्य है, इससे प्रगति भी होगी।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकान्त दुबे, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता और श्री आलोक संजर को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदया, जननायक श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ए-वन रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पूर्व की ओर मेरा लोक सभा क्षेत्र है। अम्बाला के अंतर्गत पंचकुला जिले का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई जब मुझे लिखित जवाब में मंत्रालय द्वारा बताया गया कि पंचकुला नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। मैंने अपनी 13वीं लोक सभा के कार्यकाल में भी इस रेलवे स्टेशन की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाया था। उस समय के रेल मंत्री ने खुद पंचकुला रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण करने के लिए पंचकुला साइड से शिलान्यास भी किया था। उस समय के हरियाणा के मुख्य मंत्री भी रेल मंत्री के साथ थे। आज तक पंचकुला साइड में यह स्टेशन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाया है और न ही उस साइड में कोई प्रशासनिक ब्लॉक इत्यादि बना है। पंचकुला रेलवे स्टेशन को केवल भव्य बनाने की बात न होकर चंडीगढ़ की तरफ से बढ़ रहे ट्रैफिक को कम करने की दृष्टि से भी पंचकुला साइड के रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन करना अति जरूरी है। मेरे ध्यान में लाया गया है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर का बनाने का फैसला लिया गया है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन का नाम चंडीगढ़-पंचकुला रेलवे स्टेशन रखा जाए व चंडीगढ़ की ओर से मिलने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं को पंचकुला की ओर भी प्रदान कराया जाए। प्रकृति के नियमों के अनुसार भी यह अच्छा नहीं लगता कि शरीर का एक भाग शक्तिशाली हो और दूसरा कमजोर रहे। जब दोनों स्टेशन एक ही स्थान पर हैं, मैं केवल एक साइड को उन्नत करने की मांग कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आदरणीय मंत्री जी इस पर फैसला करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री आलोक संजर श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरीश मीना (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पूरे देश में व्यापक रूप से मनाने के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के एक गांव गढ़ हिम्मत सिंह गया था, वहां 10 साल से बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाई जाने दी थी, ग्राम पंचायत के सरपंच ने इसके लिए जमीन भी दी हुई थी, मूर्ति भी बनी हुई थी लेकिन कोई उसको स्थापित

नहीं करने दे रहा था। जब इस बात को मेरे ध्यान में लाया गया तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं स्वयं जाकर इसे स्थापित कराया, लोग इस बात से इस मूर्ति को स्थापित नहीं कर रहे थे कि कुछ लोग इससे नाराज हो जाएंगे। बाबा साहब किसी पार्टी के नहीं थे, किसी समाज के नहीं थे, पूरे देश के एक सम्मानीय नेता थे। लेकिन इसके साथ अब क्या हो रहा है, अनेक घटनाएँ बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की सामने आती हैं।* आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश की पुलिस ने एक भी आदमी को नहीं पकड़ा है। यह एक बहुत ही बड़ा षडयंत्र है मैं इसके लिए केन्द्र सरकार को आगाह करूंगा कि जहां भी ऐसा अत्याचार उनके संज्ञान में आता है, इसकी संगीनता को लिया जाए और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री पी.पी. चौधरी, श्री मनोज राजोरिया, श्री रामचरण बोहरा और डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री हरीश मीना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदया, कल 10 मई है और 1857 की महाक्रांति का 10 मई रविवार के दिन मेरठ की धरती से प्रारंभ हुआ था, जब थर्ड लाइट कैवलरी के सवारों ने एक दिन पहले जेल में डाले गए अपने 85 सार्थियों को मेरठ के वर्तमान भामशाह पार्क स्थित न्यू जेल के दरवाजे तोड़कर छुड़ा लिया। इन क्रांतिवीरों ने उसी शाम दिल्ली के लिए कूच कर दिया और वे लालकिले जा पहुंचे। मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर ने इन क्रांतिवीरों का नेतृत्व स्वीकार कर 1857 के इस संग्राम को संवैधानिक प्रतिष्ठा प्रदान की। क्रांति की यह आग मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा, नीमच इत्यादि स्थानों के जन-जन तक पहुंच गई। अंग्रेजी इतिहासकारों ने अपने साम्रज्यवादी दृष्टिकोण के कारण इसे बगावत अथवा गदर बताया परंतु वीर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। इस महाक्रांति की 50वीं जयंती पर 1907 में प्रकाशित उनके ग्रंथ से आजादी के योद्धाओं ने निरन्तर प्रेरणा ली तथा वीर सावरकर द्वारा लिखित यह ग्रंथ इतिहास की अमूल्य धरोहर है। वामपंथी इतिहासकार पहले इसे सामंती विद्रोह बताते रहे परंतु अब मेरठ के डा. विधेश त्यागी द्वारा लिखित पुस्तक 1857 इन 1857 के प्राक्कथन में श्री इरफान हबीब ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रप्रेम से उपजी हुई क्रांति होना स्वीकार किया है।

अध्यक्ष जी, पेशवा नाना साहिब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तांत्या तोपे, वीर कँवर सिंह, अजीमउल्ला खान, इत्यादि नायकों के नेतृत्व में चलने वाली 1857 की इस जनक्रांति में देश के विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों से जुड़े व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा तीन लाख से अधिक भारतीयों

* Not recorded as ordered by the Chair.

ने अपनी शहादत दी। मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, पिलखुआ, डासना तथा निकटवर्ती गांवों में ही हजारों व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से पेड़ों पर लटकाकर फांसी दे दी गई। आधुनिक विश्व के इतिहास में 1789 की फ्रांसिसी क्रांति का यूरोपीयन संदर्भों में तथा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिकन संदर्भों में जो महत्व है, एशियाई संदर्भों में वही ऐतिहासिक महत्व भारत के 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का है।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रस्फुटन के दिवस 10 मई को क्रांति दिवस घोषित करते हुए राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए तथा सरकारी उपक्रम चलाकर इसे लोकप्रिय बनाया जाए। देश की पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा प्रदान करने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 1857 सर्किट की घोषणा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री आलोक संजर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, डॉ. सत्यपाल सिंह, और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही गंभीर मामला बिहार के संदर्भ में है उसे मैं सदन में उठाना चाहता हूँ। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है अपराध तेज गति से बढ़ता जा रहा है। आए दिन लूट की घटनाएं हो रही हैं। राजनीतिक हत्याएं भी हो रही हैं। अपराधी नियम कानून को धता बताकर सभी वारदातें कर रह हैं।

महोदया, ताजा उदाहरण यह है कि दिनांक 07.05.2016 को गया में जदयू के एक एमएलसी के पुत्र द्वारा गाड़ी को पास न देने पर एक बारहवीं क्लास के छात्र को गोली मारकर हत्या कर दिया जाना है। ... (व्यवधान) एक राजद विधायक एक बच्ची के साथ रेप करता है और जेल में है। एक जद(यू) विधायक चलती ट्रेन में पति के सामने उसकी आबरू लूटता है। ... (व्यवधान) एक कांग्रेसी विधायक शराब के नशे में थाना जाता है और बवाल करता है ... (व्यवधान) और उसके बाद थाना अधिकारी, आरक्षी उसको रोकना भी चाहते हैं तो वह धक्का मारकर निकल जाता है। ... (व्यवधान)

दूसरी भयावह घटना दिनांक 06.05.2016 को सारण जिला के मशरख प्रखंड के कवलपुरा पंचायत के ग्राम-बहादुरपुर की है जिसमें मढ़ौड़ा के एसडीएम और मशरख थानाध्यक्ष के सामने ही वर्तमान मशरख प्रखंड राजद अध्यक्ष और उनके बेटे द्वारा श्री राम ईश्वर सिंह और अरविन्द सिंह को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। ... (व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : श्री आलोक संजर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोडमल नागर, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती रमा देवी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अनुराग ठाकुर, डॉ. संजय जायसवाल और

श्री निशिकान्त दुबे को श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : हो गया, सब नहीं पढ़ना है।

...(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की जमीन का कानून ब्रिटिश जमाने से चल रहा है। वर्ष 1926 में ब्रिटिश हुकूमत के समय में पीनल-सैटलमेंट में जिन लोगों को अखंड भारत से सजा काटने के लिए काला पानी भेजा गया था। वे लोग सजा के पश्चात् मुख्य भूमि भारत में न भाग जाएं और वे वहीं, यानी अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ही रहकर खेतीबाड़ी करें और ब्रिटिश हुकूमत को खाना खिलाएं। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए एक कानून बनाया। उस काले कानून का नाम “अंडमान निकोबार लैंड टैन्थोर रैगुलेशन, 1926” था। उसके बाद देश आजाद हुआ और आजाद देश में वर्ष 1966 में नया कानून बनाया गया, जिसका नाम “अंडमान-निकोबार लैंड रैगुलेशन लैंड रिफॉर्म, 1966” रखा गया। उस कानून में क्या किया गया, अंडमान में सैटलमेंट में जो लोग आए थे, वे अंडमान को छोड़कर भाग न जाएं, इसलिए उन्हें टैनेंट बनाया गया, यानी वे भारत सरकार के गुलाम बनाए गए थे। मैं आपके सामने इस कानून को चेंज करने का निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, लोग कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रैवेन्यू के पास जाओ, जमीन के मालिक लोगों को वहां हाथ जोड़ कर, खड़ा करो और बोलो कि हमें सेल करने की परमीशन दो। वे बोलेंगे कि सेल करने की परमीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के टैनेंट हैं। इसलिए मेरी मांग है कि देश आजाद है और मोदी जी की सरकार आई है। उनके घर के सामने एक बोर्ड पर लिखा है कि ईश्वर आपने मुझे जन्म दिया, इसलिए मुझे काम करने दो और जो काम कल करने का है, उसे आज ही पूरा कर दो। इसलिए मैं गृह मंत्रालय से मांग करता हूँ कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का जो काला कानून बनाया गया है, उसे चेंज कर के नया कानून बनाएं। हम टैनेंट नहीं हैं। हमें ओनरशिप चाहिए। भारत माता की जय।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सांसद श्री विष्णु पद राय द्वारा सदन में उठाए गए विषय से सर्वश्री शरद त्रिपाठी, चन्द्र प्रकाश जोशी, रोडमल नागर, सुधीर गुप्ता, आलोक संजर एवं कंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह -- उपस्थित नहीं।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : मैडम धन्यवाद। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं- न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका व प्रेस है। देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, प्रेस और मीडिया का देश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनल, फेसबुक और ट्विटर जैसे साधन हैं, जिनकी मार्फत लोग अपने विचार रखते हैं और देश में जो हो रहा है, उसे देखते हैं।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब में एक दमनकारी राज्य चल रहा है और पंजाब में एक फास्टवे नेटवर्क है केबल। इसके मालिक पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं। आप मेरी बात सुनिये। ...(व्यवधान)
आप मेरी बात सुनने का थोड़ा हौसला रखिये। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संतोख सिंह जी, आप अपनी बात रखिये।

...(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी : वहां के उप मुख्य मंत्री के मुताबिक जो भी चैनल नहीं चलता, उसे वह बंद कर देते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किसी पर ऐसा ऐलीगेशन नहीं लगा सकते।

...(व्यवधान)

श्री संतोख सिंह चौधरी: मैडम, जी टीवी, जी पंजाबी, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में एक चैनल चल रहा है, जिसके लाखों लोग व्यूअर्स हैं। ...(व्यवधान) चूंकि यह एक निष्पक्ष चैनल है, इसलिए फास्ट वे नेटवर्क ने इस चैनल को ब्लैक आउट कर दिया है। ...(व्यवधान) इससे पहले भी डे एंड नाइट चैनल को भी ब्लैक आउट किया है। ...(व्यवधान) एबीवीपी सांझा चैनल था, उसे ब्लैक आउट किया है। ...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान ने प्रेस को जो आजादी दी है, उस पर एक बहुत गहरा घाव है। ...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब में प्रेस इमर्जेंसी प्रिवेल हो गयी है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी मार्फत भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फोर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो दमनकारी फैसले हैं, उन्हें बंद किया जाये। वहां दखल दिया जाये, ताकि ऐसे जितने भी चैनल्स हैं, उनका पंजाब में प्रसारण हो सके।

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Madam Speaker, I would like to bring to the knowledge of the hon. Home Minister, through you, that Arunachal Pradesh (AP) is the land of peace. It is known as the island of peace. It is one of the most beautiful States in the country. But it is very unfortunate that three

Districts, which are infested by the NSCN (IM), that is, Tirap, Changlang and Longding. Now, once again AFSPA has been implemented through out the State.

Now, I would like to bring to your knowledge that these three Districts are already under AFSPA and it has already been imposed in these three Districts. Once, on 27 March 2015 it had been imposed, but because the people had objected to it, so it had been withdrawn. Now, once again AFSPA has been imposed in AP. I would request, through you, to the hon. Home Minister that this is a State, which is known as the island of peace. So, it may give some wrong message to the people of that area. Hence, we would request that AFSPA should once again be withdrawn. Thank you, Madam.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदया, आपने मेरे विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मैं कल अपने क्षेत्र भागलपुर और बिहार के कई स्थानों पर गया था। दो दिन पहले बिहार के गया जिले में * सत्ताधारी दल की विधायक हैं, विधान पार्षद हैं। उनके बेटे ने गया के व्यवसायी पुत्र, जो परीक्षा देकर गाड़ी से आ रहा था, उसे गोली मार दी। उसका कसूर यही था कि उसने एमएलसी के लड़कों को साइड नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी से उतर कर उसे गोली मार दी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रोसीडिंग में किसी का नाम नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे: उन्होंने गोली ही नहीं मारी, बल्कि उसकी गाड़ी को उठाकर उसके पिता, जो रंगदार हैं, एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, ...(व्यवधान) सत्ताधारी हैं, ...(व्यवधान) वहां जंगल राज की प्रवृत्ति हो गयी है। ...(व्यवधान) दूसरी घटना हमारे जिले के सुल्तानगंज में हुई। ...(व्यवधान) एक डकैत ने ...(व्यवधान) जय प्रकाश यादव, तुम बैठ जाओ। ...(व्यवधान) डकैत तुम्हारे यहां भी ...(व्यवधान) जय प्रकाश जी राजद के हैं। ...(व्यवधान)

महोदया, सुल्तानगंज में दूसरी घटना घटी। हमारे जिले में, हमारे घर के बगल में इनके लोगों ने गांव में, घर में डकैती की और भाजपा के कार्यकर्ता की बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। ...(व्यवधान) लेकिन उसकी मां ने डकैतों को ताले में बंद कर दिया। ...(व्यवधान) उसके पिता ने डकैतों को उठाकर पटक। ...(व्यवधान) दो डकैतों की कमर टूट गयी। ...(व्यवधान) उसके पिता को गोली मार दी

* Not recorded.

गयी। ... (व्यवधान) जय प्रकाश यादव, तुम जवाब दो कि वह यादव कौन था? ... (व्यवधान) आरजेडी के नेताओं का संरक्षक है। ... (व्यवधान) सत्ता के नेताओं का संरक्षक है। ... (व्यवधान) बिहार में गुंडा राज, जंगल राज हो गया है। ... (व्यवधान) राजनेता की हत्या, भाजपा के नेताओं की हत्या, उसके भाई की हत्या ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. संजय जायसवाल, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री निशिकांत दुबे, श्री पी.पी.चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सी.पी. जोशी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री शरद त्रिपाठी और श्री आलोक संजर को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : बिहार के नालंदा जिले में, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, आठ साल के बच्चे को एक दिन पहले किडनैप किया और दूसरे दिन मारकर उसके घर पर लाकर फेंक दिया। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। ... (व्यवधान) ... *को इनके हसबैंड से चार करोड़ रुपया ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम रिकार्ड में नहीं आएगा।

... *

श्री राजेश रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, चार करोड़ रुपया मुख्यमंत्री के बड़े भाई ने लेकर जबदस्ती एमएलसी का टिकट दिया। ... (व्यवधान) आपको आश्चर्य होगा, सहरसा में अभी तीन बार का मुखिया, ... * राजद का ही युवा अध्यक्ष और अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ ... * को दिन में 11 गोली मारी गई। चार दिनों में सहरसा में सात ... (व्यवधान) आपको आश्चर्य होगा, आरा में, सासाराम में, गया में लगातार बिहार... (व्यवधान) में जिस तरह से एक मां की गोद सूनी की गई।... (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूँ, इन माफियाओं को टिकट, किसी की पत्नी, किसी के पति को टिकट दिया गया, कितने करोड़ रुपए लेकर दिया?... (व्यवधान) ये व्यवसायी, गोली माफिया... (व्यवधान) एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है और एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने का सपना ... (व्यवधान) हिंदुस्तान में बिहार की चिंता नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है।... (व्यवधान) छः करोड़ व्यक्ति असुरक्षित हैं।... (व्यवधान) बिहार में बेटे का ब्लात्कार, डकैती... (व्यवधान) बिहार सरकार को बर्खास्त करना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नेशनल एन्ट्रेंस एलिजिबिलिटी टैस्ट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसमें दो इश्यू हैं। जब हम छात्र थे, तब 11वीं और 12वीं की तैयारी एक साथ होती थी। हम एक साथ 12वीं की परीक्षा देते थे। अब 12वीं की परीक्षा केवल पांच चैप्टर्स पर होती है। सबसे बड़ा इश्यू यह है कि 1 मई को जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, उनको 12वीं के बाद केवल 10 दिन तैयारी करने का मौका मिला। वहीं जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, उनको ढाई महीने का समय 24 जुलाई तक दे रहे हैं।

आप हमेशा कहती हैं कि यह कोर्ट का मामला है, इसलिए यहां नहीं उठाया जाए। उसी तरह पार्लियामेंट अपने आप में इंडीपेंडेंट बॉडी है। हम लोगों ने एमसीआई को पार्लियामेंट के रूल से पास किया है। एमसीआई के रूल में कहीं नहीं है कि वह परीक्षा लेगी। लेकिन कोर्ट स्वयं कहती है कि एमसीआई चोर है, उसके ऊपर जस्टिस लोडहा कमेटी बिठाती है, उसके ऊपर डॉ. शिव सरीन को बिठाया जाता है और फिर कहा जाता है कि एमसीआई परीक्षा लेगी।... (व्यवधान) या तो एमसीआई* है और उसके ऊपर जस्टिस लोडहा को बिठा रहे हैं या ... * को ही पूरे ब्लॉक की रखवाली का काम दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : अनपार्लियामेंटरी शब्द रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (Interruptions)... *

डॉ. संजय जायसवाल: मेरा आपसे अनुरोध है कि एमसीआई ऑटोनोमस बॉडी है, छः लाख बच्चों का सवाल है। 24 जुलाई को सभी बच्चों को परीक्षा देने दी जाए जिससे एक परीक्षा से सभी बच्चों का मेरिट तय हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री शिव कुमार उदासि, श्री शरदी त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री उदय प्रताप सिंह को डॉ. संजय जायसवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): I thank you, Madam, for giving me the opportunity to raise an important issue. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Ashwini Kumar Choubey Ji, what is all this?

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : अश्वनी जी, बैठिए। एक बार आपको अपनी बात कहने का मौका दिया। चिल्लाने से नहीं होगा, वहां जाकर लड़िए।

...(व्यवधान)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD: Madam, the recent survey by CMS shows Railways as one of the shining departments. I appreciate the efforts of Shri Suresh Prabhu in this respect.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : आप चेयर से कहते हैं कि रिकार्ड में नहीं जाएगा, लेकिन वे लोग नहीं सुनते हैं, मीडिया में आ रहा है। एमसीआई एक बॉडी है, उसके लिए ऐसे +-+ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : मैंने बताया है।

श्री एम. वैकैय्या नायडू : आपने कहा है, यहां रिकार्ड में नहीं आएगा लेकिन वहां रिकॉर्ड में आएगा।

माननीय अध्यक्ष : यह तो कोर्ट की बात है, हम भी क्या करें?

श्री एम. वैकैय्या नायडू: इसके लिए थोड़ा जागरुक होना चाहिए। जब स्पीकर की चेयर से कुछ बात आती है, It is binding on the media also.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD : The Railway Minister is doing a good job and I compliment him for that. Since the time I became a Member of Parliament, I have been requesting for the stoppage of two trains at Jangaon, which is going to be the district headquarters and which is 80 kilometres away from Hyderabad. Most of the employees in the private sector travel by those trains. They are Seemapuri Express and the Charminar Express. I take this opportunity to again impress upon the Railway Minister to yield to my request in the interest of the small time employees.

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि मुझसे ज्यादा आप सभी जानते हैं कि कौन-से शब्द सदन में नहीं बोलने चाहिए। ऐसे शब्दों को आप बोलने से एवायड कर सकते हैं। आपने बोलने के पश्चात ही तो वे शब्द मीडिया में जाएंगे। सदन की कार्यवाही से तो हम शब्दों को निकाल सकते हैं लेकिन हम ऐसा कैसे करें कि आपके मुंह से ही ऐसे शब्द न निकलें। इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि इसके लिए एसआरआई के अंतर्गत कोई क्लास लगाऊं।

श्री भगवंत मान। आप सभी बोलते समय बहुत कंट्रोल रखिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदया, प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी के खिलाफ खासकर पंजाब में अभिभावक धरने करने को मजबूर हो गए हैं। हर साल अलग से एडमिशन फीस ली जाती है। स्कूलों द्वारा यह कहा जाता है कि अगर बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है तो एडमिशन फीस रिफंड हो जाएगी लेकिन बाद में इसे रिफंड नहीं किया जाता है। विशेषकर वर्दी, किताबें और कापियां किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए रिक्मेंड किया जाता है। इस कारण आज के महंगाई के दौर में अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। पंजाब में अभिभावक जगह-जगह पर धरने दे रहे हैं और स्कूलों के खिलाफ धरने तथा प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार ने बढ़ी हुई फीस को रिफंड करवाया है। क्या दूसरे राज्यों में भी दिल्ली की तर्ज पर ऐसा हो सकता है? एचआरडी मिनिस्टर यहां बैठी हैं, इनके पास बहुत से वक्तव्य आ चुके होंगे। अगर आप इस विषय पर जवाब देंगी, तो बहुत खुशी होगी।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदया, मेरा लोकसभा क्षेत्र बागपत किसानों का क्षेत्र है। यहां पिछले साठ-सत्तर वर्षों में एक भी उद्योग-धंधा, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। लोगों में बहुत ज्यादा बेराजगारी फैल गई है। किसान सिंचाई के लिए बिजली द्वारा चलित ट्यूबवैल पर या नहरों पर निर्भर हैं। पिछले दो वर्षों से पूरे बागपत जिले को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। एक भी नया कनेक्शन नहीं मिल रहा है और पूर्वी यमुना नहर से 600 क्यूसिक पानी आता था, अब केवल 200 क्यूसिक पानी आता है। मुरादनगर फीडर है, जब भी वहां बिजली कटती है तो सबसे पहले बागपत की बिजली कटती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां उद्योग-धंधा लगाया जाए और माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहां बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि यमुना नहर में ज्यादा से ज्यादा पानी छोड़ा जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, सामाजिक सुस्था पेंशन में बीपीएल की अनिवार्यता के विषय को मैं सदन में उठाना चाहता हूं।

महोदया, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, जब उनके क्षेत्र में हम दौरा करने जाते हैं तो उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण वे सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विशेष रूप से अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं के लिए बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त की जाए, ताकि सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेकर विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी, श्री रोडमल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गम्भीर विषय लाना चाहता हूँ।

महोदया, आज देश के एक सबसे बड़े न्यूज़पेपर में एक समाचार आया है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में वर्ष 1994 में टाडा के तहत डीटेन किए हुए सात लोगों को जेल अधिकारियों ने बुरी तरह से मारपीट कर मार डाला। उस समय के मुख्यमंत्री जी ने उनकी पार्टी के एक नेता के कहने से और डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट की इंस्ट्रक्शन से एफआईआर दर्ज कराई। मुझे इस घटना को पढ़कर वर्ष 1984 फिर से याद आ गया। जिस तरह से सिक्खों के साथ अत्याचार किया गया। उनके बच्चों के गलों में टायर डालकर जला दिया, लेकिन जो दोषी थे, जिन्होंने कत्लेआम किया, उनको एमपी और वजीर बना दिया, लेकिन किसी को सजा नहीं दे पाए।

माननीय अध्यक्ष : पेपर मत दिखाइए। आप अपनी बात कहिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: जिस सरकार ने वर्ष 1994 में जो इनक्वायरी बैठायी थी, उसने वर्ष 2007 में उसको वापस ले लिया। आज तक यह नहीं सुना कि कभी कोई चार्जशीट हुआ है। 42 लोग चार्जशीट हुए हैं और विंध्याचल के सुपरिंटेंडेंट को फ्री कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई से इनक्वायरी होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। हमें इस बात का बहुत दुःख है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत।

आपकी बात रिकार्ड में आ चुकी है। आप बैठ जाइए।

माननीय मुलायम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, श्री चंदूमाजरा जी ने जो कहा, उस संबंध में दोषियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। एक दोषी भागा हुआ है, वह भी आज-कल में पकड़ा जाएगा। उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जा रही है। ये यहाँ पर ऐसी बातें कह रहे हैं। ... (व्यवधान) आप अखबार की बात छोड़ दीजिए। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है। एक दोषी भागा हुआ है, वह दो दिन में जेल के अंदर होगा।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुम्बई के वर्ली क्षेत्र में पोद्दार आयुर्वेदिक अस्पताल है। उस अस्पताल में दो-तीन दिन पहले एक नौकर की भर्ती के लिए अखबारों में इश्तिहार आया। जब इस संबंध में जानकारी ली गयी तो एक रीजनल इम्प्लॉयमेंट ऐक्ट है, उस कानून के तहत यदि सरकारी क्षेत्रों में नौकर की भर्ती करनी है, तो उसे रीजनल इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐक्ट के तहत एक्सचेंज को इन्फार्म करना है, लेकिन वे इन्फार्म नहीं करते हैं। उसके बाद यदि इश्तिहार देते हैं, तो सिर्फ अंगरेजी और हिन्दी के अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है। इससे वहाँ के जो संस ऑफ सॉइल हैं, भूमिपुत्र हैं, मराठी हैं, वे अवसर से वंचित रहते हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। इस संबंध में जो कानून है, उसके तहत उसका अमल किया जाए और इश्तिहार मराठी अखबारों में भी दिया जाए ताकि वहाँ के स्थानीय लोगों को, भूमिपुत्रों को मौका मिल सके।

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Madam Speaker, the objective of NREGA is totally defeated in Andhra Pradesh as NREGA funds are blatantly diverted to other unapproved programmes like construction of CC Roads, Neeru-Chettu (Water-Tree) etc.

In 2015-16, Rs.2,458 crore of NREGA funds have been diverted out of Rs.3527 crore in Andhra Pradesh for construction of CC Roads (Rs.500 crore) and for Neeru-Chettu (Rs.1958 crore) programmes. The works were undertaken with machines whereas the aim of NREGA is to provide manual unskilled work. For 2016-17, Government of Andhra Pradesh decided to spend Rs.4,764 crore under NREGA. Out of this, it decided to divert Rs.3,500 crore for other works such as construction of CC Roads and Neeru-Chettu programme by blatantly violating the guidelines of NREGA.

Secondly, the ruling party appointed illegal Janmabhoomi Committees which is a gross violation of the Constitution. It is all happening at a time when the State itself declared 359 Mandals as drought and poor are screaming for work under NREGA. There is also criticism and rightly so that the ruling party is giving unapproved works on nomination basis to workers of the ruling party.

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, 6 तारीख को एयर इंडिया के फ्लाइट संख्या 073 से मैं दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहा था। साढ़े छः बजे फ्लाइट की उड़ान निर्धारित थी, लेकिन करीब पौने सात बजे बैंक आरूट किया, यह रन-वे पर जाकर वापस आ गयी और खड़ी हो गयी। इस संबंध में पायलट या एयर हॉस्टेस के द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी। पूछने पर बताया गया कि कुछ टेक्नीकल फॉल्ट है। उसमें सुधार करके उड़ान भरेगी। उस विमान ने दो घंटे बाद उड़ान भरी।

मेरा कहना है कि जब फ्लाइट्स का रेगुलर सेफ्टी चेक अप होता है और उड़ान भरने से पहले फ्लाइट को ओ.के. सर्टिफिकेट भी इश्यु होता है। फिर भी ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? जब मैंने एयर इंडिया के सीएमडी से बात की, तो उन्होंने बताया कि पुराने फ्लाइट्स इस्तेमाल किये जा रहे हैं, इसलिए ऐसी समस्या आ रही है।

यह सुरक्षा का मामला है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गंभीरता से सभी विमानों का चेक अप हो, तभी फ्लाइट्स उड़ान भरे।

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Madam Speaker, this august House is now discussing about the drought situation prevailing in the country. The same situation is prevailing in Karnataka also. Whenever there is severe drought or consistent drought situation is prevailing in Karnataka or in any part of the country, the worst affected will be the farmers. Because of this continuous drought situation there will be failure of the crops. As a consequential effect, the farmer who raises loans from the banks will not be in a position to repay the loans to the banks. Consequently, the farmers commit suicide in the rural areas. I, therefore, would request the Union Government to show magnanimity in coming to the rescue of farmers by waiving farmers' loans from the nationalized banks.

13.00 hours

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष जी, मराठा साम्राज्य के सरदार मल्हार राव जी होल्कर की बहू अहिल्या देवी होल्कर जी के बारे में सदन के सामने बात रखना चाहता हूँ। अहिल्या देवी को सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश उनको मानबिन्दु के रूप में देखता है। कई जगहों पर अहिल्या देवी जी ने जो काम किए हैं, वे पूरे देश के लिए मानबिन्दु के रूप में हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार और आपका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि संसद के प्रांगण में अहिल्या देवी जी की प्रतिमा लगाई जाए।

माननीय अध्यक्ष : अहिल्या बाई की प्रतिमा लगी है।

श्री राजीव सातव : लाइब्रेरी बिल्डिंग में लगी है, लेकिन अगर उसको प्रांगण में कर दें...(ब्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रांगण में लगाने की बात कर रहे हैं, अदरवाइज उनकी प्रतिमा लगी है।

श्री राजीव सातव: मेरी आपसे यही विनती है। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:00 pm.

13.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.08 hours

*The Lok Sabha reassembled after lunch at Eight Minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जायेगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे बीस मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जायेगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जायेगा।

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to take necessary steps for construction of permanent school building for existing Kendriya Vidyalaya at Kheri parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मैं अपने लोक सभा क्षेत्र खीरी (उत्तर प्रदेश) के केंद्रीय विद्यालय को जमीन उपलब्ध कराकर स्थायी भवन निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।

नेपाल की सीमा पर बसा लखीमपुर शैक्षिक दृष्टि से एक पिछड़ा जिला है, जहाँ पर एक केन्द्रीय विद्यालय है, जो किराये की बिल्डिंग व सीमित संसाधनों के बावजूद अपेक्षाकृत ठीक कार्य कर रहा है। अपनी भूमि प्राप्त करने के प्रयासों में दिनांक 24.12.2014 व 25.02.2015 के पत्रों द्वारा द्वितीय कमान अधिकारी, मुख्यालय एस.एस.बी., गढ़ी रोड, लखीमपुर खीरी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचित किया कि मंत्रालय की इन्टीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन की डायरी सं. 32626/23/finv/2014 दिनांक 19.09.2014 के अनुसार विद्यालय हेतु 3 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी जा सकता है। अभी तक उक्त भूमि लेने की सहमति मुख्यालय ने नहीं दी है।

इसके बाद एस.एस.बी. द्वारा पुनः 3.5 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव डी.ओ. पत्र संख्या 3640 दिनांक 07.03.2015 द्वारा कैम्पस में विद्यालय खोलने व खेल का मैदान शेयर्ड आधार पर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया, परंतु अभी तक मुख्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भूमि स्वीकृत करने व स्थायी भवन निर्माण की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ की गई है। जबकि पूरे देश में कई केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण इससे कम जमीन पर किया गया है।

मैं सरकार व माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि पुराने चल रहे विद्यालय हेतु शीघ्र जमीन स्वीकृत करके भवन निर्माण करने तथा चूंकि जनपद लखीमपुर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उक्त जिले में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने तथा पहले से चल रहे विद्यालय को स्थायी भवन उपलब्ध कराकर इंटरमीडियट तक करने हेतु आवश्यक आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।

(ii) Need to establish a Sainik school and a Military school in Ambala parliamentary constituency, Haryana

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की 1.2 बिलियन आबादी को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान में चल रहे 24 सैनिक स्कूल और 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वर्तमान की चुनौतियों के लिए अपर्याप्त है। देखने में आ रहा है कि सेना में उच्च पदों पर अफसरों की संख्या दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है क्योंकि आज का युवा सेना में अपना कैरियर बनाने की बजाय आई.टी. सेक्टर और मेडिकल सेक्टर में जाने को प्राथमिकता देता है। जहां भारत के प्रधानमंत्री ने रक्षा उपकरणों में स्वावलम्बी होने के लिए "मेक इन इंडिया" का नारा दिया है वहीं सेना के उच्च पदों पर भी भारत में शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है। मैं मांग करता हूँ कि देश की रक्षा जरूरतों को समझते हुए देश में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की संख्या दुगुनी की जाए।

मेरा अंबाला लोक सभा क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां पर साल भर सेना में भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल खोले जाएं।

(iii) Need to set up a National Disaster medical Response Force for providing medical help during natural disasters

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मैं सरकार का ध्यान भारत में प्राकृतिक आपदा के समय चिकित्सा प्रबंधन व उससे जुड़ी समस्याओं की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर एवं चैन्नई में आई बाढ़ के दौरान हमने देखा कि बड़े अस्पताल पानी में डूब गए और संचार व्यवस्था ठप्प हो गई। ऐसा उस समय हुआ जब इस व्यवस्था के पीड़ितों को ससे ज्यादा जरूरत थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल सुविधा पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है सभी मंत्रालयों को आपदा से लड़ने की, लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए राहत कोष फण्ड मुहैया कराने की बात कही गई है। अमेरिका में प्राकृतिक आपदाओं के समय मेडिकल सहायता के लिए National Disaster Medical System बनाया गया है। साथ ही, फिलीपीन्स में जल्द स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी फण्ड बनाया गया है। भारत में ऐसे विशेष फण्ड तथा राष्ट्रीय स्तर पर Disaster Medical System का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे आपातकालीन समय में तत्काल चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई फ्रेमवर्क नहीं है। विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों के बीच बेहतर ताल-मेल की कमी है। भारत में आपदा क समय सबसे पहले NDRF की टीम को भेजा जाता है जो मेडिकल सहायता के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित नहीं होते हैं। अतः इस संबंध में सरकार द्वारा निम्न आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए:-

1. National Emergency Medical Protocol बनाया जाए। इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच समन्वय स्थापित किया जाए।
2. राष्ट्रीय स्तर पर तत्काल मेडिकल सहायता के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाए।
3. NDRF के ताल-मेल में एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाए जो दवा आपूर्ति, चिकित्सा सहायता, आपातकालीन तैयारियां एवं प्रशिक्षण का कार्य करें।
4. National Disaster Medical System बनाया जाए जिसमें प्रशिक्षित डॉक्टर तथा अन्य मेडिकल स्टाफ को शामिल किया जाए।
5. राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष मेडिकल इमरजेंसी फण्ड की स्थापना की जाए।

इस प्रकार आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ित लोगों तक निर्बाध मेडिकल सहायता पहुंचाने में सरकार को सहूलियत होगी तथा हम अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकालने में सक्षम हो सकेंगे।

(iv) Need to provide additional funds for revival of Hindustan Copper Limited, Khetri, Rajasthan

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): मेरे संसदीय क्षेत्र झुंझुनू (राजस्थान) के खेतड़ी उप-खण्ड में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड/खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में स्मैल्टर/रिफायनरी प्लांटों से उत्पादन करवाने हेतु व कलकत्ता कार्यालय को कॉपर खेतड़ी में स्थापित करने, कॉपर खेतड़ी कॉम्प्लेक्स में उत्पादन, कर्मचारी बढ़ाने, स्मैल्टर लगाने के लिए तथा इसकी खस्ता हालत को सुधारने के लिए अतिरिक्त बजट दिया जाये और 'मेक इन इण्डिया' के तहत पुनर्जीवित/जीर्णोद्धार किया जाये।

(v) Regarding timely release of Central Funds under Post-Matric Scholarship Scheme

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN) : Post Matric Scholarship Schemes (PMS) for SC and ST are Centrally Sponsored Schemes. With the opening up of educational institutions in the private sector and the increasing number of students pursuing higher education, the demand for scholarships has been increasing every year. The available fund has not been increasing to that extent and hence liabilities are building up. Funds over and above the committed liabilities of the 12th Five Year Plan should be borne by both Central and State Governments. In Rajasthan, the state government has provided its share of liabilities for the year 2014-15 but the Central Government is yet to provide the full funding for this purpose (to clear liabilities). For 2014-15, an amount of Rs.155.18 crores is pending collectively from the Ministry of Social Justice and Empowerment under the SC scholarship and Ministry of Tribal Affairs under the ST Scholarship. For 2015-16, proposals have been sent to the respective Ministries, (Rs.333.13 crore for SC PMS and Rs.195.30 crores for ST PMS) as part of the Central assistance. Therefore, I request both the Ministries to provide the required funds for both the years 2014-15 and 2015-16 as requested above by the Rajasthan State Government.

**(vi) Need to probe alleged misappropriation of funds allocated under
Centrally sponsored schemes and drinking water schemes in
Banda parliamentary constituency, Uttar Pradesh**

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं विशेषकर कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए योजनाओं और ग्रामीण व शहरी पेयजल योजना, जल निगम द्वारा संचालित की जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चित्रकूट जनपद व बांदा जनपद में इन योजनाओं में कथित रूप से बहुत ही अनियमितताएँ बरती जा रही है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि का प्रयोग निगम के अनुसार नहीं किया गया है।

कई बार लिखित व मौखिक शिकायतों के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। अस्तु सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र की विशेष टीम से पिछले 5 वर्षों के उक्त विभागों के कार्यों की जांच कराकर संबंधित अधिकारियों व उससे जुड़े अन्य फर्जी ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर योजना निधि के दुरुपयोग के मामलों में धन की वसूली कराने की कृपा करें।

**(vii) Need to improve telecommunication facilities in Barmer
parliamentary constituency, Rajasthan**

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : मेरा संसदीय क्षेत्र भारत-पाक सीमा से लगभग 250 कि.मी. से ज्यादा सटा क्षेत्र है। यह क्षेत्र पूरा रेगिस्तानी है। इस क्षेत्र की जनता का जीवन स्तर आज भी 100 वर्ष पूर्व की भांति है, क्योंकि क्षेत्र में संचार के साधनों का नितांत अभाव है। इसी कारण इस आधुनिक युग में भी स्थानीय जनता पाषाण युग की तरह जीवन-यापन कर रही है।

बाड़मेर और जैसलमेर जिले में जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आते हैं, का क्षेत्रफल 56779 वर्ग कि.मी. है। जिसकी जनसंख्या 3273660 है। 19 ब्लॉक में 581 ग्राम पंचायतें जिनमें 3298 राजस्व ग्राम है। यहां के लोग जीवन-यापन हेतु कृषि, पशुपालन, मजदूरी पर निर्भर है। ज्यादातर प्रदेश में व्यापार एवं मजदूरी हेतु जाते हैं। इन दोनों जिलों में दूरसंचार के साधनों के अभाव में लोगों को सैकड़ों कि.मी. की यात्राएं अपने लोगों के हाल-चाल जानने एवं बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने के लिए करनी पड़ती है जिससे समय एवं धन दोनों की बर्बादी होती है। इन दोनों जिलों में दूरसंचार की व्यवस्था के नाम पर लैंडलाइन के 96 ब्राडबैंड के 74, डब्ल्यू.एल.एल. 71, 2जी के 232, 3जी के 40 और वाई.एम.एक्स के बालोतरा एवं जैसलमेर में मात्र 2 टॉवर की सुविधा है। पूरे क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधा प्राप्त हो, इस हेतु वर्तमान में 2जी के 181 एवं 3जी के 38 बी.टी.एस. की नितांत आवश्यकता है। विभाग द्वारा 7वें चरण के तहत 46 टॉवर स्वीकृत किये गये हैं। जो जगह और समान के अभाव में संचालित नहीं हो पाये हैं। विडंबना है कि दो पंचायत सीमित मुख्यालय गिडा एवं सेडवा तो ऐसे हैं जहां बी.टी.एस. नहीं है। कवास, रानीगांव, मेवानगर, रावतसर में सिफ़ी नेटवर्क की सुविधा नहीं होने के कारण ऑनलाईन कार्य संभव नहीं है। मनरेगा एवं अन्य सरकारी योजनाओं एवं इंटरनेट सुविधाओं से यह क्षेत्र पूर्णतया वंचित है। मेरा संचार मंत्री से आग्रह है कि आधुनिक युग से जोड़ने के लिए प्राथमिकता के तौर पर सीमावर्ती उक्त वंचित क्षेत्र में दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक स्वीकृतियां एवं संसाधन उपलब्ध करायें ताकि यहां कि पिछड़ी जनता को इस वैज्ञानिक युग का एहसास हो सके।

(viii) Need to grant Group 'B' status to railway engineers

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान समस्त भारतवर्ष में फैले 80 हज़ार रेलवे इंजीनियरों (JE & SSE) की समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा। डी.ओ.पी.टी. के गजट नोटिफिकेशन सं. 605 दिनांक, 09-04-2009 के अनुसार वर्तमान में रेलवे सहित किसी भी अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन में ग्रुप सी सबसे निम्न स्तर है। सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों ने डी.ओ.पी.टी. के गजट नोटिफिकेशन के अमल में आने के बाद ग्रेड पे-4200 के इंजीनियरों को ग्रुप सी से ग्रुप बी राजपत्रित कर दिया है जबकि भारतीय रेलवे में ऐसा नहीं है।

रेलवे बोर्ड ने आंशिक रूप से उपरोक्त गजट नोटिफिकेशन को लागू कर रेलवे में कार्यरत खलासी तथा हेल्पर को ग्रुप डी से ग्रुप सी कर रेलवे इंजीनियरों के समकक्ष ला खड़ा किया है जोकि इन इंजीनियरों के साथ अन्याय है।

अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठन जैसे कि सी.पी.डब्ल्यू.डी., एम.ई.सी., सी.डब्ल्यू.सी. इत्यादि में ग्रेड पे-4200 के भर्ती इंजीनियर अपनी 30 साल की सर्विस के बाद ग्रेड पे-7600 पर निश्चित प्रमोशन के साथ पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे में कार्यरत इंजीनियर जो ग्रेड पे-4600 पर भर्ती होता है, वह बिना किसी प्रमोशन के साथ उसी पद सेवानिवृत्त हो जाता है।

सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पैरा 11.40.104 में निःसंदेह माना है कि रेलवे इंजीनियर रेलवे की सुरक्षित एवं कुशल संचालन में सबसे महत्वपूर्ण निभाते हैं किंतु रेलवे बोर्ड के आधारहीन तथ्यों की वजह से इसे पैरा 11.40.115 में नकार दिया गया। पूर्व में जस्टिस खन्ना कमेटी तथा विवेक देवराय कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में रेलवे इंजीनियरों को उचित प्रमोशन और वेतनमान तथा रेलवे मजदूर संगठनों से अलग रखने की संस्तुति दी थी, जिसमें रेलवे के नवीनीकरण को मजबूती प्रदान की जा सके।

भारतीय रेलवे का सबसे तकनीकी संगठन है, जिसमें 80 हज़ार रेलवे इंजीनियर कार्यरत है तथा इन्हें ग्रुप बी का दर्जा देने से रेलवे को सालाना 150 करोड़ रूपयों की राजस्व की बचत होगी।

(ix) Need to mint adequate number of coins as also printing of small denomination of currency notes

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : आजकल गुजरात एवं देश के अन्य भागों में सिक्के की कमी महसूस की जा रही है जिसके चलते आम आदमी को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर व्यापारियों द्वारा शेष बचे रूपये, छुट्टे पैसे न होने पर ग्राहकों को नहीं देना और फटे नोटों को टेप चिपकाकर थमा देना इत्यादि व्यवहार हो रहे हैं। कई जगह पर तो प्रिन्टेड कूपन अस्तित्व में है, जो सिक्कों की जगह लेते हैं। यह सिस्टम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है।

मेरी केन्द्र सरकार से दरखास्त है कि इस संवेदनशील विषय एवं देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नये सिक्कों को बनाया जाए एवं नोटों में भी कम कीमत के नोटों को भी छापा जाये।

(x) Need to set up a Passport Office at Bharatpur, Rajasthan

श्री बहादुर सिंह कोली (भरतपुर): भरतपुर संभाग मुख्यालय केन्द्र है। इस संभाग के अंतर्गत धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिले आते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में विदेश आना-जाना रहता है लेकिन पासपोर्ट बनवाने के लिए जयपुर जाना पड़ता है जो भरतपुर से 200 कि.मी. व धौलपुर से 300 कि.मी. दूर है जिसके कारण आने-जाने में बहुत परेशानी होती है एवं खर्चा भी अधिक होता है जबकि राजस्थान प्रदेश के अन्य संभाग जैसे अजमेर, जोधपुर, उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय खोल दिये गये हैं। भरतपुर भी संभाग मुख्यालय है। अतः मैं सरकार से भरतपुर में पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की माँग करता हूँ। जिससे इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके।

(xi) Need to ensure adequate supply of water from Par-Tapi- Narmada Link project to North Maharashtra

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पार-तापी-नर्मदा लिंक हो रही है। पार नदी मेरे क्षेत्र दिंडोरी में आती है। इस संबंध में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ने एक रिपोर्ट 25 अगस्त, 2015 को आगे कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र शासन को भेजी थी। आगे यह रिपोर्ट सखोल छाननी के लिए महाराष्ट्र शासन ने पत्र क्र. संकीर्ण 2015(352/2015)/जसंअ/दि.08/09/2015 से महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थान मेरी नासिक भेजी है और उनको सूचना दी गयी है कि मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, मुंबई, मुख्य अभियंता, तापी पाठबंधारे महामंडल जलगांव मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नासिक से चर्चा करें और सुझाव दें।

इस योजना के अंतर्गत 1843 मिलियन घन मीटर पानी (महाराष्ट्र पानी की हिस्सेदारी 813 मिलियन घन मीटर पानी और गुजरात का 1029 मिलियन घन मीटर) उपलब्ध होता है। पार-तापी-नर्मदा लिंक से उत्तर महाराष्ट्र को अधिक से अधिक पानी मिलना चाहिए। वर्तमान समय में उत्तर महाराष्ट्र में व्याप्त सूखे से लोगों का विशेषकर किसानों का जीवन काफी दयनीय हो गया है और उनके रोजगार में कमी हो गई है। पार-तापी-नर्मदा लिंक से उत्तर महाराष्ट्र को काफी राहत मिलेगी।

सरकार से अनुरोध है कि पार-तापी-नर्मदा लिंक योजना की अब तक की स्थिति क्या है और महाराष्ट्र को कितना पानी मिलने वाला है और उत्तर महाराष्ट्र को पार-तापी-नर्मदा लिंक योजना अधिक से अधिक पानी दिलाए।

**(xii) Need to start construction of railway line from Lalitpur to Ramtek
as a part of North-South Corridor of Diamond
Quadrilateral Railway Project**

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : एन.डी.ए. की सरकार ने रेल का हीरक चतुर्भुज बनाने का संकल्प व्यक्त किया था, जिसमें उत्तर से दक्षिण की रेल यात्रा की दूरी कम करना राष्ट्रहित में जरूरी है। यदि देश के रेलवे के मानचित्र को देखें तो ललितपुर से रामटेक के बीच यदि सीधी रेखा खींची जाए तो वर्तमान की रेल यात्रा लगभग 200 कि.मी. कम होगी। यदि यह मार्ग बनेगा तो निश्चित ही मध्यप्रदेश के कई प्रमुख जिले दमोह, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी होते हुए महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ सकेंगे। यह रेलवे का मार्ग बुंदेलखण्ड की पुरानी मांगों के भाग्य का भी फैसला करेगा। वर्षों पुरानी खजुराहो-भोपाल रेल मार्ग का संरेखण भी इससे तय हो सकेगा। आगे जाकर मुंबई, कोलकाता वाया इटारसी जबलपुर रेल लाईन को पार कर यह नागपुर-कोलकाता रेलवे लाईन में जुड़कर ऐसे चतुर्भुज बनेंगे जो देश की चारों दिशाओं के लिए यात्रा सुविधाजनक बनायें।

खनिजों के परिवहन, यात्रियों की सुविधा, सुन्दर अभ्यारण्य की दृष्टि से पर्यटन तथा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस रेल पथ (हीरक चतुर्भुज) के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(xiii) Need to make 'Agriculture education' a compulsory subject
in school syllabus**

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : कहने को भारत कृषि प्रधान देश है पर बात जब कृषि शिक्षा की आती है तो सूत अलग नज़र आती है। हायर सैकेंडरी स्तर पर कृषि के पाठ्यक्रम में होने के बावजूद इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के बाद पढ़ाई जारी न रखने वाले अधिकांश छात्र खेती-किसानी में लग जाते हैं लेकिन इसके लिए न तो उन्हें औपचारिक ज्ञान होता है, न कोई प्रशिक्षण। परंपरागत तौर पर जो कुछ सीखा, वहीं उनका ज्ञान है।

सी.बी.एस.ई. के अलावा कई राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कृषि को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वैकल्पिक विषय होने के अलावा कृषि बागवानी के रूप में वोकेशनल कोर्स में भी मौजूद है। मगर हायर सैकेंडरी स्तर पर दो फीसदी से भी कम छात्र कृषि की पढ़ाई करते हैं। कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलनी है तो हाईस्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में कृषि की पढ़ाई को फोकस में लाना होगा।

कृषि क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाओं और कौशल विकास के दौर में अब कृषि को फोकस में लाया जाना चाहिए। हाईस्कूल स्तर पर उद्यमशीलता को कोर्स में शामिल करने की वकालत हो रही है। कृषि शिक्षा के साथ उद्यमशीलता को जोड़ने से आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते हैं।

आज हायर सैकेंडरी स्तर पर वहीं लोग कृषि की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें कॉलेज में इसकी पढ़ाई करनी होती है पर कृषि के अधिकांश ग्रेजुएट भी खेती के लिए इसकी पढ़ाई नहीं करते। वे उच्च शिक्षा और रोज़गार के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। हायर सैकेंडरी स्तर पर अच्छे सिलेबस, रोज़गारपरक प्रैक्टिकल के साथ इस विषय की पढ़ाई करवाई जाए तो कृषि के बारे में बुनियादी जानकारी होने के कारण इन सभी माध्यमों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ेगी। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कोशिशों के अलावा जनमत बनाने की भी जरूरत होगी।

कुछ दिनों पहले Dr S. Ayyappan (Secretaru of department of Agriculture Research and Education and Director General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) ने भी बयान दिया कि- "Students should have knowledge about agriculture from school-level itself. By class 5, they should have awareness about seeds. By class 10, they should know the process of cultivation."

अभी संपन्न हुए पेरिस सम्मेलन में भी विकसित और विकासशील देशों ने खेती पर नए सिरे से ध्यान देने की बात की थी। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि स्कूल स्तर पर कृषि शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य करें।

**(xiv) Need to introduce Air-India flights from Vancouver & Toronto in
Canada to Amritsar and Chandigarh in Punjab**

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA) : On an average one member in each family in Punjab is staying abroad. Majority of them are settled in Canada. Recently, I have met several NRIs who have lamented that inspite of having an International Airports at Amritsar and Chandigarh, they have to travel atleast 8 hours by road to and from Delhi to catch an International flight.

The recent law and order problems in Haryana have added to their safety concerns and ban on diesel run taxis in Delhi has aggravated their problems.

They have expressed a desire to have a direct air connectivity between Vancouver and Amritsar as well as between Toronto and Amritsar. For this they have brought to my notice that only a single Air-India weekly flight to both the cities can solve the purpose of connecting them with Amritsar. Similarly, another Air-India weekly flight to both the cities can solve the purpose of connecting them with Chandigarh.

In view of the huge demand of the NRIs, the above mentioned suggestions will be very much profitable to the Air-India as well.

**(xv)Regarding increasing atrocities against women of dalit
and backward communities**

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM) : The atrocities against women especially dalit and backward communities are increasing nationwide especially in Kerala. The bloodcurdling murder of a Dalit woman is snowballing into a major election issue in Perumbavoor Assembly constituency. The sitting MLA started facing the heat after the deceased girl's mother Rajeshwari came down heavily on him. She alleged that the MLA had turned a deaf ear to her repeated pleas for help. Meanwhile, the social media also took up the issue which further turned on the heat on the CPM MLA. However, local MLA refuted all the allegations levelled against him saying that Rajeshwari had never visited him seeking help for constructing a house. "There is no truth in the allegation as she never demanded help from me for constructing a house", he said. He also alleged that the police had handled the murder case indifferently. The whole matter brings out indifference of politicians to people in distress. The whole matter needs to be investigated afresh.

**(xvi) Need to set up a Kendriya Vidyalaya at Chandrakona in Arambag
Parliamentary Constituency of West Bengal**

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG) : In my Arambagh Lok Sabha Constituency, Chandrakona is an SC Assembly, which is in Paschim Mednipur district, which has no Kendriya Vidyalaya. The SC/ST and Backward Classes have been deprived of education in Kendriya Vidyalaya Schools.

There is only one Kendriya Vidyalaya in Tarakeshwar, Hoogly District which is 70 KM away from Chandrakona. The majority population of my Parliamentary Constituency consists of Backward and SC/ST population. The atrocity on the dalit student is continuing as the people of Arambagh SC Assembly; Goghat SC Assembly and Chandrakona SC Assembly are not getting the benefit of Kendriya Vidyalaya education.

It is sad to note that the birth place of Raja Ram Mohan Roy is facing this kind of sad situation.

(xvii) Need to stop the process of privatization of IDBI Bank

SHRI BALBHADRA MAJHI (NABARANGPUR) : Hon'ble Minister of Finance, Shri Arun Jaitley during his budget speech on 29th February, 2016 had said that the transformation/privatisation of IDBI Bank has already started. Government would take it forward and also consider the option of reducing its stakes to less than 50%.

IDBI Bank has been one of the PSU Banks with good track record and is paying dividend to the Government on regular basis. It is not understood under which circumstances the Government is thinking of reducing its stake and to make it a private bank.

On being privatised, it will be under no obligation to reserve posts for the under privileged (SC, ST, OBC, EBC, Physically handicapped, Ex-Serviceman, etc.) as has happened in the case of NALCO, CMC, Modern Bakeries, VSNL and many others privatised in the past.

Neither the IDBI Act, 1964 nor the Industrial Development Bank (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2003 have mentioned about the transformation/privatisation of IDBI anytime in future.

It is therefore, requested that the process of privatisation of IDBI Bank be stopped. If the Government thinks it is essential to privatise, the rule of reservation should be continued as Government share would continue to be there. Rather the rule of reservation should be applicable to all entities where there is government share, irrespective of percentage of share.

**(xviii)Need to take measures to address the problem of land subsidence in
East Godavari district of Andhra Pradesh**

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM) : Land subsidence (soil erosion) is taking place at Eduralanka in East Godavari district of Andhra Pradesh leading to submerging of villages affecting habitations of thousands of people as also agriculture. It is also affecting oil and gas exploration activities taking place in the region.

I urge the Government to take adequate remedial measures in the matter.

(xix) Need to treat heat wave condition as a natural calamity

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR) : Since the beginning of this summer season, 137 persons have died due to heat wave condition prevailing in Telangana.

Maximum 34 deaths were reported from Medak district. Besides Medak, 30 deaths in Mahbubnagar, 26 in Nalgonda, 10 in Rangareddy, 7 in Khammam, 13 in Karimnagar, 9 in Adilabad and 8 deaths in Nizamabad have been reported so far.

I, therefore, request the Government to consider heat wave as a natural calamity.

(xx)Regarding problems faced by the employees of Hindustan Antibiotics Ltd., Pune

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST) : Nearly 1050 employees working in Hindustan Antibiotics Limited, the first Pharmaceutical Company, established by the Government of India, in the year 1954 at Pimpri near Pune, Maharashtra, are not getting their monthly salaries. Today, 18 months' salaries are due to be paid by the Central Government owned company resulting into almost starvation like condition for those employees and their family members. The miserable condition of these employees has been published in the daily newspapers published from Pune and Mumbai.

To save the 1050 employees and their family members, I strongly urge the Ministry to ensure at least payment of wages as per payment of Wages Act on monthly basis.

It is to be mentioned here that in the last year also, I raised the issue on the floor of the House. At that time, the then Union Minister for Chemicals and Fertilizers had assured the House that the matter would be resolved but in vain.

I urge upon the government to mitigate the hardships of the employees immediately.

(xxi) Need to reorient the activities of post offices

SHRI DHANANJAY MAHADIK (KOLHAPUR) : The Indian postal network is largest in the world with 155,01.5 post offices in the country, 90 per cent of which, that is 139,144 is in the rural areas. It employs that 4.6 lakh people. While just around a quarter of the villages in the country have post offices, all inhabited villages have access to postal facilities.

The regular postal revenues are falling very fast. We need to take the following steps to keep the postal department relevant.

1. As part of initiatives to leverage the e-commerce sector, the department has forged tie ups with leading online marketplaces like Snapdeal, Amazon, Paytm and Yepme for parcel delivery and has also set up modernized 48 centres to handle the packages.
2. As a result of these efforts, "the parcel revenues have jumped by 37% in the last one year (2014-15), which is in contrast to 2% decline in 2013-14.
3. The e-commerce sector in India is growing at 47% CAGR and India Post is the only delivery agency with a pan-India reach.
4. Looking at the size and growth of a commerce business, 48 centres is too small a number for a network like Indian Post.
5. In digital India plan, we have to connect all the post offices on priority. They should have hub and spoke design for product delivery as well as pick up.
6. As of now, this department is used only as delivery mechanism. In fact, it should be used as pick up mechanism as well. We have huge number of craftsmen all over the country. Their main problem is that they have no access to the market. They will get this access only through this department if post also acts as pick up points.
7. Government should make it mandatory for all the e-commerce companies to source a particular percentage of their products' sale revenue through these craftsmen.
8. The postal department should also make last mile deliveries for the e-commerce platforms.

(xxii) Need to construct toilets along National Highways in the country

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी) : देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण की वृहद योजना घोषित की गयी है। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के तहत दूरस्थ ग्रामीण अंचलों की नीतियों को भी लक्ष्य बनाया गया है, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्य मंद गति से हो रहा है, परंतु हो तो रहा है। लेकिन अभी एक क्षेत्र नज़र से अछूता रह गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है और उसका विस्तार भी हो रहा है, परंतु इन मार्गों के किनारे शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था में चूक हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले यात्रियों को इन शौचालयों का अभाव बहुत अखरता है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे कम से कम प्रत्येक 30-40 किलोमीटर पर एक शौचालय के निर्माण की व्यवस्था को स्वीकृति दी जाये तथा देश में स्वच्छ भारत के प्रति आम आदमी के रूख में बदलाव पैदा करने के साथ वर्तमान असुविधा को भी दूर किया जाये।

(xxiii) Need to establish a new ONGC Basin in Karimganj district in Assam

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ) : It is well known fact that the NE zone is full of natural resources like gas, crude oil, etc. Now ONGC Cacher forward base Srikona under basin Jorhat has started activities in so many places under southern Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. Many drilling locations are either proposed or released for undertaking drilling operations. Close monitoring of exploration and other works from Jorhat is not easy on account of geographical distance and other reasons. Geographically, Jorhat covers Nazira and Sivsagar only. There is no direct air, rail or road connectivity between Jorhat and places mentioned above and forward base Srikona is facing huge loss on account of transportation cost. Past history speaks that Burma Oil Company in British period operated in these areas from Cachar district only. Now, Barak valley has become well connected by Air, Rail and waterways with the states like Tripura, Mizoram, Manipur and other parts of Assam also. Recently, Barak River has been declared as National Waterway No.6 by the Union Government. Transportation facilities through rail or ship are also possible if required. Both, in the past and presently, many sites of Karimganj district occupied by ONGC for their operational use have been abandoned. So, land will be available for creating new infrastructure as per demand of ONGC.

In view of the above, I request the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas to establish a New Basin in Karimganj district which will be very fruitful for operational works in the states like Mizoram, Manipur, Tripura and Southern part of Assam with Srikona forward base.

माननीय सभापति : माननीय रूडी जी, आप बोलिये।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, आज की कार्य सूची में 13 से 16 तक उत्तराखंड के बजट का प्रस्ताव रखा गया है और लेजिस्लेटिव बिजनेस में 17 से लेकर 19 तक उत्तराखंड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016 के संदर्भ में रखा गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आइटम नम्बर 20 को श्री अशोक गजपतिराजू की उपलब्धता के हिसाब से एंटी-हाईजैकिंग बिल पहले ले लिया जाए और उसके पश्चात तुरंत उत्तराखंड बजट ले लिया जाए।

माननीय सभापति : सदन की सहमति है।

अनेक माननीय सदस्य : सहमति है।

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप बोलिये।

14.10 hours**ANTI-HIJACKING BILL, 2016
(As passed by Rajya Sabha)**

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU):

Hon. Chairman, Sir, I beg to move:

“That the Bill to give effect to the Convention of the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

Sir, there is a slight difference from the previous Bill in the sense that the definitions have changed. Now it is becoming in-flight from closure of a door to opening of the door. Definitions have been expanded. This Bill had been introduced in the Rajya Sabha and was referred to the Standing Committee. The Standing Committee examined it, returned it with recommendations and these were brought before both the Houses of Parliament. There were four recommendations. Out of the four, three were basically agreed by the Government. The one which was not accepted was with regard to compensation. It is because that has been left in the realm of the Executive. It has been done so because some of them could be policemen, some of them could be covered by insurance. So, it was thought that this compensation angle should be kept with the Executive and not in the ambit of the Legislature. This was the only difference after the Standing Committee had come out with its report. But the basic thing is that the definitions have changed and they have been enlarged. The death penalty also has been brought in where if a death occurs, it could be a policeman, it could be a passenger, it could be anyone, then the people who perpetrate this nefarious act ought to be sentenced to death. So, this is the basic thing. I would like to request the hon. Members of the House to support the Government and allow aviation to be, particularly the hijacking aspect, in tune with world definitions.

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill to give effect to the Convention of the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in the debate on the legislation under the nomenclature, the Anti-hijacking Bill, 2016 which aims to give effect to the Convention for the suppression of unlawful seizure of aircraft and for matters connected therewith.

There is no question of opposing this kind of legislation. This legislation was first brought by the UPA regime headed by Dr. Manmohan Singh in the year 2010 and thereafter it was scrutinized, vetted and widely discussed.

Sir, to begin with, I would like to pay my tribute and obeisance to a great soul of our country, the late Neerja Bhanot who had laid her life for securing the lives of the passengers of a hijacked aircraft. This aspect of hijacking still looms large and is a frightening reality even today. Since Independence we have experienced seven nerve-wrecking hijacking incidents, which all happened in India. The first hijack took place in the year 1971; the second hijack that took place was of an Indian Airlines flight on 29th September, 1981.

The third hijack took place on 22nd August, 1982. A single militant hijacked Boeing 737 on its way to New Delhi from Mumbai carrying 69 passengers. Again, on 6th July, 1984, Indian Airlines jet flying from Srinagar to New Delhi was hijacked and forced to land in Lahore, Pakistan. In the same year, on 24th August, a domestic flight from Chandigarh to Srinagar was hijacked by seven young hijackers who demanded an Indian Airlines jetliner. In 1993, an Indian Airlines aircraft was hijacked on 24th April bound for Srinagar via Jammu from Delhi. The sole hijacker wanted to take the plane to Lahore but was refused by Pakistan authorities. The plane landed at Amritsar where the hijacker was killed thus freeing the passengers.

The memory is still haunting us, namely, the hijacking of IC 814 flying from Kathmandu. It was hijacked and diverted to Kandahar, Afghanistan which at that time was controlled by the Taliban. Before reaching Afghanistan, the plane

was flown to various locations including Amritsar, Lahore and Dubai. During the bargain with the Indian Government, the hijackers released 27 of 176 passengers in Dubai but fatally stabbed one and wounded several others. Harkat-ul-Mujahideen, a Pakistan-based Islamic extremist group, was accused of the hijacking. After a week long stand-off, India agreed to release three Kashmiri militants who were jailed in exchange for the hostages.

Again, in 2011, the Twin Tower demolition was carried out by the terrorists while using an aircraft as a missile – a new phenomenon which had still been bearing the sordid episode, the pathetic and exquisite episode of human history.

Sir, it is true that the civil aviation industry in our country has been growing exponentially since the new millennium. There is no doubt about it. You will be astonished to note that even in this year, the total aircraft movement at all Indian Airports is amounting to 1,56,048. It is 15.9 per cent increase in comparison to the corresponding year of 2015.

India is expected to become the third largest aviation market by 2020. It is not only that. We are poised to be the largest by 2030. But, when opportunities are growing by leaps and bounds, it has brought in its stride great vulnerabilities also. That is why, we need to be very vigilant and more holistic in our approach towards the security of our passengers.

Even today also, we have witnessed that one Russian jetliner was bombed by ISIS on the sky of Egypt. So, there is no let-up of hijacking or bombing of passenger aircraft which seem to be a very soft target for those nefarious elements and terrorists. Given this situation across the world, and in our country also, how much are we prepared to deal with exigencies arising out of the hijacking? We have already failed miserably in dealing with the hijacking of the Indian Airlines flight IC 814.

I would like to draw the attention of the hon. Minister by quoting former Research and Analysis Wing (RAW) Chief, A.S. Dulat, who made more revelation on the 1999 Kandahar hijacking, which has even shown how the Centre

failed to stop IC 814 from taking off from Amritsar Airport where Punjab commandoes trained in anti-terrorism operations were deployed to face the extremists. Dulat said, and I quote: “ That instead of passing on the instruction to the Punjab police to foil the hijack, both Centre and Crisis Management Group were worried about the collateral damage and thus goofed up their chance to stop the plane from flying to Kandahar, Afghanistan on 24 December. No one was willing to take a decision and in that confusion no instructions were passed on to the Punjab police which had moved in its personnel.”

Dulat, the chief of RAW at that time further said, and I quote: “As the Centre failed to take any decision, the flight took off, and thus began the blame game in Crisis Management Group. The CMG degenerated into a blame game with various senior officials trying to lay the blame for allowing the aircraft to leave Indian soil on one another; the Cabinet Secretary, being the head of the CMG was one target, and the NSG chief unfortunately became another.”, according to the Indian Express.

We have already witnessed the hijacking scenario of our country and the response that our Government had displayed during that crucial time. May I know from the hon. Minister the existing crisis management infrastructure in the country in order to deal with any exigencies? I know that today’s legislation pertains to another aspect of hijacking, especially the anti-hijacking legislation. However, these issues which I am raising are very much concomitant with the legislative document on which we are all dealing with.

The first anti-hijacking legislative document was explored in 1963 by the Japanese Government and the same is called the Tokyo Convention. That was the first legislative document to punish the offender involved in hijacking crime. There is a sequence of various Conventions and Protocols which had been culminated in this legislation. First in 1963, it was the Tokyo Convention.

Sir, in 1963, there was Tokyo Convention, in 1970 there was the Hague Convention, in 1971 there was Montreal Convention, in 1988 there were Airport Protocol, Suppression of Unlawful Act, Fixed Platform Protocol, in 1991 there was Plastic Explosive Convention, in 2005 Suppression of Unlawful Act Convention and also there was Fixed Platform Protocol, in 2010 there was Beijing Convention and also Beijing Protocol based upon which we are going to pass this Bill. The 2014 Protocol proposed to amend that Convention and certain other acts committed on-board aircraft.

There are various gaps and inadequacies which were observed by experts and various Governments across the world. The Diplomatic Conference held in Beijing, comprising representatives from 77 States adopted two new air law instruments, namely the Convention on the Suppression of Unlawful Act relating to International Civil Aviation and the Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. These new legal instruments criminalize the act of using civil aircraft as a weapon and using dangerous materials to attack aircraft or other targets on the ground.

There is an urgent need to update the existing air law instruments which this Government has been pursuing and I must support this step. The provisions of Clause 7 of this new Bill will enable India to register a case against hijackers if any Indian is hijacked in any aircraft anywhere across the world. Earlier, the offender has to be an Indian citizen or the aircraft has to land in India for a case to be registered. Here, the Beijing Protocol affirms the principles of fair treatment and non-discrimination.

The Bill also broadens the definition of hijacking by introducing an 'in-service' clause. Hijacking is currently limited by an 'in-flight' definition which the Minister has mentioned in his speech. Another important area that the Bill proposes to change is the trial of offenders. The proposed law would also give teeth to concerned agencies or security forces to immobilize an aircraft or prevent its take-off and also allow the Indian Air Force to scramble its fighters to intercept

a hijacked aircraft and force it to land. The other proposed amendments include powers to the agencies and forces to take stern action against those making hoax threats also.

Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister that all the security architectures are not being provided by his Ministry because security in airports in India is being provided by various agencies and various Ministries. I would simply like to warn this Government that USA was boasting that their security arrangement was impregnable. In spite of that, two aircraft were used as missiles to demolish the twin towers of the World Trade Centre at New York.

The screening machines used at all Indian airports are not foolproof. The perimeter walls of various airports in our country are porous. Even the Mumbai Airport is said to be sitting on a powder keg. It is like a sitting duck in view of its vulnerability. A few months earlier, we had faced the Pathankot airbase raid by Pakistani elements. I would like to give some suggestions. If the Minister wants, I can give him some suggestions; nothing else. It is because, it is a foregone conclusion that the Bill will be passed. It has already been passed in the Rajya Sabha. Compensation is one issue. Second thing which needs to be considered by all of us is that those hijackers are all motivated personnel. They cannot be deterred by simple legislation of death penalty; that I can say. It is because, those are indoctrinated suicide bombers. How can you prevent them to take aircraft? How can you secure the aircraft from the onslaught of those suicide bombers?

Here I can give you one suggestion that a method and system for preventing airplane hijacking provides for isolating the pilot and the cockpit from the passenger cabin of the airplane while nevertheless maintaining the necessary communication therebetween for assuring safety of the passengers and the airplane. Physical access between the cabin and the passenger compartment is restricted by a door which can be opened only from the cockpit, both the door and the associated bulkhead being of fire resistant, bullet-proof material. An audio system provides verbal communication only from the cockpit to the cabin, and not

in the reverse direction. Communication from the cabin to the cockpit is afforded exclusively by an electrical signalling system affording communication only of predetermined messages, specifically excluding any indication of hijacking attempts. The pilot's primary response to any emergency signalling indication is to land at the nearest airport. By assuring that all passengers are warned in advance of the installation in a plane of the system of the invention, potential hijackers are discouraged from even attempting to hijack a plane, since any effort to that end would be totally fruitless.

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात को समाप्त करें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजेश पाण्डेय जी।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, let me conclude.

माननीय सभापति : मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि आप अपनी बात को समाप्त करें तो आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए थी। आप अपनी बात को एक मिनट में खत्म करें।

...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Okay, hon. Minister, if you think more suggestions are required from other Members, I would request you to call up us over a cup of tea and we will have a threadbare discussion on it.

I am supporting the legislation and I would like to insert more legal teeth into this legislation. That will also be supported by us. Thank you.

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर): आदरणीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस गंभीर और अतिमहत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने सिविल मिनस्टर को बधाई देते हुए इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति जी, मैं अभी कांग्रेस के कलिंग अधीर रंजन जी की बातों को सुन रहा था। उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सिविल एविएशन के इतिहास में जो हाइजैकिंग्स हुई हैं, उनकी इंसिडेंट्स की जो फेहरिस्त गिनाई, उसमें उन्होंने वर्ष 1971, 1981, 1982, 1984 और वर्ष 1993 जिक्र किया, लेकिन मुझे लगता है कि *my colleague is a patient of selective amnesia, I can say, Sir.* जो चाहते हैं, वह उतना याद रखते हैं और जो भूलना चाहते हैं, उसे वह जानबूझ कर याद नहीं रखते हैं। 20 दिसम्बर, 1978 में एक हवाई जहाज की हाइजैकिंग हुई थी, जो हवाई जहाज दिल्ली से लखनऊ आ रहा था। उसे बलिया और आजमगढ़ के कांग्रेस के दो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने हाइजैक कर लिया। उसके बाद उसे वाराणसी ले गए। वाराणसी ले जाने के बाद उनके समक्ष अपनी मांगें रखीं। उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री वहां पहुंचे। यह एपिसोड पूरे देश को मालूम है, मुझे दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि पोलिटिकल लाभ के लिए पहली बार अगर इस देश में कोई हवाई जहाज हाइजैक किया गया था, अभी हमारे जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनकी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा हाइजैक किया गया था। इसे करने में सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात यह थी कि उसके बाद उन्हें न सिर्फ महिमामंडित किया गया बल्कि पार्टी का बाकायदा चार बार टिकट दिया गया और इस सम्मानित सदन का सदस्य भी बनाया गया जो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। ... (व्यवधान) मुझे लगता है कि यह सिविल एविएशन की एक बहुत ही खराब युग की शुरुआत हाइजैकिंग की हिस्ट्री में हुई थी।

मान्यवर, हाइजैकिंग अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। आज के ज़ीरो आवर में ओडिशा के एक मित्र बोल रहे थे। उनका कन्सर्न यह था कि जब वे हवाई जहाज में बैठे तो काफी देर बाद उन्हें बताया गया कि हवाई जहाज में टैक्नीकल स्नैग है। उसे ठीक करने के बाद वापस भेजा गया तो उनका अनुरोध था कि जब तक पूरी तरह हवाई जहाज की चैकिंग न हो जाए तब तक पैसेंजर्स को उसमें बैठने नहीं दिया जाना चाहिए। आदमी एक मानसिक यंत्रणा से गुजरता है जब उसे पता लगता है कि हमारा हवाई जहाज हाइजैक कर लिया गया है या इसमें कोई टैक्नीकल स्नैग है या इस तरह की कोई बात है। आम तौर से एक हवाई जहाज में डेढ़ सौ से दो सौ लोग होते हैं। हम 35-36 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हों और

उस समय हमें पता लगे कि हमारा हवाई जहाज हाईजैक कर लिया गया है तो उन दो सौ लोगों के मन में क्या गुजरती होगी, हम इसकी कल्पना तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं उस हवाई जहाज में हों।

20 दिसम्बर, 1978 को जब कांग्रेस के दो मित्रों ने हवाई जहाज हाईजैक किया था और उसे जब इस सदन में शील्ड करने की कोशिश की गई थी, अगर मैंने वह डिस्कशन सही पढ़ा है तो मुझे अभी भी याद है, उस समय आदरणीय सौगत दादा जी मैम्बर थे। उस फ्लाइट में जैन साहब, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। हमारे कांग्रेस के जो मित्र डिफेंड कर रहे थे, उनसे कहा था कि फॉर्चुनेटली आप उस हवाई जहाज में नहीं थे जो हाईजैक हुआ वर्ना शायद आप इतना न बोल रहे होते। कहने का अर्थ है कि यह बहुत ही गंभीर अपराध है और इसके प्रिवेंशन के लिए हमारी सरकार, माननीय मंत्री जी, यहां दोनों मंत्री आदरणीय गजपति राजू जी, आदरणीय महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। मैं इन दोनों को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने अब ऐसे लैजिस्लेशन्स इसमें इंटीग्रेट कर लिए हैं जिसकी वजह से हाईजैकिंग के इंसिडेंट्स, मैं यह नहीं कहता कि सौ प्रतिशत रुक जाएंगे, फिर भी इसमें बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है।

हाईजैकिंग का प्रोसेस जो टैरेरिस्ट्स या एक्टिविस्ट्स ऐडॉप्ट करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें **prevention is better than cure** वाली थ्योरी पूरी तरह ऐप्लाइ होती है। एक बार हाईजैक हो जाने के बाद हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं रह जाता, लेकिन हवाई जहाज हाईजैक न हो, इसके प्रिवेंशन के लिए हम बहुत सारे प्रोविजन्स कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं उस एयरपोर्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक कन्सर्न के तौर पर आदरणीय मंत्री जी के समक्ष एक सुझाव रखना चाहूंगा। हमारे देश में एक इंटरनैशनल एयरपोर्ट है। हम एक मीटिंग में थे। वहां यह बात आई कि इसकी पैरिफेरी 25 किलोमीटर की है और हर एक किलोमीटर पर हमारा सीआईएसएफ का एक जवान खड़ा है जो उसे गार्ड करता है। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि एक किलोमीटर का मतलब हुआ कि अगर एक किलोमीटर की पोस्ट पर एक जवान खड़ा है तो पांच सौ मीटर तक इधर वाला जवान गार्ड करता है, पांच सौ मीटर उधर वाला जवान गार्ड करता है। यह दिन में चल जाता है लेकिन रात में एक जवान के लिए 500 मीटर की दूरी तक देख पाना, 500 मीटर की दूरी में कोई इन्क्रोचमेंट न हो, कोई इन्फिल्ट्रेशन न हो, इसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाना बहुत आसान काम नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह अपनी सिक्युरिटी सिस्टम से स्वयं सेटिसफाइड हैं तो उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं हम सेटिसफाइड नहीं हैं। इसके लिए हमें नए किस्म के एडवांसड सिस्टम लाने पड़ेंगे जिससे हम एयरपोर्ट की सुरक्षा को बेहतर कर सकें।

मेरा अनुरोध है कि इस तरह के सिस्टम लगाए जाने चाहिए जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। चूंकि ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उनका आवागमन भी बहुत रहता है। हर बार

उनके आई-कार्ड से चेहरा मिलाकर अंदर-बाहर आने जाने दें यह प्रैक्टिकली बहुत संभव नहीं हो पाता क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इस विषय के कुछ ऐसे उपाय किए जाने चाहिए एक बार वह गहरी छानबीन और चेकिंग के बाद आ गए तो कोई बहुत विशेष आवश्यकता न हो तो उनके बाहर जाने पर रोक होनी चाहिए या अगर आते जाते हैं तो इफेक्टिव कंट्रोल और आइडेन्टिफिकेशन के लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। इसके साथ इसमें डिफिनेशन चेंज की गई, स्पीडी कोर्ट ट्रायल का जो प्रोविजन किया गया है उसके लिए मैं हृदय से माननीय मंत्री और सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है और डिक्लरेशन किया है उसके लिए भी हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आपको अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, I rise to support the Anti Hijacking Bill, 2016. This Bill has been earlier passed by the Rajya Sabha. So, it is almost compulsory for us to pass this legislation in the interest of the country.

Sir, hijacking is one of the heinous crimes to humanity that one can think of. This was first used as a political weapon by the Palestinian terrorists in the late 1960s. Sir, you must have heard of the famous hijacker, Leila Khaled who hijacked planes several times. They were only foiled by the Israelis when they took an aircraft to Entebbe in Uganda during the Idi Amin's regime, and the Israelis brought their own commandos by plane and were able to disarm all those people.

The earlier speakers have mentioned about several cases of hijacking that had taken place in the country. Of course, the most shameful case of hijacking was IC-814 during the NDA regime. When an aircraft from Kathmandu landed in Amritsar but still could not be taken over by the Indian security people, and ultimately it flew to Kandahar and we saw the spectacular thing for our Foreign Minister escorting the dreaded terrorist Massod Azhar to freedom in exchange of the lives of hostages.

Sir, an aircraft is the most vulnerable vehicle, up 30,000 feet in the sky in a pressurized cabin, and any small explosion can cause damage to the aircraft, bring it down causing the death of a large number of people. That is why, after this hijacking thing surfaced, the world stood up and took note, and in 1970, the Hague Convention was first passed. We passed our Anti Hijacking law in 1982. But it always remains a question in my mind when international conventions were adopted, why did India take such a long time to enact its own law – from the Hague Convention in 1970 to the Anti Hijacking Bill in 1982; then again from the Beijing Convention in 2010 to the Anti Hijacking Bill by Shri Ashok Gajapathi Raju in 2016. The huge time lag between passing of an international convention of

an offence, which is essentially international in nature, and the actual legislation in the country is something that we should take care of.

Sir, the new Bill defines various important things. Firstly, it defines what hostages are. Secondly, it designates a special agency, the National Investigative Agency (NIA) to investigate all hijacking related crimes. Thirdly, it calls for designated courts to have trials for cases of hijacking. Most importantly, in Section 3, the legislation states specifically what hijacking is; and the new sort of hijacking is the electronic hijacking.

Sir, you would be surprised to know that the Chinese have demonstrated this that by sitting in Beijing, they can immobilise an aircraft flying anywhere, with electronic jamming. We have not been able to develop our cybernetics to the extent that we can counter this. As an aircraft is a fully computer-dependent vehicle, and if somebody immobilises our aircraft to electronic jamming, there is little we can do. The aircraft is also dependent on its communication with the control tower. If that is put out of action, then also the aircraft becomes helpless.

I am happy that the Bill includes this matter – ‘whoever unlawfully and intentionally seizes or exercise control of an aircraft in service by force or threat thereof, or by coercion, or by any other form of intimidation, or by any technological means, commits the offence of hijacking.’ For the first time, in this Bill, this technological means of electronic warfare has been mentioned. So, the man need not even be on the plane itself. This is the point, I want to mention.

A mention has been made of the courageous efforts of Neerja Bhanot on whom a very popular current film has been made.... (*Interruptions*) The film is called *Neerja*; you have not seen it. You must see the Hindi films. They represent mainstream India.

So, all I want to say, Sir, is that the problem is very intricate. Section 3 and Section 5 are defining the offence of hijacking. The special designated court denotes which are the places where the courts can decide on issues of hijacking. So, the law has been made much better. Though in a hijack situation, it is mostly

death for one or the other, it is seldom that you capture the hijacker. Normally, you kill the hijacker or the hijacker kills or he blows up the plane and blows up himself.

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय जी, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय: सर, खत्म कर रहा हूँ। आप सुनिए। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप तो पक्के सोशलिस्ट हैं।

माननीय सभापति: समय का दबाव है।

प्रो. सौगत राय: ठीक है। समय का दबाव है, लेकिन डॉ. राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि इस हाउस को इंकलाब की रंगभूमि बनाना चाहिए। इसलिए कुछ भी बात है, तो यहां ही बोलना चाहिए। चूंकि आप पक्के लोहियावादी हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मुझे हाउस में बोलने के लिए ज्यादा टाइम देंगे।

माननीय सभापति: डॉ. राम मनोहर लोहिया जी भी यहां समय की सीमा में ही बात रखते थे। वे कभी भी आसन के आदेश का उल्लंघन नहीं करते थे।

प्रो. सौगत राय: डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने श्री राज नारायण जी को ट्रेंड किया कि हाउस को कैसे डिसरप्ट किया जाए। वे खुद नहीं करते थे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप चेयरमैन साहब को डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। वे अब जाकर गुरु गोलवलकर और भागवत जी के साथ आ गए हैं। उनको वे बातें कैसे याद आयेंगी? ...(व्यवधान) आपको अन्याय नहीं करना चाहिए। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: मैं हुक्मदेव नारायण यादव जी को वर्ष 1977 से जानता हूँ, जब वे जनता दल के सांसद थे। उस समय वे भाजपा के साथ नहीं मिले थे। आज वे जरूर दूसरी जगह हैं, लेकिन वे लोहियावादी ही रह गये। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत राय जी, आप विषय पर आकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : सौगत राय जी, लोहिया जी हमारे काफी नजदीक आ गये थे। ...(व्यवधान) हमारे साथ मिलकर उन्होंने कहा था कि अलग से... (व्यवधान) उन्होंने गैर कांग्रेसवाद को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जगह-जगह सरकारें बनवायी थीं। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: कलराज जी, आप यू.पी. के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन लोहिया जी का बेसिक थिसिस क्लास स्ट्रगल न होकर कास्ट स्ट्रगल था। ...(व्यवधान) कास्ट स्ट्रगल में वह हिन्दू समाज में बंटवारा देखते थे ...(व्यवधान) लोहिया जी का नाम आया, तो हमने दो-चार बातें बोल दी। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप विषय पर आकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: अम्बेडकर और लोहिया जी आर.एस.एस. को पसंद नहीं करते थे। ...(व्यवधान) अल्टीमेटिली मेरे तीन ही सजेशनस हैं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) Airport security is in the hands of the CISF. The Central Industrial Security Force is under the Home Ministry. I would like to know how much control your Ministry has on the CISF who are totally in-charge of frisking, checking and everything.

There is a Bureau of Civil Aviation Security. How is it functioning?

Lastly, I would like to remind you of perimeter fencing.

माननीय सभापति : इस बिल के लिए समय निर्धारित है, इसलिए उसी सीमा में उसे पास कराना है।

...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I will rush through this Anti-Hijacking Bill, 2014. The Bill is good and I support it except for a few clarifications that are required. This Bill was considered by the Standing Committee on Tourism, and *prima facie*, it seems okay.

I would like to mention two or three points. There is this point about compensation. It is not mentioned exactly how compensation will be fixed. It has not been left to the judiciary but to the executive as the hon. Minister said. So, in a way, it is good because then with the rising cost and with the rupee falling because of your governance system, they can give more money. The sad part is that nobody wants that money. Nobody wants to be compensated. No family of any air traveller would like to receive any compensation. Everybody wants their family members to be brought home safe and, therefore, I hope and pray *inshallah* that this is never used.

Death penalty has been stressed upon in this amended Bill. I do not know if death penalty was a successful method. Then we would not have had so many rapes and so many murders in this country. It is becoming a horrific social problem. So, I do not know whether death penalty alone will be a proper deterrent. I am not doubting this but death penalty should also be chosen for a very few specific crimes and in my opinion, rape is one such crime that definitely deserves death penalty, through a speedy trial.

The next thing is about what the hon. senior Member mentioned earlier. The CISF is a force that is guarding all our airports. Unfortunately, they are all very well meaning *jawans*, *sepoys* and *havildar* level people who are guarding the airports. The airports are very hi-tech establishments and the CISF is not trained or not equipped to handle the exigencies that might arise at any time.

We saw that during the first NDA Government when that aircraft from Kathmandu to Delhi was hijacked. When after it even landed in one airport in Punjab, our Forces were incapable of stopping that aircraft. All that they had to do

is, park a tanker in front. That would have been the end of the matter. We could not react on time. And, the NSA today is like the NSA of those days. So, that is something that should be thought about. The CISF is not the proper Force. I believe that it is time we developed a special force exclusively meant for airport security, which is trained in the latest technologies and its personnel are well behaved.

The behaviour is a major part. If they see a Minister coming with two black cats, they salute them and they let them pass through the line. Sir, since you would have travelled abroad a lot, it is no matter who comes, no matter who the passenger is, everybody goes through the same scrutiny. So, that list should be removed. No judges, no Ministers and nobody should be allowed because once we are in the air, it is our lives. It is not the lives of those people. When a judge or a Minister or some VIP comes, earlier you had to deal with their family members, कोई पोता है, कोई पोती है, कोई दोता है, कोई दोती है। So, in those situations, you have other people going along with them, who are definitely security threats and that should be taken care of.

The third point I would like to mention is that there are these hoax calls and fake hijacking like it happened in Egypt where a man wanted to meet his estranged wife. His wife had actually rejected him. His wife did not want to live with him for reasons unknown to the society and the world at large. But this man was so desperate for his wife that he hijacked a plane and forced it to land at Cyprus. You would have watched the video on the television the way he calmly and very coolly walked out of the aircraft. He just walked away. He was simply imprisoned whereas one of the crew members actually jumped out of the cockpit window and broke his leg. So, this was seen all over the world.

What I am trying to say is that, apart from commenting on the ability of our crew members and our cabin crew about which I do not wish to comment, I am also saying what special regulations you wish to put into place to control....

(Interruptions)

Sir, just because I am from Odisha, you are punishing me.

माननीय सभापति : समय कम है, आप जल्दी अपनी बात समाप्त करें।

श्री तथागत सत्पथी: एक घंटा समय दिया गया था।

माननीय सभापति : एक घंटे में इस बिल को पास करना था।

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Sir, all that I am saying is that, before I wind up, this is a Bill that the Biju Janata Dal supports but this is not stringent enough in the sense that it is not the punishment that matters. We must not allow hijacking to happen, and to stop that, at the security level and at the airport level you have to make things better which you are not doing. You must have no VIP treatment for anybody. Everybody must be the same. This VIP culture must end in India. Thank you.

SHRI M. MURLI MOHAN (RAJAHMUNDRY): Sir, I welcome this Bill and the TDP Party fully supports the Bill. I understand that in the backdrop of the recommendations made in the Beijing Conference in 2010, the Union Government has thought it appropriate to bring this Bill. India has been a signatory to the Protocol Supplementary to the Convention at Beijing on the 10th day of September, 2010, which deals with unlawful acts against civil aviation by new types of threats which require comprehensive amendments to the said Act. This Bill will replace the Anti-Hijacking Act, 1982. This is defining hijacking, and it awards death penalty for hijacking in certain cases.

The Anti-Hijacking Bill, 2014, introduced in Rajya Sabha in December, 2014, was referred to the Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture and the panel submitted its report in March 2015 suggesting various changes including making hoax calls a punishable offence and providing just and adequate compensation for victims of hijacking.

15.00 hours

Chapter - 1 of this Bill says that the National Investigation Agency (NIA) is constituted under Section 3 of the National Investigation Agency Act, 2008. My suggestion to the Government is that NIA should be further strengthened. Similarly, more manpower should be inducted in the CISF. Chapter – 2 of the Bill deals with death penalty. The perpetrators of hijacking should be punished with death penalty where such an act results in the death of any person.

15.0 ½ hours

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

However, the Bill does not provide compensation for the affected persons in hijacking. In case of untoward incident of grievous injury or death of Indian victims of hijacking on foreign carriers, I propose that a compensation package not be less than Rs.4 crore should be provided to the nearest relative of the deceased. I would earnestly request the Government to accept my suggestion.

Finally, I would request the Union Government to initiate a process with all developed and developing countries for setting up an international organisation on anti-hijacking for safety and security of the passengers. With these words, I fully support this Bill. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Before I call the next hon. Member to speak, I request all the hon. Members, who will deliver their speeches hereafter, to take only 5 minutes time. The time available for this discussion is very limited. So, I request the hon. Members to complete their speeches in five minutes.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I would not take much time of the House, but please do not hijack my time. I will only speak on a few points.

The background of this Bill is the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, which was earlier signed in Hague and recently in Beijing.

I would like to speak about the two points mentioned in clause 11 of the Bill. It provides that hijacking and related offences shall be extractible and that the

accused can be transferred to the country of their legal jurisdiction. Further, these offences shall not be treated as political offences.

In respect of first point I would like to say that extradition in every case would create a risk of inadequate trial of the accused. To illustrate this, I would mention the incident of the infamous Kandahar Hijack in December, 1999. The CBI had named 10 accused, which included seven Pakistanis, one Nepali and two Indians. They were all tried in the Indian courts and served sentences. Suppose extradition clause is accepted in every case, they would be tried in Pakistan and no justice would be done. So, we have to be very cautious about this point.

Secondly, the accused who were tried in the court for Kandahar hijack, were the same people who were again responsible for 9/11 Attack in America as well as attack in hotels in Mumbai. The second point is that these offences shall not be treated as political offences. Most of these accused are involved in political activities in Kashmir. Suppose you do not treat it as a political related issue, it is going to have serious ramifications – national as well as international.

I seek a clarification from the hon. Minister whether this extradition clause is applicable to only those countries which have signed the Beijing protocol or it is for all other countries. I also want to ask as to what measures are being taken to ensure that after extradition these accused would be given appropriate punishment in the court even of an enemy or inimical country.

Then, this Bill does not speak about the compensation. Recently, a Bollywood movie 'Neerja' has been released. It was an Pan Am flight, an American flight, which was hijacked wherein Indians as well as Americans were killed. After this incident the Americans were compensated whereas the Indians were not.

So, until and unless we make the compensation clause also very clear, irrespective of the country of origin of the people, there will be a fair amount of loss to the people. Especially if the advanced countries of Europe and America

refuse to pay compensation stating that law of their land does not allow compensation, we would be at a loss.

With these few suggestions, I would like to support the Bill. Thank you very much.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Chairman, Sir, the Anti-Hijacking Bill, which had been adopted in the Rajya Sabha in the year 2014, is now before this House as the Anti-Hijacking Bill, 2016.

The Bill seeks to repeal the Anti-Hijacking Act of 1982 to give effect to the Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970 and the Beijing Convention of 2010 to which the Government of India is a signatory. The Bill defines hijacking as seizing control of an aircraft in service unlawfully and intentionally. Related offence, they have maintained in the Bill, is the attempt and abetment of hijacking; making a credible threat to commit hijacking; and organizing or directing others to commit this act.

Sir, I have an objection in the case of punishment clause. In the punishment clause, there are three major things – death penalty, life imprisonment and confiscation of all properties. Here, I have an objection to the death penalty because of many of the stalwarts of our country as well as from other parts of the world have told that death penalty puts innocent lives at risk. We saw that. We, the people of India, cannot take that risk. Why shall we take that risk to catch the lives of others? Secondly, in case of death penalty, we have seen that race and place determine who lives and who dies. There are so many instances which stand as example in our country and elsewhere in the world also which show that it is determined on the basis of caste, creed, race, religion and other things. So, this death penalty should not be here in the Bill. Thirdly, for imposing death penalty, we have to pay millions of rupees. Instead of giving death penalty, if we accommodate the victims, the processing of the case takes so many years. In this process, the family members of the victims face a great deal of trouble. So, instead of giving death penalty, if we spend that money for the purpose of safety and security of the family members of the victim, I think, it would be better.

We have seen that poor quality of defence could result in death sentence to one while relieving the other of death sentence. In so many cases, we have so many examples. I would like to give an example from one advanced country. In

USA, in 68 per cent cases the matter has been reversed where death penalty has been proclaimed in the name of strong defence. So, my request is that it should not be there inside the Bill. Capital punishment does not deter crime.

Now, I quote a matter and I think that all will appreciate it. The Father of our Nation, Mahatma Gandhi, said that : “An eye for an eye makes the whole world blind.”. Could we make it possible to stop crime by giving death penalty? The father of our Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar also said in the case of death penalty. The architect of the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar said : “They certainly adhere to the principle of non-violence as a moral mandate which they ought to observe as far as they possibly can.”. He further said that : “The proper thing for this country to do is to abolish the death sentence altogether.”.

So, it is my request and I urge upon the Minister that death penalty should not be there and other stringent actions should be there for people who are involved in cases of hijacking.

With these words, I conclude my speech.

SHRI Y.V. SUBBA REDDY (ONGOLE): Sir, I thank you for allowing me to speak on this piece of legislation.

Aircraft hijacking is also known as skyjacking and sky- controlling is an unlawful seizure of an aircraft by an individual or a group of individuals. We know that in majority of cases pilot is forced to fly as directed by the hijackers. But there are very few occasions like the twin-tower attack where hijackers themselves flew the aircraft. The motive behind skyjacking differs - sometimes hijackers demand release of terrorists like in the IC 814 incident; to highlighting grievance of a particular community like in AF 8969; or to use the aircraft as a weapon / missile to target a particular location as we have seen in the 9/11 incident. So, it is very important to look at the motive behind hijacking.

Looking at the increasing gravity of the situation in the international community, we first had the Tokyo Convention in 1963; then, we had the Hague Convention in 1970; then, we had the Montreal Convention in 1982; and the latest Convention is the Beijing Protocol in 2010. The objective of all these Conventions is to take care of hijacking. Now, the Bill is on the lines of the Beijing Protocol and we welcome this move.

The Bill is laying more emphasis on punishing culprits and not on prevention of crime. There is no doubt that we have the Aviation Security Force, Quick Response Team, Committee of Secretaries on Aircraft Hijacking, Central Committee, Aerodrome Committee, etc. But none of the above was able to stop the IC 814 incident. So, I strongly feel that instead of dealing with hijackers and hijack, the Government has to lay emphasis on preventing hijacking itself.

Sir, the next point is that the hon. Minister may be aware that in August, 2005 we had unveiled our Anti-hijacking Policy. It came into force after the Cabinet Committee on Security approved it. This policy may be one of the basis for bringing this new Bill by repealing the 1982 Act. It is because one of the

objectives of the policy is to give death sentence if a person or group of persons is found guilty of hijacking.

But, there is another initiative in the policy, which says that the plane will be shot down if it is deemed to become a missile heading for strategic targets. It is not that it is there only in India. The US fighter pilots have been trained to shoot down hijacked commercial aircraft. Poland has this provision and even Russia has this provision.

So, I would like to know this from the hon. Minister. When he has come before this House with a new Bill, what prevented him from including a provision in the Bill to shoot down aircraft if it becomes missile heading towards strategic targets or civilian pockets or other important destinations?

Finally, Sir, compensation to victims cannot be ignored; rather it has to be given priority. This Bill is silent on this. Secondly, you cannot distinguish compensation on the basis of victims. You cannot have one kind of compensation if one is a security personnel and another kind of compensation if one is a passenger. There is no doubt that insurance will be there for passengers. But this is in normal circumstances. In extraordinary circumstances like hijacking and then killing, what kind of compensation is going to be given to passengers? The Bill is silent on that. So, I want the hon. Minister to reply to this point also.

With these observations, I support the Bill. Thank you.

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, एंटी हाईजैकिंग बिल, 2016 के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। यह बिल राज्य सभा से ऑलरेडी पास हो चुका है और लोक सभा में भी लगभग सभी पार्टियों के लोगों ने इसे समर्थन दिया है। यह बिल देश हित और मानव हित में है इसलिए सभी लोगों का सपोर्ट इसे मिला है। इसके लिए मैं सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ।

महोदय, भारत देश ने जो प्रोटोकॉल सप्लीमेंटरी बीजिंग कनवेंशन में वर्ष 2010 में साइन किया था, उसके मुताबिक इस बिल में अमेंडमेंट होकर आ रहा है। जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदण्ड तक की सजा का प्रावधान है। मैं मानता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा प्रावधान मंत्री महोदय जी ने किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा लेकिन साथ ही साथ वर्तमान और भविष्य में जो आतंकवादी गतिविधियाँ और चुनौतियाँ देश और दुनिया के सामने हैं, ऐसे समय पर इस बिल में इस तरह का परिवर्तन करना बहुत ही अनिवार्य था।

महोदय, आतंकवादी गतिविधियों से तो अमेरिका जैसा देश भी बच नहीं पाया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हमारे सामने है। कितनी बड़ी और भयानक घटना पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया के देश जो बदलाव कर रहे हैं। इसका स्वागत हम सभी लोगों को करना चाहिए और आने वाले दिनों में आतंकवादी जिस प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, उससे भी आगे जाकर सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है।

महोदय, सौगत राय जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बतायी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी प्लेन को हाईजैक करने की सम्भावना हो सकती है। इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए और फ्लाईंग पैसेंजर्स का सपोर्ट लेते हुए, क्यों न हम जितने भी फ्लाईंग पैसेंजर हैं, उनका डाटा रखें। जिसमें उनके परिवारजन, उनकी एक्टिविटी लेवल इत्यादि की जानकारी हो। इससे सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत कुछ लाभ पा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जितने भी हाईजैक हुए हैं, उसमें फ्लाईंग पैसेंजर्स के माध्यम से कितने हुए हैं और अन्य माध्यम से कितने प्लेन हाईजैक हुए हैं? वीआईपी पैसेज के माध्यम से कितने हाईजैक हुए हैं? इससे आने वाले दिनों में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ध्यान दे पाएंगी।

महोदय, कम्पनसैशन के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां अपनी बात रखी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब वर्ल्ड कनवेंशन में डिसकस होता है और वर्ल्ड कनवेंशन में डिसकस होने के बाद यह

तो हो ही नहीं सकता है कि विदेश के लोगों को कम्पनसैशन मिले और भारत देश के लोगों को न मिले या छोटे देश के लोगों को न मिले। यह सम्भव नहीं हो सकता है क्योंकि जब इतने बड़े फोरम पर डिसकस करके कोई नियम-कायदा बनता है तो कम्पनसैशन सभी को एक जैसा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी व्यवस्था इसमें होगी। अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में उसकी व्यवस्था किस तरह से करेंगे, इस बारे में मंत्री महोदय बताएंगे तो देश के लोगों का मार्गदर्शन होगा।

महोदय, एक अच्छे बिल पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : महोदय, आपने मुझे यान हरण विधेयक, 2016 पर बोलने की अनुमति दी, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, समय का अभाव है, मैं केवल दो-तीन बातें माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। इसके इतिहास और भूगोल पर काफी चर्चा हो चुकी है। आज के वैश्विक वातावरण में निश्चित तौर पर आतंकवादी गतिविधि बढ़ गयी हैं। यह ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा माध्यम है जो फास्ट तो है, लेकिन इसमें यात्रा करने वाले यात्री बिलकुल पंगु हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, जबकि रेल व अन्य यातायात के साधनों में यह सम्भव है।

महोदय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी ओरिजन के हिसाब से कम्पनसेशन तय नहीं होना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने भी इस बात को रखा है। दूसरी बात यह है कि माननीय सत्पथी जी ने जो कहा कि सीआईएसएफ एक बैस्ट आर्गेनाइजेशन है और इसके लोग बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन विशेष इमरजेंसी के काल खंड में एनएसए के तौर पर कोई ऐसी जमात खड़ी की जानी चाहिए और उसे इतना ट्रेन्ड करना चाहिए कि हम इसका मुकाबला कर सकें।

तीसरी बात यह है कि जहाज में सफर करने वाले चाहे कितने बड़े वीआईपी हों, राष्ट्र की कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए। चाहे हम वैल्युएबल लाइफ खो दें, चूंकि देश का स्वाभिमान, सॉवरेनटी उसमें जुड़ी होती है। इसलिए आगे के घटनाक्रम में कभी भी टैरिस्ट्स के सामने आत्मसमर्पण न करें। मैं समझता हूँ कि इसमें इसका भी प्रावधान होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : सभापति महोदय, आपने मुझे एंटी-हाईजैकिंग बिल, 2016 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मैं यहां सरकार के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। जहां हम एंटी-हाईजैकिंग बिल की बात करते हैं, आज ही एंटी-हाईजैकिंग एक्ट, 1982 का एक अमैन्डमेंट है और जैसे हमारे देश ने बहुत अच्छी तरह जाना, सीखा और उसके बाद इम्पलिमेंट किया। मगर आज हमें कंधार के बाद इस बिल को यहां लाने में 17 साल लग गये। मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकार इसे जल्दी ले आती तो कहीं न कहीं दुनिया के अंदर और जिन देशों में आज ये बीजिंग कंवेन्शन वाले लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, वे लोग भी हमें देखकर कुछ सीखने का काम करते। यहां मेरे से पूर्व सभी सांसदों ने एक चीज कही। आज हमारे एयरपोर्ट्स की सिक्युरिटी सीआईएसएफ को दी हुई है। यह बहुत अच्छी बात है कि हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सिंग के हाथों में एयरपोर्ट की सिक्युरिटी है। परंतु उसमें एक लेकुना यह है कि सीआईएसएफ का जवान किसी फ़ैक्टरी में भी ड्यूटी करता है, वही एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी करता है और कहीं दंगे हो जाएं तो वहां भी उसकी तैनाती कर दी जाती है। हमें एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनानी चाहिए, जो एक लीस्ट प्लेन्स के लिए ट्रेन्ड हो कि प्लेन के अंदर घुसना कैसे है। पूरी दुनिया में आज हम यूएस और यूके को देखते हैं, वहां एयरपोर्ट्स पर ऐसे ट्रेन्ड जवान हैं, जो एयरोप्लेन के केबिन के नीचे से घुसकर यात्रियों की जान बचा सकते हैं। हमने अपने यहां फेल्योर देखा, जब अमृतसर में प्लेन उतरा, हम उसका टायर पंचर भी नहीं कर पाये, वह प्लेन यहां से उड़ गया और यूई में हमारी एजेन्सीज बैठी थीं, वे भी वहां उसे लैंड नहीं करवा पाईं और लास्ट में कंधार में जाकर हमें मौलाना अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को छोड़ना पड़ा। लेकिन क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि दो सौ से ऊपर भारतीय नागरिकों की जान खतरे में थी।

महोदय, आज मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में अमैन्डमेंट लाकर इस बिल के तहत ऐसी स्पेशल फोर्सिंग बनाइये, जो हमारे एयरपोर्ट्स को प्रोफेशनल तौर पर सिक्युरिटी दे पायें। इसके अलावा मेरे से पूर्व सभी सांसद कह रहे थे कि जो प्रोटोकॉल है कि कुछ लोगों की कोई चैकिंग नहीं होती। हमने खुद पिछले समय में देखा है कि ... * को स्पेशल प्रिफरेंस दे दी जाती है तथा अन्य कुछ बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है। हम जानना चाहते हैं कि जजेज को क्यों छोड़ा जाता है, मिनिस्टर्स को क्यों छोड़ा जाता है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं। हमें सबको सिक्युरिटी कवर के अंदर लेना चाहिए। आज हर एक की सिक्युरिटी चैक होनी चाहिए। अगर हमें अपने सिक्युरिटी फोर्सिंग पर विश्वास है तो हर एक की सिक्युरिटी चैक होकर हमें एयरोप्लेन में जाना चाहिए।

* Not recorded.

अंत में मैं एक चीज मंत्री जी को उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। पीपीपी मॉडल की सरकार बात करती है। आज किसी एयरपोर्ट को देख लीजिए। दिल्ली एयरपोर्ट जीएमआर को दे दिया। उसका ग्राउंड स्टाफ अलग प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। मैं समझता हूँ कि यदि हम ऐसे बिल्स लायेंगे तो भी हम अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पायेंगे। क्योंकि मल्टीपल प्राइवेट एजेन्सीज आने वाले समय में हमारे देश की सुरक्षा में बाधा डालने का काम करेंगी। मैं आग्रह करूंगा क्योंकि यह एयरपोर्ट्स एविएशन इंडस्ट्रीज से संबंधित हैं, इसलिए लार्जर स्केल ऑफ डेंजर हमें यहां देखने को मिलता है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। हमें प्राथमिक तौर पर देश की सुरक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट एजेन्सीज प्रोपर सिक्युरिटी चैक्स के बाद एयरपोर्ट्स पर डिप्लॉय करनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : सभापति महोदय, देश ही नहीं विश्व की आर्थिक, ग्लोबल, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह से संरचनाओं से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। यदि तेल की कीमत बाहर घटती है तो हम परेशान हो जाते हैं। यदि कहीं ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हम भी परेशान होते हैं। यदि आर्थिक रूप से कोई अन्य देश दिवालिया होता है तो पूरी दुनिया परेशान होती है। इसीलिए यह देश के लिए नहीं, यह भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो संपूर्ण विश्व एक है और हम एक-दूसरे से कहीं न कहीं लिंकड हैं। जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, आप सुरक्षा की बात कहते हैं, हमें एक बात कभी-कभी समझ में नहीं आती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारों को केंद्र बिंदु क्यों नहीं बनाया गया है। आप उग्रवादी किसी कौम और धर्म के आधार पर तय कर देते हैं। दलित है, कमजोर और वंचित वर्ग है, समाज में भूखा है, कोई आदमी पेट के खाने के लिए भूख होता है, तो उसको चोरी हो जाती है, वहीं दुनिया लूट कर चली जाती है तो वह चोर नहीं कहलाती है और गरीब आदमी को सजा हो जाती है। उग्रवादी कहीं दलित हो जाते हैं, आतंकवादी कहीं मुसलमाल या कहीं कोई हो जाता है। आतंकवादी के खिलाफ पूरा का पूरा सदन आपके समर्थन में है। लेकिन इसके राजनीतिक दृष्टिकोण को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था, जिनके कारण से पूरे देश और दुनिया में आज इस तरह की स्थिति बदली है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मेरा दूसरा आग्रह है कि टैक्नोलॉजी के रूप में पूरी दुनिया में हमारा तीसरा स्थान है, नीचे से तीसरा स्थान है। आपके इंटरनेट पर है। आप टैक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करेंगे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है कि जैसे सीआइएसएफ का मामला हो या आईटीबीपी बॉर्डर पर सिक्योरिटी कर रही है। आज आईटीबीपी बॉर्डर पर सिक्योरिटी कर रही है, लेकिन आईटीबीपी के प्रमोशन के मामले आज 20 सालों से रुके हुए हैं, उसकी स्थिति इतनी बुरी है, आर्थिक सामाजिक रूप से बुरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप उन जवानों को टैक्नोलॉजी से ले कर आर्थिक रूप से ले कर आगे बढ़ाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मेरा अंतिम मुद्दा डेथ पेनल्टी से है। पूरी दुनिया में विकसित देश डेथ पेनल्टी के सवाल को नकारती है। जो सामाजिक और सांस्कृतिक लोग हैं, साहित्यकार है, एतिहासिक लोग हैं, जो ऊँचे मूल्य और नैतिक में जीने वाले लोग हैं, हाई मोरल वाले लोग हैं, वे डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी सॉल्युशन नहीं है। सॉल्युशन है राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप को कैसे दृष्टिकोण को लाया जाए। कैसे हम उस ओर प्रगति कर विकास करें। यह सबसे बड़ा सॉल्युशन है। मेरा आग्रह है कि इन चीजों को जरूर ध्यान में रखा जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति महोदय, आपने मुझे एंटी हाइजैकिंग (यान-हरण) विधेयक 2016 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

सरकार, 2010 में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुसार बीजिंग प्रोटोकाल ऑफ दि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन के अनुरूप एक सशक्त यान-हरण कानून का प्रस्ताव ले कर आई है। यह स्वागत योग्य कदम है। इस कानून की जरूरत सन् 999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान संख्या - 814 के अपहरण के बाद महसूस किया गया है। इस विमान को अपहरण कर कंधार ले जाया गया था और अपहरणकर्ताओं ने तत्कालीन बीजेपी की सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और सरकार द्वारा खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। फिर 11 सितंबर, 2001 को अमरीका में अंतकियों द्वारा वहां के नागरिक विमानों का अपहरण कर उसे मिसाइल के रूप में प्रयोग किया एवं पूरे विश्व को सदमें में ला दिया। वहां हजारों नागरिक मारे गए। अमरीका की शान वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को नेस्तनाबूत कर दिया। इन घटनाओं के बाद पूरा विश्व इस बात से सहमत हुआ कि विमान अपहरणकर्ताओं एवं उसके साजिशकर्ताओं व परोक्ष और अपरोक्ष रूप से शामिल सहयोगियों को कठोर से कठोर दण्ड देने का प्रावधान हो। इसी क्रम में विश्व में कई देशों में कठोरतम कानून तो बन गए, किंतु अपने देश में इस तरह का कानून बनने में 5 वर्षों का समय लग गया। यह अच्छी बात है कि कानून में मृत्यु दण्ड का प्रावधान है। इस तरह से कठोर कानून से अपहरणकर्ता निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर होंगे। आज कल देखा गया है कि जिसके पास कम बुद्धि है, वैसे लोग भी इस तरीके के काम करने के लिए उतारू होते हैं। फिर मालूम होता है कि वे व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में दण्ड या सजा इसी के अनुकूल होनी चाहिए साथ ही इस कानून में प्रावधान है कि कठोर दण्ड के साथ-साथ अपराधियों की सम्पत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।

महोदय, आप जानते हैं कि ज्यादातर घटनाओं में अपहरणकर्ता व साजिशकर्ता उस देश के नागरिक नहीं होते हैं, जिस देश का विमान होता है। इस परिस्थिति में दूसरे देश के नागरिक की सम्पत्ति कैसे जब्त की जाए, इसके लिए भी कानून का प्रावधान रखना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, यह जो कानून आया है, यह बहुत पहले आना चाहिए था। इसीलिए कि जब विमान अपहरण हुआ था और कंधार की घटना घटी थी तो देश हिल गया था। इसमें मैं कोई ज्यादा उधर इंगित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो विमान अपहरणकर्ता थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत थी। उस हुकूमत के समय में कंधार में जाकर के छोड़ना पड़ा, समझौता करना पड़ा और एक से एक देश में, दुनिया में ऐसी अपहरण की घटनाएं घटती आई हैं। आतंकवादी ताकतें, साजिश करने वाली ताकतें और देश के अमन और शांति को भंग करने वाली ताकतें भारत के अन्दर भी और दुनिया के अन्दर भी विमान अपहरण की घटनाओं को अंजाम देने का काम करती रही हैं। आज हमें सोचने के लिए बाध्य किया गया है कि आज हमारा यात्री सुरक्षित रहे, यात्रा हमारी सुरक्षित रहे और इसके लिए कठोर से कठोर सुरक्षा का, संरक्षा का हमें कानून बनाना है। इस खतरनाक स्थिति से, जिससे भारी बदनामी देश की होती है व दुनिया में आतंकवादी ताकतें सरकार से लोहा लेने के लिए अपनी शक्ति लगाती हैं। आज की तारीख में जो यह बिल आया है, यान अपहरण करने वाले के खिलाफ इसमें कठोर से कठोर प्रोविजन किया गया है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और जो पूर्व की घटनाएं घटीं, उन घटनाओं को याद करते हुए हमें कठोर से कठोर कानून बनाना है। हम इस बिल का स्वागत करते हैं।

SHRI GEORGE BAKER (NOMINATED): People have come forward with suggestions regarding Anti-Hijacking Bill. All I want is that if proper electronic equipment is used at airports, it would not only prevent hijackers from being able to enter with certain equipment on their body. It would also prevent incidents like one that happened yesterday at Kolkata airport. There was tremendous smuggling of gold that came to light.

People are questioning death penalty. I don't. There is no doubt that one death will not serve the purpose. What I want is questioning the number of people who have been saved. Whatever compensations are laid down may be given to those people.

The next thing is that Congress people criticized the first NDA Government for escorting the culprits to freedom, as one may say. I want to ask what action they would have taken to save those 232 lives on that plane. I have nothing more to say. Thank you.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I am grateful to the House, in fact to all sections of the House, for supporting this Bill.

15.35 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

Of course in the course of the debate, many issues have been raised but, through you, I would like to bring one thing to the notice of this House. Indian security is by and large good. No doubt the Home Department might have more to do with it than the Civil Aviation Department but departments are administrative convenience and everything is in a totality. So, we need to look at it in totality. Change being a continuous process and security being a mix of manpower and technology, these things will keep changing. We are at it.

The history of hijacking within India has not been very good. It is not confined to a single government as such. It has been going on. We have a total of 19 incidents within the country. We have learnt not only from these 19 incidents but we have learnt from incidents outside the country also.

A lot of little, little things have been said: “Should we not have a specialised aviation security force?” Of course, these things are being looked into and constantly monitored and upgraded as and when they are required. As far as civil aviation is concerned, the Bureau of Civil Aviation Security set the patterns and those patterns are followed by whichever agency mans and manages those airports. We have multiple agencies manning airports but by and large CISF is managing a large number of airports.

We have a Hijacking Contingency Plan in place. I think, that should not be discussed here at all. If you have any suggestions, please give it to us; we will keep that in mind when we work.

Of course, people have talked about one kilometre distance within the perimeter walls and all that. But modern science looks at all these things. As I told you, it is a mixture between science and technology. Of course, during the night time when it is dark, there is the issue of what is called ‘night vision binoculars’. A lot of things are there.

I am happy that the whole House is together in supporting this Bill. Probably one question that was asked was about the delay in bringing these Bills. We agree that there is a delay. Two International Conventions took place and we missed them out. But that is how we work. If we as Parliamentarians decide to work as Parliamentarians ought to, I think, India could be second to none as far as speed of legislation is concerned. It is for us to decide. We decide everything together. Individually, if there are any doubts, I can address those doubts of hon. Members. I am grateful to the whole House for having supported this Bill. ...
(Interruptions)

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Are you condemning Parliament? ...
(Interruptions)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Good Lord, I do not have the guts to condemn anybody, much less the Parliament! None of us can condemn anybody. For instance, scope for improvement exists everywhere. Even in us, a scope for improvement exists. We should try to harness it and go ahead. One should take a positive attitude and go ahead. We need not condemn anybody but we need to identify weaknesses and devise strategies to overcome those weaknesses. We are working at it.

I am grateful to the House for having supported this Bill but I cannot agree with certain Members who do not want the death penalty to be there. Actually, to my mind, if a person does not respect another person's life, it is not really worth respecting that person's life. I do not know this. Let us think about it. But this has come from an international conference and all those countries which are signatories to this are accepting the death penalty in such cases. I think India should be with other countries. There is no point in taking a holier than thou attitude. I think all of us have to be practical and work together to overcome this menace. I thank the whole House for supporting this Bill.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury has given two amendments. I would request him to withdraw these amendments. I think I can request him.

HON. SPEAKER: Yes, you can request him.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I think it is perfectly democratic to request an hon. Member.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): You are the only man who his speaking democratically.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I thank the senior Member like Khargeji for praising me. Either I am blessed or I am cursed. It cannot be anything in between. So anyway, I am thankful to him. He has talked about technological means. I would say that this legislation covers that. The Indian legislations come into force when the official Gazette is notified. If it is not notified, the Bill has to say that it will come into force immediately so that as and when Rashtrapatiji signs it, it could become a law. These things are there.

The idea of taking time was for framing rules and putting things in place so that the legislation can be implemented at the earliest and which would be a reasonable time not like Beijing Conference to now. That happened in 2010 and we are now in 2016 but a reasonable time of three to six months in which whole thing can be done. That is why, I would request you to kindly withdraw it. I am grateful to you also for supporting the Bill.

SHRI R.K. SINGH (ARRAH): In fact, this is a clarification for the whole House. Many hon. Members raised the question as to whether we have the wherewithal, trained units and specialized units for intervening in hijacked situations. I would like to inform the House that we do have all that. We have units which are specifically trained for intervening in hijacked situations. That is one clarification for the House.

I want to give one suggestion to the hon. Minister. जो हाईजैकिंग होती है, वह एक ब्लैकमेल का प्रोसीजर है। जो लोग एयरक्राफ्ट और पैसेंजर्स को सीज़ करते हैं, वे फिर कंट्री को ब्लैकमेल करते हैं। हम लोग इसके भुक्तभोगी रह चुके हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यह पॉलिसी बनाई है कि वे हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, ब्लैकमेलर्स के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। हम लोगों को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि यह घटना फिर हो सकती है और फिर हम लोग ब्लैकमेल के सबजैक्ट हो सकते हैं, जबकि 250-300 पैसेंजर्स वहां हाईजैकर्स के कब्जे में आते हैं और किसी पैसेंजर को मारा जाता है तो जो भी सरकार रहती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, वह प्रेशर में आ जाती है। एक पैसेंजर मारा गया, दूसरा पैसेंजर मारा गया, फिर सरकार प्रेशर में आ जाती है, इसलिए डिक्लेयर्ड पॉलिसी सरकार बनाये कि हम हाईजैकर्स के साथ किसी भी परिस्थिति में निगोशिएशन, समझौता नहीं करेंगे, यह कानून का पार्ट होने की जरूरत है, बल्कि एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी होनी चाहिए। धन्यवाद।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Clauses 1 Subclause (2) provide that this Bill will extend to the whole of India. It also applies to the offences committed outside India by any person but the expression “any person” has not been defined. There are some judgments of the Supreme Court where the offence was committed by a company but the persons who ran the company were also held responsible under the criminal jurisprudence and criminal law. I would like to know from the hon. Minister that whether meaning of ‘any person’ will also include the juristic person or the expression ‘any person’ is only a natural person.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, I would like to first mention to the hon. Minister that I have already extended my whole-hearted support to the proposed legislation. During the discussion on the Bill I raised certain issues and an answer was expected to those issues were

expected from his end but the hon. Minister resorted to some wishy-washy statements insofar as the issue of perimeter is concerned. Perimeter is a vital component of an airport security.

I am referring to a report published in today's newspaper. It says that on March 29, passengers aboard Spicejet flight 614 and Air Mauritius flight 746 deplaned and streamed out of the airport oblivious that the two aircraft had a near miss and narrowly avoided collision in the Chennai Airport. From miscommunication to wrong instruction, there have been a variety of reasons for such near misses and in Delhi, Mumbai, Chennai there have been 26 near misses. So, it is a grave situation. So, what I tried to emphasis is that on the one hand opportunities have been growing exponentially, but on the other hand, in its stride it has also brought various vulnerabilities. Those have to be corrected. We faced 26 near miss situations this year. What does it mean? It means that there is a serious lacuna which needs to be corrected.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I think, it is a bit over-played here. The hon. Member under plays certain and over plays certain things. Like, the hon. Member thought that there were only eight hijacks in India, while we had 18 of them. So, I cannot question the hon. Member and cannot belittle him like he has belittled me. This is not done.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I have not belittled you. Please do not misinterpret my statement. I have expressed my concern... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not interrupt like this. Shri Adhir Ranjan Chowdhury, this is not the practice. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You cannot make fun of me like this... (*Interruptions*)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I cannot make fun of anything that an hon. Member says here. I cannot do that, even if it is untrue I cannot make fun of it. I know my responsibility... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, you do not answer him. If you have to say anything you say, otherwise you leave it.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: This is not the way. Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan, this is not done. You will not say anything.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I do not want to be wishy-washy. I try to assist the hon. Members of Parliament. It is my duty to assist them. He has raised certain things, but we do not belittle our security. They are also doing a good job... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Minister, do not listen to him.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I said nothing to belittle you... (*Interruptions*)

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam Speaker, I can only request, through you, to ask him to write and send it. I will read it out... (*Interruptions*) Let him write his answer, I will read it out. Now, the concerns expressed by the hon. Members... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, if you do like this I will have to ask you to go out.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Chowdhury, if you do like this, then I will have to name you. This is not the practice. Please take your seat. This is not the practice. You please take your seat. You will not speak even a single word now. Nothing, except what the hon. Minister is saying, will go on record.

... (*Interruptions*)... *

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: Madam, on whatever points they have raised, I will personally write to them answering those questions. I would request everybody to come together to pass this Bill. Since you have supported this Bill,

* Not recorded.

thanking you very much for it on behalf of the Government and myself, I request you to pass this Bill.

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 Definitions

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 Hijacking

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I beg to move:

“Page 3, *after* line 23, *insert*—

“(f) takes control of or seizes the office of Air Traffic Controller of the aerodrome..” (2)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 2 to Clause 3 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 21 were added to the Bill.

Clause 1 Short title, extent application and commencement.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I beg to move:

“Page 2, *omit* lines 7 and 8.” (1)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 1 to Clause 1 moved by Shri Adhir Ranjan Chowdhury to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 1 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula, the Preamble and the Long Title were added to the Bill.

SHRI ASHOK GAJAPATHI RAJU: I beg to move:

“That the Bill, as passed by Rajya Sabha, be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as passed by Rajya Sabha, be passed.”

The motion was adopted.

15.08 hours

UTTARAKHAND BUDGET, 2016-17

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to present a statement of estimated receipts and expenditure of the State of Uttarakhand for the year 2016-17.

15.08 hours**MOTION RE: SUSPENSION OF RULE 205**

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move the following:

“That Rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, insofar as it requires that there shall be no discussion of the Budget on the day on which it is presented to the House, be suspended, in its application to discussion of the Budget of the State of Uttarakhand for 2016-17 to enable same day presentation of and discussion on the Budget.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That Rule 205 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, insofar as it requires that there shall be no discussion of the Budget on the day on which it is presented to the House, be suspended, in its application to discussion of the Budget of the State of Uttarakhand for 2016-17 to enable same day presentation of and discussion on the Budget.”

The motion was adopted.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: We will now take up item Nos. 15 and 16 together.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I am on a point of order. You cannot suspend the Rule like that.

Rule 388 says:

“Any Member may with the consent of the Speaker move that any rule be suspended in its application to a particular Motion before the House. And if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being.”

Here, rule 388 says about any Member. These rules are meant only for this House and a Member of this House can move this and not the Member of the other House. With great respect to Shri Arun Jaitley, he is a Member of Rajya Sabha.

He cannot move this Motion under Rule 388. ... (*Interruptions*) Under Rule 388 he cannot move it. Had it been 'any Member' or 'Minister' then he could have moved it. But here it only says 'any Member'. So 'any Member' means 'any Member' of this House as these rules are meant only for this House not for Rajya Sabha. So, this is one aspect.

Another aspect is this. I know that he is going to take the support of Rule 2. Rule 2 says, "A Member means a Member of the House of People, Lok Sabha". So, according to that definition, he should be a Member of Lok Sabha. It won't apply for others.

Therefore, my objection is that he does not have any authority to move this Motion for suspension of Rule 205. So, that is very wrong. I want a ruling on this. Then, we can proceed for discussion.

SHRI ARUN JAITLEY: Under the constitutional scheme, a Minister can be a Member of either House of Parliament with the right of audience in both Houses of Parliament. You please refer to Rule 2. Shri Kharge ignores the opening lines of Rule 2, sub-rule 1. In these Rules unless the context otherwise requires a definition *per se* is always contextual. Now, in the context of Rule 388, a Member has the right to move for suspension of the rules. Now, in the definition of the Member in the context of Rule 388, there are three definitions. One is Member which Shri Kharge read out. 'A Member' means 'a Member' of the House of People. The next is 'Member in-charge of the Bill', means a Member who introduces the Bill and any Minister in the case of the Government Bill. The third definition is, 'Minister' means a Member of Council of Ministers which includes Deputy-Minister and Minister of State.

So, in the context of Rule 388, because the context so requires, otherwise the Constitution becomes unworkable that a Minister who is a Member of one House has a right to address the other House, but he has no right to move a Motion under Rule 388. Therefore, in the context of a Minister, the Member in-charge of the Bill, the Rules have taken a special care to define it as separate. Therefore,

under Rule 388 both the Member and the Member in-charge of the Bill will contextually be deemed to be the Member of the House.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: You should agree that there is a lacuna in the rules. ... (*Interruptions*) आप सुनिए।... (व्यवधान) आपके लीडर बोल रहे हैं।... (व्यवधान) इतना नोट कर लेंगे... (व्यवधान) आपको कुछ मदद करने वाले हैं।... (व्यवधान) आपका चीफ व्हीप का पद कायम है।... (व्यवधान)

So, my contention is that either we have to amend this Rule or we have to go according to the Rules and ask somebody else to move it. Otherwise a Member of Rajya Sabha cannot move this Motion. That is my contention.

SHRI ARUN JAITLEY: In the context you have to just give it an interpretation.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Those definitions are different. You read the definition of Member. In that, there is no mention of this. If you read that, 'a Member' means 'a Member' of the House of People. That is all. There is further explanation to that. The definition for Member in-charge is a different matter. It is not linked with the first. Madam Speaker, the power vests with you.

16.00 hours

HON. SPEAKER: Two things are there. Member in charge of the Bill also can move the Motion. The other thing is, if you see our Constitution, article 88 says that every Minister and as a Minister, he has the right; and that is why I overrule. Article 88 overrules Rule 388 as regards moving of the Motion by the Minister. So, as Member in charge of the Bill, he can move it. Now that I have given permission, he can move the Motion.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): So, you have yourselves waived.

HON. SPEAKER: Yes.

PROF. SAUGATA ROY : So, you have helped out the Government in that manner.

HON. SPEAKER: What is it that you are telling?

PROF. SAUGATA ROY: You yourself waived the Rule 388.

HON. SPEAKER: I have not.

PROF. SAUGATA ROY: Somebody from the Government side have to move it. You have given a ruling. It is okay. But somebody should move that the Rule 388 be kept in suspension for the movement of this Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: It has to be given only one interpretation. You can't make the Constitution of India redundant by reading down a rule.

PROF. SAUGATA ROY: Then, you dispense with the rules. You read only the Constitution of India.

16.01 hours**UTTARAKHAND BUDGET (2016-17) – GENERAL DISCUSSION
AND
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (UTTARAKHAND), 2016-17**

HON. SPEAKER: Now the House will take up General discussion and Demands for Grants on Account (Uttarakhand).

Motion moved:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos.1 and 3 to 31.”

DEMANDS FOR GRANTS

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I will just give the brief context in which the moving of this Bill is a constitutional necessity. Under the Constitution, the Legislature of every State shall have to pass its own budget. As far as the State of Uttarakhand – I should not be misunderstood because these issues are pending, even before courts - notwithstanding what the courts decide, the passage of this Bill is a constitutional necessity. Otherwise, there will be a grave crisis as far as Utharakhand is concerned.

On the 18th of March, Vidhan Sabha of Utharakhand took up the budget. It is now stated and alleged that nine Members of the Ruling Party voted against the budget. Therefore, the simple arithmetic seems to suggest that the.....

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): They have not voted. There was no voting at all. The budget was passed by voice vote.

SHRI ARUN JAITLEY: Voice vote is also a voting. Since Shri Kharge has raised it, let me give the facts. I did not want to get into grey areas. Madam, 27 Members gave in writing that 'we want a division'. Thereafter 36 Members told the Governor in writing that 'we have voted against the budget, and we wanted a division'. This is the first time in the history of Independent India that out of 67 Members present, 35 or 36 are giving it in writing stating that they have voted against the budget, and the budget is still declared to be passed. Therefore, there is a serious doubt and a cloud whether a budget has been passed or not. After the budget was passed, the Speaker of the House has to certify and write to the Governor that the budget has been passed, and the Governor has to accept that.

From 18th till the midnight of 27th of March, when the Council of Ministers recommended action under Article 356, no recommendation or certificate had come that the budget has been passed. On the morning of 28th of March, President's rule was proclaimed. Thereafter, on the afternoon of 28th of March, the Governor received a certificate from the Speaker – on 28th of March – which is

dated 19th of March saying that 'I had already on 19th of March declared the budget to be passed'. The Reports of the Governor *prima facie* say that there is a doubt and a cloud because the number seem loaded against the budget. The fact that nine Members have been disqualified means that the nine have voted against the Party, and therefore against the budget. If nine have voted in favour of the budget, and the budget was passed, there is no reason why they should have been disqualified. The very fact that the Speaker had disqualified them itself is an evidence. You can't have it both ways. Nine have been disqualified because they voted against the budget. So, the Government would have gone.

I do not want to go into these areas. Now there is a serious doubt about the passing of the Budget. On the 31st of March, having proclaimed the President's Rule, the Central Government was faced with a question as to what happened to the so-called Budget that has been passed on the 18th of March. Was it passed or was it not passed? No Appropriation Bill has been authorised by the Governor as yet. When the President's Rule was proclaimed, even a certificate from the Speaker had not come and so, from the 1st of April, the State would have been pushed into a further constitutional crisis that not a rupee to be spent by the State of Uttarakhand would have been authorised. So, the Secretariat would have stopped working, their office here in Delhi would have stopped functioning, salaries would not be payable, the High Court would have stopped functioning, if there are vehicles, nobody would put fuel into the vehicles because no money was sanctioned with effect from the 1st of April, and, therefore, on the 31st of March, to avoid such a constitutional crisis, more as a matter of abundant caution – because what happened on the 18th of March itself was a grey area and highly doubtful that it had been passed – we issued an Ordinance in support of the Appropriation Bill itself, sanctioning the appropriation for the financial year 2016-17. It is that Ordinance, along with the Budget, has come up for consideration before this House today.

Since then, there were multiple challenges. One is a challenge with regard to the voting rights of nine people which we are not concerned in the debate today. The second is a challenge which some Members of the Congress Party have made saying, 'no, this Appropriation Bill is not necessary because we believe that on 18th March the Budget had been passed and the Speaker's certificate is the final declaration to that effect.' That matter has not even come up for hearing; we do not know what the courts will do on that matter. There is a third matter where the High Court said that the Proclamation under Article 356 is not valid; that matter is taken up in appeal; that matter was heard and tomorrow the *Vidhan Sabha* meets to decide what is to happen again.

Now, various things can happen. The previous Government can continue and be revived, a new Government can come in or the President's Rule can continue. This does not reflect on any of these three situations. If any new Government is formed of either party, it will be entitled to call for its own Session of the *Vidhan Sabha*, pass its own Budget and make changes to whatever we are doing. Alternatively, if the President's Rule is to continue, then I have asked for an appropriation for a period of four months so that the expenditure of the State can go on meanwhile. Even if a new Government comes in of either party as a result of what happens tomorrow, with effect from the 1st of April, till the *Vidhan Sabha* passes its Budget again, because of this cloud of 18th March, the expenditure undertaken has to be sanctioned and that can only be sanctioned under this Budget. Therefore, irrespective of what happens tomorrow, if there is a new Government which comes in or the old Government which comes in or the President's Rule continues, the due course of the Constitution will follow. But, in any of these situations, we do not want a constitutional crisis there that tomorrow a situation comes where the expenditure with effect from the 1st of April has not been sanctioned.

Therefore, as a matter of abundant caution, as a constitutional necessity, we should approve the Budget, the appropriation for a period of four months and the Ordinance which has been issued. In case a popular Government is installed in the State, it will be entitled to call its own *Vidhan Sabha* Session and then correct whatever changes that they want to make. We are not making any detailed provisions, but we are just providing for the expenditure and the receipts itself so that the constitutional necessity can be fulfilled.

Now, this is not contingent on what happens tomorrow. The only area it is contingent on is because there is a serious doubt about passing of the Budget. The Congress Party may well contend that on 18th of March the Budget was passed; *prima facie* the number suggests that it was not passed. Therefore, we can leave that dispute as a political contention between the two of us. But this is a constitutional necessity where the Lok Sabha has its own duty to perform and, that is why, I am recommending to this House that these proposals of the Government be accepted.

HON. SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I have a small point.

HON. SPEAKER: What is it?

PROF. SAUGATA ROY : I am concerned because this is involving the Speaker. As we know, in this House, the Speaker is supreme. When you pass the Budget in this House, it is you, Madam, who certifies that this Budget has been passed. I am not going into the sordid tales of horse trading allegations made.... (*Interruptions*) Just one moment. The Speaker of the Uttarakhand Assembly gave in writing that the Budget has been passed by the Assembly. If I go by the recent trends in Court judgement, the Speaker's opinion in any matters regarding legislation, defection is final. I may inform you, Madam, you may already be knowing that today the Uttarakhand High Court has held that the anti-defection action against the nine dissident MLAs by the Speaker was correct and it has been upheld. So my contention is that we should do nothing that impinges on the absolute authority of

the Speaker at the Centre or the State to interfere in the matter. I think that, yes, what Mr. Jaitley has said as a responsible Finance Minister, it is his duty to see that administration does not come to a standstill, that the cars can be fuelled, the Secretariat may open etc. He is taking care of that contingency. I am talking of another contingency; if a Speaker says, yes, the Budget has been passed. He says that *prima facie* it appears that nine people did not vote. That is *prima facie*; it has no proof. In a voice vote, who knows whose voice is the loudest? Two people may shout louder than 20 people. So my contention is that in such a situation, we should not have hurried to have the Appropriation Bill regarding Uttarakhand to be passed. It is because, it is a question of upholding the supremacy of you, Madam Speaker. If you change the law, change the Constitution, if you give the Election Commission power to decide on anti-defection, that is a different matter. The law as it stands today is that with regard to giving certificates, like if you give a certificate that this is a Money Bill, this is the last word. Not even the President of India can interfere. If you give a certificate that these are people who are disqualified on grounds of Anti Defection Law, nobody up to now can do anything about it. If the Uttarakhand Speaker gives a certificate that the Budget is passed, whether it is in good faith, whether he was correct, whether the drama was sordid etc., I do not want to go into this. I want your considered ruling on the matter regarding the supremacy of the Speaker in the House and in the legislative Business. That is all, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Gaurav Gogoi.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, because this issue repeatedly arises, I think, we should set it at rest. I substantially agree with what Mr. Saugata Roy is saying. Article 212 clearly says, the proceedings of the Legislature are not to be questioned in any House before a court. Therefore, when a Speaker gives a ruling, the mandate of the Constitution is that the Speaker's ruling cannot be questioned in court. These days, I find that Mr. Saugata Roy is very charitable towards the principal Opposition Party.

PROF. SAUGATA ROY: No, I am not.... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: No, you are.

PROF. SAUGATA ROY: They campaigned against us... (*Interruptions*) I am very hostile to them.... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Even when your Party outside this House and in the other House strongly opposes them, you alone are seen supporting them. I have seen it on more than one occasion. ... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): This is a misinterpretation; I strongly disagree.... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: I will tell you where he goes wrong.... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: We are maintaining equidistance.... (*Interruptions*) To Narendra Modi ji, Sonia ji, Rahul ji, Sitaram Yechury, all parties, we have shown big thumbs up to them. On 19th May, we are showing the results.... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, where is the difference? What do you do? Let us take a hypothetical situation. A Budget or a legislation itself in a State Assembly is defeated. The Speaker says: "Even though the measure in front of me has defeated it, I declare it passed." If Mr. Saugata Roy is right then the Constitution is helpless.... (*Interruptions*) Now, Speaker is the master of the House. Members in writing demand a division or members orally demand a division. The proceedings of the Vidhan Sabha indicate: "A division was asked for but I declared it passed." ... (*Interruptions*) Please, have the patience. Now, when you have taken up their brief, you must get the answer. ... (*Interruptions*) What does happen? Can, under Article 212, the court go into it? The answer is 'no', the court still cannot go into it. You are right. But under Article 356, there is no greater violation of the Constitution than a violation where a Speaker wrongly interprets the arithmetic and a Government, which should have gone that day, he saves the Government by wrongly counting the arithmetic. Now, please understand. If a Budget fails, the Government has to resign. A Speaker declares a

defeated Budget as passed. Is it failure of the Constitutional machinery under Article 356? The answer is 'yes'. Can a court go into it under Article 212? The answer is 'no'. So, you are absolutely right. If a Speaker misconducts himself and declares a failed Bill as passed, the court will still have to accept that. But the President's satisfaction under Article 356 is not limited by powers of the court under Article 212. The President can still say: "This is the best example of the failure of the Constitutional machinery that a failed budget is being declared as passed. A Government, which should have fallen that day, is being allowed to continue." It is nowhere our case that under Article 212, the court should go into it. The President took cognizance of this and the President, through the Council of Ministers, came to the satisfaction that 27 plus 9 is 36. Thirty-six constitutes a majority in a House where 67 people are present. Therefore, if 36 say: "I have voted, in writing, against the Bill or the Budget, and the Speaker declares it passed, that is a failure of the Constitutional machinery. The Governor, therefore, has rightly not given assent to the 18th March Bill. In the absence of Governor's assent, there is no Budget. There is no Appropriation Bill. Therefore, the State will be pushed on the 1st of April into a Constitutional crisis. It is, therefore, required that the Centre steps in and the Lok Sabha under Article 356 does its own duty and passes the Appropriation Bill of the State.

PROF. SAUGATA ROY: If the Speaker does something, the President or the Governor has no right to call the Speaker's decision right or wrong under Article 356 or whatever. But still to disprove Mr. Jaitley's allegation that I am getting closer to the Congress Party, we, the Trinamool Congress, will support him to prove that we are not snuggling up to anybody. We are equally opposed to BJP and the Congress, CPM combined.

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

दूसरा, ऐसा लगता है कि एक कोर्ट में हम दो वरिष्ठ लॉयर्स की बातें सुन रहे हैं और कहीं हम भूल गये हैं कि यह बिल भारत के बहुत ही सुन्दर राज्य से जुड़ा हुआ है। वह राज्य उत्तराखंड है, जिसकी आबादी एक करोड़ है। वह बहुत ही सुन्दर जगह है। लाखों लोग वहां गंगा के किनारे प्रार्थना करते हैं, चार धाम की यात्रा करते हैं। मैं भी उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, गैरसैण, अंजनीसैण, गया हूं। हम हिमालय के पर्वतों पर जितना ऊंचा जाते हैं, उतना हमें लगता है कि हम भगवान के और करीब आ गये हैं। शायद इसीलिए उत्तराखंड का नाम देवभूमि है। आज उस उत्तराखंड के लोगों को, उस उत्तराखंड की संस्कृति को हमें यहां पर लाना चाहिए। वहां के लोगों के अंदर की आत्मशक्ति और संस्कृति के प्रति प्रेम दिल को छू लेता है। कुछ ऐसे गाने हैं जो एक बार जुबान पर आ जाएं तो जाते नहीं हैं, चाहे बेड़पाक हो, बारमासा हो, या नया गाना हो जैसे - बंटी तेरो मोबाइल, वाह भाई क्या तेरी स्माइल। उत्तराखंड की और खूबसूरत बात वहां के लोग हैं। कुछ यहां पर भी हैं, मैं स्वयं उनसे मिला हूं। 1970 में उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत करके पूरे देश को आवाज दी कि अगर अपने भविष्य का संरक्षण करना है तो स्वयं जमीन पर आना पड़ेगा। आप मानो या न मानो टिहरी आंदोलन में भी सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के लोगों ने दिखाया कि उनके अंदर कितनी आत्मशक्ति है। उनकी आवाज, उनके सपने 9 नवंबर, 2000 को साकार हुए जब उत्तराखंड, उत्तरांचल का जन्म हुआ। इसके बाद 2006-2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड का नामकरण हुआ। इतिहास में एक बात देखी गई कि इस देवभूमि के लोगों में देव शक्ति है, दिव्य शक्ति है, ये संविधान का सम्मान चाहते हैं। उत्तराखंड के लोग लोकतंत्र चाहते हैं। उत्तराखंड में तीन बार असैम्बली इलैक्शन हुए हैं, तीन बार लोकसभा इलैक्शन हुए हैं। हाल में ही असैम्बली इलैक्शन 2012 को हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने क्या मांगा, कांग्रेस की सरकार। ये उनके सपने हैं। वे लोकतंत्र के अधिकार का पालन करके कांग्रेस सरकार लेकर आए। इस र्वा के आरंभ में एप्रोप्रिएशन बिल उत्तराखंड के उन्नयन और भविष्य के लिए लेकर आए। लेकिन लगता है कि यहां पर बड़ा भाई रायसीना हिल पर बैठा हुआ है। बड़ा भाई चाहता है, छोटे राज्यों में क्या हो रहा है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। वह अपना अहंकार दिखाएंगे।

मैं कुछ फैक्ट्स और महत्वपूर्ण तिथियां आपके सामने रखना चाहता हूं। वरिष्ठ मंत्री यहां पर हैं, उन्होंने इतिहास बताया, लेकिन शायद सबको इतना मालूम नहीं है इसलिए उन लोगों के लिए मैं आपका ध्यान कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि

उत्तराखंड के लिए आपके दिल में कितना लगाव है और आप लोग राजनीतिक उद्देश्यों को कितना सिर पर रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, 18 मार्च को बिल पारित हुआ, मनी बिल था, एप्रोप्रिएशन बिल था। स्पीकर ने 28 मार्च के लिए एजर्न किया। आपने जैसा कहा कि कुछ विरोधी थे, बिल पारित हुआ कि नहीं हुआ। आपने खुद कहा कि कोर्ट नहीं देख सकता कि असेम्बली की प्रोसीडिंग कैसे हुई। लेकिन अगर असेम्बली में मेजोरिटी दिखानी है तो मेजोरिटी दिखाने का एक ही उपाय है, जो 1996 के बोम्मई में जजमेंट में थी - “Majority can only be proved on the floor of the House.” 20 मार्च को गवर्नर, स्पीकर, मुख्यमंत्री तीनों ने मिलकर निर्णय लिया कि 28 मार्च को फ्लोर टैस्ट होगा। 28 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता लेकिन क्या हुआ। 26 मार्च को असम के जोरहाट टाउन में प्रचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को रात को रुकना था, लेकिन रायसीना हिल से कहीं से फोन आया कि हाई कोर्ट की जजमेंट हाउस के कम्पोजिशन नौ एमएलए पर बीजेपी के हित में नहीं गई है, कुछ करना पड़ेगा। हमने पहली बार देखा कि रातों रात 26 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री प्रचार छोड़कर आए और 12 घंटे में 27 मार्च को प्रेज़ीडेंट रूल की घोषणा हो गई। ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या जिम्मेदारी, ऐसी क्या जल्दी थी? यह आपकी कैसी राजनीति है कि रातों रात आपने डिसाइड किया? ...(व्यवधान) आप अभी से उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, अभी तो मैं फैक्ट्स बता रहा हूं।...(व्यवधान) आपकी यह हलचल उत्तराखंड में भी दिखाई दी कि जब 28 मार्च को फ्लोर टैस्ट था, आप 28 मार्च तक रुक नहीं पाए। गवर्नर ने कहा कि फ्लोर टैस्ट करो लेकिन आप फ्लोर टैस्ट के लिए रुक नहीं पाए और 27 मार्च को प्रोक्लेमेशन दे दिया। 29 मार्च को सिंगल बेंच का एक आर्डर आता है कि संविधानिक तरीके से दोबारा फ्लोर टैस्ट 31 मार्च को करते हैं और देखते हैं कि हाउस में किसकी मेजोरिटी है। इसे भी केंद्र ने चैलेंज किया और दूसरे फ्लोर टैस्ट से भी बीजेपी भाग गई और 31 मार्च को 13642 करोड़ रुपए का आर्डिनेंस लाते हैं। ऐसी क्या जल्दी थी, अगर 27 मार्च को आपने प्रेज़ीडेंट रूल लगाया तो उसी दिन आर्डिनेंस लाते, ऐसा क्या हुआ कि आपमें 31 मार्च को अचानक उत्तराखंड के प्रति सहानुभूति जाग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस मई को, यानी कल फ्लोर टैस्ट होगा। कल पता चलने वाला है कि उत्तराखंड सरकार का बहुमत किसके हाथ में है। आप एक दिन भी रुक नहीं पाए। ऐसी क्या जल्दी है कि आज ही एप्रोप्रिएशन बिल और आर्डिनेंस बिल को लाना था जबकि कल ही फ्लोर टैस्ट होने वाला है। आप फ्लोर टैस्ट से डरते हैं। यह तीसरी बार हो चुका है कि जब भी फ्लोर टैस्ट आया है, बीजेपी हमेशा कोई न कोई ओब्सटेकल लगाती है।

अध्यक्ष महोदया, आज बीजेपी की राजनीति में दो शस्त्र आ गए हैं पहला आर्टिकल 356 और दूसरा आर्डिनेंस। हमने इस साल के शुरुआत में कांस्टीट्यूशनल दिवस मनाया था। हमने बहुत भाषण दिए और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को याद किया लेकिन हम उनके आदर्शों और उनकी आकांक्षाओं को भूल चुके हैं। डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं कहा था कि आर्टिकल 356 रेयर आफ दि रेयरेस्ट केस में होना चाहिए लेकिन आपकी सरकार ने तीन महीने में ही दो बार इसका यूज़ किया। बिहार और दिल्ली के चुनावों से पता चल गया कि चुनाव के माध्यम से तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे और आर्टिकल-356 और आर्डिनेंस के द्वारा जो आपके नए राजनीतिक अस्त्र हैं, इनका उपयोग कांग्रेस मुक्त भारत के लिए प्रयोग करेंगे।...(व्यवधान)

महोदया, मैं अब वित्त मंत्री जी की स्टेटमेंट की बात करना चाहूंगा। उन्होंने पहले कहा कि बिल पारित नहीं हुआ। प्राइमाफेसी एविडेंस से बिल पारित नहीं हुआ। सदन में आधार बिल आता है, उसे मनी बिल करार दिया जाता है, फिर उसे पास कर दिया जाता है, आर्डिनेंस दिया जाता है लेकिन आपका जो निर्णय है, कांग्रेस हमेशा उसको सम्मान देती है।

SHRI ARUN JAITLEY: Do not say that, because you have challenged the Speaker's ruling on Aadhaar Bill itself before the Supreme Court. This is the first time in India that the Legislature or a Member of a Legislative Body is inviting the court to say that the Speaker's rulings are subject to judicial review; and that is your party.

श्री गौरव गोगोई: मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में रायसीना हिल में बैठे नेता निर्णय ले रहे हैं कि किसी राज्य की विधान सभा में बिल पारित हुआ या नहीं हुआ। दिल्ली में बैठे रायसीना हिल के नेता राज्य विधानसभा के स्पीकर से बड़े हो गए हैं। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। वित्त मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि संविधान के आर्टिकल-212 में लिखा है कि कोर्ट भी नहीं पूछ सकता कि एक स्पीकर ने हाउस को कैसे कंडक्ट किया लेकिन आज केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई है। वित्त मंत्री सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। वे स्वयं कह रहे हैं कि बिल पारित नहीं हुआ। स्पीकर ने लिखित में कहा और आज केंद्र सरकार का यही अहंकार है, यही नारसिस्टिक ट्रेंड है कि स्पीकर से बड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। आज मनी बिल पर स्पीकर की जो आथोरिटी है, संविधान के अनुच्छेद 110 (3) में लिखा है कि मनी बिल है या नहीं है, उस पर स्पीकर की रूलिंग फाइनल है।

Whether a Bill is a money Bill or not is final. When the Speaker has said that the money Bill has been passed, that cannot be questioned. लेकिन बीजेपी कहती है कि यह पारित नहीं हुआ। यह किसके आधार पर ऐसा कहती है? बीजेपी के स्वयं के विधायकों के आधार पर ऐसा कहती है। ... (व्यवधान) निर्णय कौन लेता है? निर्णय भी बीजेपी लेती है। मतलब ज्यूसी भी बीजेपी, ज़ज भी बीजेपी और उसे अन-कांस्टीट्यूशनल कहकर एक नया आर्डिनंस लाकर एक्जीक्यूशनल भी बीजेपी है। यह है आपका डेमोक्रेसी और संविधान का मॉडल, जिसमें ज़ज भी आप, ज्यूसी भी आप और एक्जीक्यूशनर भी आप। आपको बधाई हो।

कांस्टीट्यूशन दिवस पर डॉ. अम्बेडकर जी की स्मृति के दिन यह तो नहीं कहा कि चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए। तब तो आपने नहीं कहा कि ज़ज भी हम, ज्यूसी भी हम और एक्जीक्यूशनर भी हम। आज आप किसके आधार पर कह रहे हैं? ... (व्यवधान) बीजेपी के विधायक लिखित रूप में पत्र लेकर गवर्नर के पास गये। क्या वह आधार है, वह सबूत है कि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ? आप किसके आधार पर कह रहे हैं ... (व्यवधान) कि वोट से पहले विधायकों ने लिखित रूप से कहा कि वहाँ पर डिबीज़न होना चाहिए, तो क्या यह इससे साबित हो गया? यह एक ही चीज से साबित होता है। ... (व्यवधान) यह सिर्फ फ्लोर टेस्ट से साबित होता है। ... (व्यवधान) यह बोम्मई के केस में ज़ज का ज़जमेंट है। ... (व्यवधान) आप उस ज़जमेंट को पढ़िए। यह एक सिर्फ फ्लोर टेस्ट से साबित होता है। ... (व्यवधान) यह लिखित रूप से गवर्नर की मीटिंग से नहीं होता है। ... (व्यवधान) स्पीकर के साथ लिखित रूप में कॉर्रेस्पॉन्ड करने से नहीं होता, यह केवल फ्लोर टेस्ट से साबित होता है। यह बात याद रखिए। ... (व्यवधान)

मैं दूसरी बात ब्रेक डाउन ऑफ कांस्टीट्यूशनल मशीनरी के बारे में कहना चाहता हूँ। यह किसके आधार पर कहा जाता है। यह इसलिए कहा जाता है कि विधायकों ने डिबीज़न मांगा और डिबीज़न नहीं दिया गया, उसके आधार पर यह कहा जाता है। ... (व्यवधान)

मैडम स्पीकर, हम लोग भी आपसे एडज़र्नमेंट मोशन मांगते हैं, हम लोग भी लिखित में देते हैं। जब सुबह में आप मिलती हैं, तो कभी मुस्कराकर हमें इसके लिए स्वीकृति दे देती हैं, कभी हमें नियम समझाकर आप बता देती हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। यदि यह पॉसिबल नहीं है तो क्या *can I make a case* कि यह कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाऊन हो गया क्योंकि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। ऐसा कैसे? ... (व्यवधान)

एक समय था, जब इस पार्लियामेंट में छः से ज्यादा राजनीतिक दल के लोग पार्लियामेंट के बाहर थे, वे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड थे। *Is that not the breakdown of constitutional machinery?*

लेकिन उन्होंने लिखित रूप में डिवीज़न मांगा और नहीं दिया गया। इसीलिए आप बोल रहे हैं। आप यह दुबारा उल्लंघन कर रहे हैं। You cannot question the conduct of a Speaker. आज क्या हो गया है? Where is federalism?

प्रधानमंत्री मोदी जी को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कहते हैं, लेकिन मुँह पर को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म और दिल में कांग्रेस मुक्त भारत है। हटाओ किसी तरीके से, ...(व्यवधान) भाषण में को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रात को मीटिंग करके सरकार को हटा दो, ...(व्यवधान) अरूणाचल प्रदेश में रेस्टोरेंट में बैठकर हटा दो चुनी हुई सरकार को। यह है बीजेपी का मॉडल।...(व्यवधान) आज वित्त मंत्री जी ने रेफर किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वित्त मंत्री जी ने कम्पोजीशन ऑफ द हाउस को रेफर किया और उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में भी कहा कि कम्पोजीशन ऑफ द हाउस को अल्टर किया जा रहा है। वे किस पर ऊँगली उठा रहे हैं? वे थोड़ा साफ-साफ कहें। आज के हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हर कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कांग्रेस सम्मान करती है। हाई कोर्ट ने लिखा है कि स्पीकर को डिसक्वालीफिकेशन की अथोरिटी है। अपहेल्ड करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए यह काफी नहीं है। वित्त मंत्री जी, यह आपके स्टेटमेंट में तो नहीं है, लेकिन आपने प्रेस कांफ्रेंस में हॉर्स ट्रेडिंग और एल्योरमेंट के बारे में एक बार कहा था। इसलिए मैं वह बात इस सदन में उठाना चाहता हूँ। मैडम, हॉर्स ट्रेडिंग कब होता है? जब दो अलग-अलग दल के लोग मिलकर एक राजनीतिक षडयंत्र करते हैं। अगर दो दल मिल-जुलकर चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ काम करते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर रहा है, यह आपको पता चल गया है।...(व्यवधान)

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : स्टिंग ऑपरेशन में कौन था?... (व्यवधान) स्टिंग ऑपरेशन के बारे में भी बताइए। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई: आज यह एप्रोप्रिएशन बिल आया है, ... (व्यवधान) अभी मैंने एप्रोप्रिएशन बिल देखा है। ... (व्यवधान) आप कोर्ट में जाइए, जो कोर्ट बोलेगा, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन आपकी बातों को हम सच नहीं मानते। ... (व्यवधान) हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। ... (व्यवधान) आप ही जज, आप ही ज्यूरी, आप ही एग्जिक्यूशनर, ऐसी सरकार नहीं चल सकती। ... (व्यवधान) यह राजनीति नहीं है। ... (व्यवधान) अगर आपको ऐसी राजनीति चाहिए तो यह हम भारत में नहीं होने देंगे। ... (व्यवधान) आज यहां पर लेजिस्लेटर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं उत्तराखण्ड के प्रति, लेकिन जब उत्तराखण्ड के जंगल में आग लगी, करोड़ों बीघे जमीन पर जब आग लगी, तब यह सरकार सो रही थी। ... (व्यवधान) सोशल मीडिया पर जब बात आई, तब आपकी सरकार जगी। ... (व्यवधान) कितने

दिन के लिए सो रही थी। आप आज उत्तराखण्ड के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं।... (व्यवधान) 30 मार्च को आप यह ऑर्डिनेंस लाए और आज 9 मई है। इतने दिन क्यों रुके रहे आप? जरूर आपका ध्यान था कोर्ट की तरफ कि कोर्ट क्या कहेगा? आप 9 की संख्या की तरफ देख रहे हैं और मुझे लगता है कि उसी के कारण आज आप यहां इस स्तर पर पहुंचे हैं।... (व्यवधान) अगर आपको इतनी ही चिन्ता है, ... (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ, एक महीने तक वहां हमें यह पता नहीं चला कि कौन सी सरकार है। वहां मुख्यमंत्री कौन है, वित्तमंत्री कौन है, हमें नहीं पता चला। इसका क्या यह मतलब है कि केन्द्रीय मंत्री जम्मू-कश्मीर के लिए ऑर्डिनेंस पारित करेगा।

असम में 11 अप्रैल को वोटिंग खत्म हुई, एक महीने बाद अब रिजल्ट आने वाला है तो क्या इस एक महीने की अवधि के लिए केन्द्र सरकार ऑर्डिनेंस पारित करेगी? ... (व्यवधान) आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा संयम दिखाइए। ... (व्यवधान) निर्वाचन से जीतिए। निर्वाचन का रास्ता पकड़िए। अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, निर्वाचन से जीतिए।... (व्यवधान) बीजेपी का जो मॉडल है, वह आज साफ-साफ लोगों के सामने आ गया है। एक ही मॉडल है- इस देश की चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करना। ... (व्यवधान) आपका निशाना किस पर है? आपका निशाना है वे छोटे-छोटे राज्य, जहां आपको लगता है कि दिल्ली में बैठकर अरुणाचल प्रदेश में आप जो चाहेंगे, आपका अहंकार और आपकी मनमानी चल जाएगी। मणिपुर एक छोटा पहाड़ी राज्य है, वहां आप अपनी मनमानी चला लेंगे।... (व्यवधान) उत्तराखण्ड में आप अपनी मनमानी चला लेंगे।... (व्यवधान) हिमाचल प्रदेश में आप मनमानी चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उत्तराखण्ड में वही होगा जो वहां के एक करोड़ लोग चाहते हैं, न कि रायसीना हिल में बैठने वाले लोग। ... (व्यवधान) आज क्या हो रहा है? यह सरकार आई थी विकास के मुद्दे पर। आज भारत में अनेक महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। सूखा है, प्राइस राइज है। आपकी ही लेबर मिनिस्ट्री से रिपोर्ट आती है कि जॉब्स घट रही हैं। अप्रैल से मार्च क्वार्टर में 43000 jobs lost. The last two years have reported the lowest addition to jobs in the history of the last five years. यह आपकी ही रिपोर्ट है। क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सूखा आज पश्चिम से दक्षिण भारत तक है। क्या ये महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं? ... (व्यवधान)

पाकिस्तान से संबंधित हमारी विदेश नीति पर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लग गया है, क्या यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है? आज टैक्स बढ़ रहे हैं, रेल का किराया बढ़ रहा है, लेकिन रेल टाइम पर नहीं चल रही है। इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। आज इंडस्ट्री को एक स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट चाहिए, लेकिन आप जिस प्रकार से इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप मेक इन इंडिया सपना पूरा नहीं होने वाला है।

अरुणाचल प्रदेश में अगर इनस्टेबिलिटी रहेगी तो वहां कौन इंडस्ट्री जाएगी। अगर उत्तराखण्ड में इनस्टेबल पोलिटिकल क्लाइमेट रहेगी तो वहां कौन इंडस्ट्री लगाएगा? आपने बड़े आराम से कह दिया कि चार-पांच महीने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल है, मतलब चार-पांच महीने के लिए सारे एफडीआई प्रोजेक्ट्स, सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स स्थगित हैं। यह कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस कौन लेकर आया? आप लेकर आए हैं।

Deliberately, you are provoking a crisis in today's scenario. Deliberately you are killing democracy; you are choking democracy. All you had to do was to wait for electoral exercise. Trust the people. They will lead to what Abraham Lincoln says: Democracy is the Government of the People, for the People and by the People.

लेकिन आजकल यहां डेमोक्रेसी का मतलब बन गया है आरएसएस की सरकार, आरएसएस के लिए, आरएसएस से होगी और आरएसएस का एक सपना है कांग्रेस मुक्त भारत।

मैं अंत में एक बात ही कहना चाहूंगा कि जो लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन दिल में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना रखते हैं, मैं आज उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था-

‘सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है।’

मैडम स्पीकर, आज हम उत्तराखण्ड की एक करोड़ आबादी के लिए इंसाफ मांगते हैं, जिन्होंने वर्ष 2012 में चुनी हुई सरकार बनाई। हम इंसाफ चाहते हैं लोकतंत्र के लिए, जिस लोकतंत्र के परिपेक्ष्य में निर्वाचन आज महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम इंसाफ मांगते हैं भारत के उन युवाओं के लिए जो आइडलिस्ट होकर आपकी तरफ देख रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आपने राजनीति में जिस प्रकार का माहौल बना दिया है, उसके कारण युवाओं का राजनीति से विश्वास उठ गया है। मैं इंसाफ मांगता हूं कि हर चुनी हुई सरकार जो बीजेपी की नहीं है, वे अपनी असेम्बली में बिल पारित कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भय है कि रायसीना हिल में बैठे बड़े-बड़े नेता कहीं उन पर प्रहार तो नहीं करेंगे और प्रहार ही है।

आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिया है कि जो नौ एमएलए हैं, वे वोट नहीं कर पाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी आया है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। यह सरकार ऐसा माहौल न बनाए जिससे कोर्ट के साथ कनफ्लिक्ट हो। चुनी हुई राज्य सरकारों के साथ इस तरह का माहौल न बनाए जहां कनफ्लिक्ट हो और खास कर के हाउस के स्पीकर पर, वह चाहे किसी भी दल का स्पीकर हो, चाहे वह आपके दल का हो, हमारे दल का हो या किसी भी दल का हो, उसकी

अथॉरिटी को चैलेंज न किया जाए। **This will set a very bad and dangerous precedent for Indian democracy.** इसीलिए हमने पिछले हफ्ते लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन किया था।

हम उत्तराखण्ड के चिपको आंदोलन से प्रेरणा लेते हैं और चिपको आंदोलन के कार्यकर्ताओं की तरह हम भी न ही कभी पीछे हटेंगे और न ही कभी अपना सिर झुगाएंगे।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उत्तराखण्ड के बजट से संबंधित जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम उस राज्य के बारे में आज यहां चर्चा कर रहे हैं जो विश्व गुरु भारत का भाल यानी माथा कहा जाता है। वह राज्य, जिसके बारे में गौरव जी कह रहे थे कि चिपको आंदोलन के प्रणेता, गौरा देवी जिन्होंने पूरी दुनिया को पर्यावरण और वन संरक्षण का संदेश दिया। यह राज्य पेशावर के महानायक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली की जन्मस्थली है। यह वही राज्य है, जहां कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ। यह वही राज्य है, जहां महाकवि कालिदास का जन्म कविल्ठा कालीमठ में हुआ। यह वही राज्य है, जहां चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, का जन्म हुआ। स्वर्ग से उतरकर जिस राज्य में मां गंगा पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रवाहित होती है, यह वही राज्य है। यह वही राज्य है जो आयुषो वेद: आयुर्वेद: यानी आयुर्वेद जो पूरी दुनिया के तन और मन की व्याधियों को ठीक करने के लिए है, उस आयुर्वेद के जन्मदाता ऋषि चरक का जन्मस्थली यह राज्य है। यह वही राज्य है जहां हिमालय है, जो पूरे एशिया का वॉटर टावर है। यह वही राज्य है, जो संस्कृत का जन्मदाता है, जिससे पूरी दुनिया की भाषाओं की उत्पत्ति होती है। यह राज्य वेद, पुराणों और उपनिषदों का जन्मदाता है, जिसने सारी दुनिया को दिशा दी। यह वही राज्य है जो पूरी दुनिया के तन और मन को ठीक करता है। यहां संजीवनी बूटियां भी हैं तो धर्म के लिए चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री हैं और यहां हेमकुंड साहब जैसे धार्मिक स्थल भी है। मुझे कुछ बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था, मैं यह समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदया मूल विषय 18 मार्च, 2016 का है। 18 मार्च को उत्तराखंड की विधान सभा में विनियोग विधेयक पारित किया जा रहा था, उस दिन जो परिस्थितियां वहां घटित हुई हैं, वे दुनिया में किसी से छिपी नहीं हैं। मूल विषय यह है कि क्या वह विनियोग विधेयक पास हुआ या नहीं हुआ। सच तो यह था कि वह विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ। सदन के पटल पर भारतीय जनता पार्टी के 27 सदस्यों ने और नौ कांग्रेस के बागी विधायकों ने खड़े होकर उसका विरोध किया, उसकी सी.डी. है, उसके प्रमाण हैं कि सदन में ही खड़े होकर कहा गया कि इस विनियोग विधेयक के खिलाफ हमने मत दिया है। जबकि उससे पहले राज्यपाल को सुबह 27 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने लिखित में दिया था कि हम विधान सभा में मत विभाजन की मांग कर रहे हैं, हमें अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है, आप मत विभाजन कराइये। यह शंका पहले से थी कि उत्तराखंड की विधान सभा के अध्यक्ष उस सरकार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

महोदया, मैंने खड़गे जी को भी सुना, मैं चुप रहा, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने गौरव गोगोई जी को भी सुना, मैंने प्रोफेसर साहब सौगत राय जी को भी सुना। मैं यह सोचता हूँ कि यदि वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है तो केवल अखबारों की कटिंग्स को लेकर इतनी बड़ी चर्चा हो, एक सदन में संविधान की हत्या की जा रही हो, जिसके प्रमाण हैं और वहाँ पर 35-36 लोगों ने उस विधेयक के खिलाफ मत दिया और उस समय उसके पक्ष में केवल 32 लोग थे, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि एक भी सदस्य मत विभाजन की मांग करता है तो उस पर मत विभाजन किया जायेगा। फिर कौन सा कारण था कि मत विभाजन की मांग करने के बाद भी मत विभाजन नहीं कराया गया। मैं इसे तथ्यों के साथ पेश कर रहा हूँ, मेरे पास ये प्रमाण हैं कि विधान सभा की कार्रवाई में यह लिखित है, वहाँ यह भी लिखित है कि मत विभाजन की मांग की गई, यह वहाँ की कार्रवाई में आया हुआ है। यदि कार्रवाई में यह आया कि मत विभाजन की मांग की गई तो सवाल खड़ा होता है कि अध्यक्ष जी ने मत विभाजन क्यों नहीं कराया?

महोदया, दूसरा सवाल यह उठता है कि जब सुबह ही राज्यपाल जी को लिखकर दे दिया था कि विधान सभा अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है, आज विनियोग विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी मत विभाजन चाहती है। राज्यपाल जी को सुबह लिखित में दिया, उसका भी उत्तर हमारे पास है, जो रिसीव कापी है। इसका मतलब जिस बात की चर्चा हो रही है, मुझे इस बात का अफसोस होता है और उसके बाद वे सारे 35-36 विधायक एक साथ सदन से उठकर जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए लिखित में विधान सभा सचिव को देते हैं कि यह विधेयक फेल हो गया, अध्यक्ष जी ने गलत किया, जबरदस्ती मत विभाजन नहीं किया। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए 35 विधायकों ने वही उसी समय विधान सभा सचिव को लिखकर दिया। यह सब लिखित में है। मैं 18 मार्च की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजभवन में मैं भी उपस्थित था, जब ये सारे के सारे विधायक जिसमें 27 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 9 कांग्रेस के विधायक थे, जिन्होंने राज्यपाल जी को लिखित में दिया और राज्यपाल जी ने केवल वही पत्र नहीं, बल्कि वीडियोग्राफी करवाई और राज्यपाल जी ने यह भी कहा कि आप खड़े होकर यह भी कहें कि आप किस दल से हैं। जो कांग्रेस के नौ विधायक थे, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के हैं, क्योंकि हमने इस धन विधेयक के खिलाफ मत दिया है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह कांग्रेस के विधायकों ने कहा है। उसके बाद भी यह चर्चा हो रही है कि वह पास हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद धारा 356 के बारे में चर्चा हो रही है। मूल विषय तो यह है। मैं गोगोई जी से कहना चाहता हूँ, उनको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ।

महोदया, जब मैं सन् 1991 में पहली बार उ.प्र. में विधायक बना, तब बहुत उत्साह था, लेकिन 6 दिसंबर, 1992 को, आदरणीय कालराज मिश्र जी यहां हैं, क्या कांग्रेस बता सकेगी कि चार सरकारें क्यों बर्खास्त हो गई थीं। 6 दिसंबर, 1992 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। उनका क्या कसूर था, क्या आप जवाब दे सकते हैं? उन चार सरकारों का क्या कसूर था, जो उनको रातों-रात बर्खास्त कर दिया गया। यहां तो इतनी बड़ी घटना हो गई। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, हम भी राष्ट्रपति जी के पास आए थे कि वहां संविधान की हत्या हो रही है, धन विधेयक गिर गया है, मुख्य मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, संवैधानिक संकट हुआ, मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने भी इन परिस्थितियों को देखा और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने संविधान की मर्यादा को बचाया। संविधान के उस संकट को राष्ट्रपति शासन लगा कर के ऐसी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, उसको बर्खास्त किया।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस क्या यह जवाब देगी कि जो श्री मधु कौड़ा, केवल एक निर्दलीय सदस्य के लिए आपने सरकार को क्यों बर्खास्त कर दिया। श्री मधु कौड़ा के बारे में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। आपने ऐसा क्यों किया, यह सारी दुनिया जानती है।

क्या आप बता सकते हैं कि आपने श्री अर्जुन मुंडा की सरकार को दो-दो बार क्यों बर्खास्त कर दिया। मैं इस पर ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उत्तराखण्ड पर भी बोलना है। लेकिन मैं यदि बोलूंगा तो इतिहास है कांग्रेस का कि धारा 356 का किस सीमा तक कांग्रेस ने दुरुपयोग किया है। कांग्रेस को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

अध्यक्षा जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर रहे हैं। यह जो राज्य बना, जिसके बारे में कहा जा रहा है, गोगोई साहब कह रहे थे कि वहां के लोगों ने कांग्रेस को चाहा। कांग्रेस को लोगों ने कभी नहीं चाहा। पचास साल से उत्तराखण्ड की जनता चिल्लाती रही कि हमको अलग राज्य दीजिए। हम अलग राज्य केवल इसलिए नहीं मांग रहे थे कि कुछ लोग एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, सिर्फ इसलिए ही नहीं चाहते थे। राजनैतिक आकांक्षाओं के लिए हम राज्य नहीं चाहते थे। हमको मालूम है कि उत्तराखण्ड भारत के हिमालय का माथा है, वह देश की पूंजी है, पूरी दुनिया की धरोहर है, हम उस माथे को सशक्त और सबल करने के लिए अलग राज्य चाहते थे। लेकिन कौन भूल जाएगा खटीमा कांड को, कौन भूल जाएगा रामपुर तिराहे कांड को, कौन भूल जाएगा मसूरी कांड को। रामपुर तिराहे पर मेरी माँ-बहनों का किस सीमा तक अपमान हुआ। मेरे बेगुनाह नवयुवकों का कत्लेआम हुआ, खून की नदियां बहा दी गईं। कांग्रेस ने क्या किया? इसलिए मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ और खटीमा कांड जैसे कांड,

जिनको याद कर के सिहरन पैदा हो जाती हो, ऐसे कांड हुए हैं। पचास साल तक आपने हमें हमारा अधिकार नहीं दिया। उस राज्य से औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती हो कर राष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी देता है और दूसरी पंक्ति में उस राज्य की माँ और बहनें दो-दो विदेशी सीमाओं पर खड़ी हो कर सेनानी की तरह राष्ट्रभक्ति का अनन्य प्रमाण देती हैं। यह है वह राज्य। हम पर्यावरण की पहली पाठशाला हैं। देश को वायु भी देते हैं, प्राणवायु भी देते हैं, पानी भी देते हैं तो जवानी भी देते हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। आज भी 70 प्रतिशत वनक्षेत्र वहां पर है। राजाजी नेशनल पार्क हो, चाहे जितने भी नेशनल पार्क हैं, वहां की अरबों-खरबों रुपये की संपत्ति पर हम हाथ भी नहीं लगाते हैं। देश के पर्यावरण की रक्षा के लिए ऑक्सिजन देने के लिए हम कुर्बानी देते हैं। हमने कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उस राज्य के बारे में बोला जाए, जिस राज्य को आजादी की 50 साल तक कांग्रेस ने नोंच-नोंच कर खाया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को मैं याद करना चाहता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ।

यदि विषम और विपरीत परिस्थितियों में उत्तराखंड का कोई हिमालय का सपूत निकला तो अटल बिहारी वाजपेयी निकले, जिन्होंने हमें हमारा सम्मान दिया, जिन्होंने हमें हमारा राज्य दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल राज्य दिया, बल्कि विशो राज्य का दर्जा दिया और औद्योगिक पैकेज उस समय दिया, जब कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 2002 में औद्योगिक पैकेज दिया और वर्ष 2013 तक दस साल के लिए दिया, लेकिन वर्ष 2007 में कांग्रेस ने हमारा वह पैकेज छीन लिया। 56 हजार करोड़ रूपए का निवेश होना था, 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिलनी थी, 5 लाख परिवारों पर तुषारापात किया गया। इस बात को कौन भूल जाएगा? हम गिड़गिड़ाते रहे। मैं मुख्यमंत्री था।... (व्यवधान) मैं और शान्ता कुमार जी दोनों गिड़गिड़ाते रहे। कभी वित्त मंत्री जी के पास जाते, कभी प्रधान मंत्री जी के पास जाते, हमने कहा कि हमको कुछ नया मत दीजिए, हमारे साथ अत्याचार और अन्याय मत कीजिए, बल्कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से तो तब हमने यह तक कहा था कि साहब यह देश पर पहला ऐसा दाग लग जाएगा, दिए हुए किसी पिछड़े स्टेट से, वह भी देशभक्त और वीरों के स्टेट से जो राष्ट्र के लिए अर्पित है, वहाँ से आप उसकी सुविधाओं को छीन रहे हैं। इस तरह से देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। कांग्रेस को कुछ कहने का क्या हक है और अभी भी आप चर्चा कर रहे हैं।

महोदया, मैं यह कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टिंग आए हैं। मुख्यमंत्री के सचिव, जो इसी सदन में मैंने खड़े होकर के कहा था, मुख्यमंत्री के सचिव का पहला स्टिंग आपरेशन आया, जिसमें वह 20 करोड़ रूपए का लेन-देन कर रहे हैं

और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात हो गई है।... (व्यवधान) हमने कहा कि यदि ये कहते हैं कि यह गलत है तो सीबीआई की इन्क्वायरी होनी चाहिए।... (व्यवधान) सच को सुनने का माद्दा होना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, यह क्या हो रहा है?... (व्यवधान) जो आदमी इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम क्यों लिया जा रहा है?... (व्यवधान) मनी पावर, पैसे लेकर तुम लोग आये।... (व्यवधान) He is not a Member of this House. ... (व्यवधान) Are you allowing them to take up issues of the State here, Madam?

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात जारी रखें। आप बोलिए।

... (व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अभी तो एक ही स्टिंग की बात हो रही है।... (व्यवधान) अभी तो यह शुरूआत हो रही है।... (व्यवधान) अभी तो एक ही स्टिंग की बात हो रही है।... (व्यवधान) जब दूसरा स्टिंग हुआ।... (व्यवधान) महोदया, दूसरे स्टिंग की भी बात सुनिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलेंगे ना।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल रमेश पोखरियाल जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

... (Interruptions)... *

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदया, अभी तो पहले स्टिंग पर ही इतना हो-हल्ला मचा है, अभी तो दूसरा, तीसरा और चौथा स्टिंग भी है।... (व्यवधान) अब मैं क्या करूँ, जो हो गया, उस पर तो मुझे बोलना पड़ेगा। आखिर यह भारत के लोकतंत्र का सर्वोच्च मन्दिर है और यदि यहाँ नहीं कहा जाएगा तो हम चौराहों पर तो नहीं कह सकते। पहले स्टिंग पर हमने यह कहा था कि यदि यह षडयन्त्र हुआ है तो सीबीआई की इन्क्वायरी करवा दीजिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ षडयन्त्र हो और वह भी उस अकलुषित राज्य में हो, जिसे देव भूमि कहा जाता है।... (व्यवधान) लेकिन हिम्मत नहीं हुई।... (व्यवधान) उसके बाद जो दूसरा स्टिंग आया, जब यह बगावत हो गई, सरकार गिर गई, सरकार गिरने के बाद जो दूसरा स्टिंग आया, आज उस पर सीबीआई की इन्क्वायरी शुरू हो गई। दूसरे स्टिंग में क्या बोलते हैं, "पाँच-पाँच करोड़ रूपए तो हैं, लेकिन तुम आ जाओ, हम मुँह मोड़ लेंगे, तुम्हें जो करना हो तुम कर लो।" आप किसी राज्य के मुखिया हैं, क्या आप राज्य को लुटवाते रहेंगे, आप केवल अपनी कुर्सी के लिए मुँह मोड़ दें और आप कहें कि आप जो चाहे करें, राज्य को जितना चाहे लूटें।... (व्यवधान) इससे ज्यादा दुःखद कुछ नहीं हो सकता

* Not recorded.

है।... (व्यवधान) आज सीबीआई ने उसमें इन्क्वायरी शुरू कर दी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कल ही एक और आया, स्टिंग जिसमें M.L.A. कह रहे हैं ... * सी.एम. ने 27 करोड़ रूपए तो खनन से लिए हैं और किस-किससे लिए हैं, यह भी कहा है।... (व्यवधान) यह भी कहा है कि ... * 50-50, 25-25 लाख दिया और उन्होंने उनके नाम तक बताए हैं।

17.00 hours

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कांग्रेस उस अकलुषित राज्य को लूट रही है जो देश का सिरमौर है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको लुटने मत दीजिए। वह अच्छा राज्य है, देश की धरोहर है, दुनिया के लिए धरोहर है। वहाँ के लोग भी दुनिया के लिए धरोहर हैं। बछेन्द्री पाल दुनिया की पहली महिला है जिसने एवरेस्ट को फतेह किया है। आज चाहे धोनी हों या जसपाल राणा हों, उन्होंने देश ही नहीं, दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। यदि समय अधिक रहता तो मैं बताता कि हमारे उत्तराखंड राज्य ने कैसे रत्नों को पैदा किया है।

अध्यक्ष जी, अभी प्रो. सौगत राय जी ने जो कहा, मैं उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि जो घटना घट चुकी है, सदन के पटल पर उसके सारे साक्ष्य और प्रमाण हैं कि वह विधेयक पास ही नहीं हुआ। जब यह घटना हो रही है कि विधेयक पास नहीं हुआ और जब विधान सभा के अध्यक्ष की आलोचना हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह 356 इसलिए बना होगा, भारत के संविधान निर्माताओं को इतनी तो समझ थी कि कभी भविष्य में उत्तराखंड जैसी विधान सभा के अध्यक्ष भी हो सकते हैं जो आँख बंद करके एकतरफा निर्णय दे दें। इसलिए यह 356 का दुरुपयोग नहीं हुआ। मैं राष्ट्रपति जी का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि यदि कहीं 356 का सही उपयोग हुआ तो उत्तराखंड की धरती पर हुआ। उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति का शासन लगा है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, जो लेखानुदान आया है, मैं उसका अभिनन्दन करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कल्याणकारी योजनाएँ थीं, वह चालू रहनी चाहिए। हमने 108 जैसी योजना चलाई। सारे विश्व में रिकार्ड तोड़ा। जिसकी जेब में एक लाल पैसा भी नहीं होगा, यदि उसका बेटा, पत्नी या भाई प्राणों के संकट से जूझ रहा हो तो वह 108 नंबर घुमाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपातकालीन सेवा मिनटों के हिसाब से उसके घर पहुँचकर उसकी रक्षा करती है। ऐसी 108 जैसी सुविधा हमने उस राज्य को दी जिसमें साढ़े तीन लाख से भी अधिक माँ और बहनों की प्रसूति के समय उसने जान बचाई। लगभग 2 लाख लोगों की सड़क एक्सीडेंट्स में जान बचाई। जो दुनिया में अभिनव प्रयोग हुआ कि चलती हुई

* Not recorded.

एंजुलैन्स में लगभग 5000 बच्चों ने जन्म लिया, ऐसा शायद दुनिया में पहली बार हुआ होगा। ऐसी 108 जैसी योजना आज वहाँ दम तोड़ रही है।

हमने वहाँ अटल खाद्यान्न योजना चलाई कि उस राज्य में कोई भूखे पेट न सोए। इसलिए गरीब को दो रुपये किलो गेहूँ और तीन रुपये किलो चावल हमने उनको दिये और 100 रुपये में कोई भी गरीब पूरे महीने भर का राशन अपने घर पर रख सकता है। ऐसी व्यवस्था हमने की।

अध्यक्षा जी, यदि कोई गरीब अपना सपना साकार कर सकता है कि उसके घर पर उसकी बेटी या बेटा हीरे के रूप में पैदा हो रहा है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो वह भी डाक्टर बन सकता है, वह भी इंजीनियर बन सकता है। श्रीनगर का मैडिकल कालेज, हल्द्वानी का मैडिकल कालेज हमने शुरू किये। केवल 15000 में एम.बी.बी.एस. डाक्टर बनाने का अभियान हमने शुरू किया।

गौरा देवी धन कल्याण योजना हो या नन्दा देवी धन कल्याण योजना हो, बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण का विषय हो या गरीब का विषय हो या किसान का विषय हो, जब हमारी सरकार 2010 में थी तो देश में सर्वाधिक गन्ना किसानों का भुगतान हमने किया, सर्वाधिक मूल्य हमने दिया। छात्रों के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमने आयुष प्रदेश बनाया। हमने संजीवनी बूटियों का बोर्ड बनाया। पूरी दुनिया के लिए वह आयुर्वेद एक वरदान के रूप में हमारे पास है। हमने इस वर्ष गंगा अभियान चलाया। गंगा और उससे संबंधित जितनी भी जलधाराएँ हैं, उनके संरक्षण और संवर्द्धन का उसमें ध्यान रखा।

मैं प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने 'नमामि गंगे' नाम से 22 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति से एक बहुत बड़ा अभियान आगे बढ़ाया। मैं नितिन गडकरी जी का भी आभारी हूँ कि चारधाम योजना जिसको देखने के लिए केवल देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उस चार धाम योजना के लिए 12000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है जिससे सारे रास्ते सशक्त होंगे।

मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने केदारनाथ जैसी आपदा में पूरी मदद की और आज भी सहयोग के लिए तैयार हैं। मैं वन मंत्री जी का आभारी हूँ, मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूँ, जिन्होंने हिमालय के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना की है, जो हिमालय विश्वविद्यालय सारी दुनिया में एक प्रेरणा का केन्द्र बनेगा। जो ऐसी योजनाएँ हैं, जैसे जैव विविधता का प्रदेश है, वह शिक्षा का प्रदेश है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने हिमनद प्राधिकरण बनाया था, आज पूरी दुनियां जिससे चिन्तित है, हिमालय के ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, पिघल रहे हैं, इससे पूरी दुनिया संकट में आएगी। उत्तराखण्ड में हमारी सरकार ने 2010 में हिमनद प्राधिकरण बनाया था, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। हिमालय की रक्षा की जरूरत है,

वहां की जैव विविधता के संरक्षण की जरूरत है। वहां पर वन और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है। वहां पर जैव विविधता ही नहीं है, वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम, 1980 का यदि पालन किया तो हमने किया। सर्वाधिक यदि शेर और बाघ पाये जाते हैं तो उत्तराखण्ड की धरती पर उनका संरक्षण हुआ, लेकिन वहां के लोगों का पलायन कैसे रुक सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई जाएं, ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये। Do not answer anybody.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मुझे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था। यह चिन्ता आपसे पूछकर नहीं की होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मेरी पार्टी मुझे जहां खड़ा कर देगी, वहां सेनानी की तरह उसका प्रमाण देने का काम मेरा है। इनको मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना था, उस दिन भी मुझे पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। जिस दिन मुझे उत्तर प्रदेश में दो-दो बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया तब भी मुझे पता नहीं था, मैं नंगे पांव गांव से आया हूँ, मैं माली का बेटा हूँ और उस माली के बेटे को यदि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मेरी पार्टी ने एक बार नहीं, दो-दो बार कैबिनेट मंत्री बनाया हो। यंग एज में मैं मुख्यमंत्री भी बना हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना हूँ, लेकिन यह सब आपसे पूछकर नहीं बनाया।... (व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह भी कांग्रेस के षड्यंत्र थे, मेरे खिलाफ एक-एक नहीं, चार-चार आयोग बिठाये गये। इतना कुप्रचार किया गया, मैंने चुनौती पर चुनौती दी, आज तक कोई खड़ा होकर सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता है। कांग्रेस के कुप्रचारों का शिकार मैं भी हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना कुप्रचार करते हैं। मैं प्रमाणों के साथ कह सकता हूँ और इसलिए पीछे न जाकर के मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा राज्य उत्तराखण्ड है, हमने जिसे विज्ञान 2020 दिया, बहुत सुन्दर राज्य है।

योजना आयोग का यह प्रमाण है, योजना आयोग की यह बुकलेट इस बात को साबित करती है कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं, विकास की गंगा बहती है। यह प्लानिंग कमीशन का है, जब राज्य बनने से पहले से लेकर आज तक चाहे जी.डी.पी. में हो, चाहे एन.एस.डी.पी. में हो, चाहे कृषि में हो, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, राज्य बनने से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही उत्तराखण्ड राज्य शिखर पर रहा है, यह इसका प्रमाण है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जंगलों की आग की बात हुई। मैं तो केन्द्र सरकार का आभारी हूँ, दो दिन पहले तक किसकी सरकार थी कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार का इतना कुप्रबन्धन था कि जंगलों में आग लग रही है, कोई प्रबन्धन नहीं। मैं केन्द्र सरकार का आभारी हूँ कि तत्काल उन्होंने वायुसेना, थल सेना, एन.डी.आर.एफ. को भेजा, तब जाकर हम उत्तराखण्ड को बचा सके हैं। ये बता सकेंगे, आपका प्रबन्धन क्या था? दो दिन पहले तक तो

वहां पर आप थे। मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि उत्तराखण्ड में अस्थिरता के लिए कोई एकमात्र दोषी है तो कांग्रेस है और कांग्रेस की सरकार है। यदि कोई संवैधानिक संकट के लिए कोई दोषी है तो आप हैं, आप अपने घर को तो बचा नहीं सके और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, आरोप हमारे प्रधानमंत्री पर लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अपने कुनबे को संभालिए, आपके वे 9-9 लोग बच्चे नहीं थे। एक इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ... * सांसद भी रहे हैं और दूसरे ... * कैबिनेट मंत्री पहले से ही रहे हैं।... (व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ही तो सदन में कांग्रेस सरकार का विरोध किया? मैं यह कह रहा हूँ कि यदि उन्होंने किया तो वे तो आपके परिवार के थे, यदि वे इस बात से सहमत थे कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है तो यह तो उनके परिवार ने महसूस किया और वे वहां से हटे हैं और कह करके हटे हैं।

अध्यक्षा जी, चाहे ऊर्जा की दिशा में या बेहतर सेवाओं की दिशा में '108' हो, चाहे सचल चिकित्सालय का विषय हो, चाहे पन्द्रह हजार रुपए में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर बनाने का अभियान हो, चाहे स्पर्श गंगा का अभियान हो, मैं वित्त मंत्री जी के प्रति आभारी हूँ। आपने अर्द्धकुम्भ में भी 100 करोड़ रुपए दिए, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ।

अध्यक्षा जी, उत्तराखण्ड की धरती पर महाकुम्भ ऐसा था कि इसरो ने अपने सारे उपग्रहों को छोड़कर अन्त में जो रिपोर्ट दी, वह यह थी कि दिनांक 14 अप्रैल, 2010 का आयोजन धरती के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। उसे पूरी दुनिया ने सराहा। वह नोबल पुरस्कार के लिए नामित हुआ। मैं पूरे देश और दुनिया के लोगों का उस दिशा में आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने उसमें बहुत मदद की।

अध्यक्षा जी, हमने बहुत सारी अनुपम पहलें की हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार जो यह बजट पास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने वर्ष 2010 में या उससे पहले जो कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं, वह जारी रहनी चाहिए।

अध्यक्षा जी, दुनिया में यह पहला उदाहरण है कि वहां 12,500 वन पंचायतें हैं। डेढ़ लाख महिलाएं और नौजवान अपने प्राणों को हथेली पर रख कर वनों की रक्षा करते हैं, वनों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। वन और पर्यावरण के क्षेत्र में उन्हें और सशक्त

* Not recorded.

किया जाना चाहिए। कृषि की दिशा में यदि उन्हें जड़ी-बूटी की खेती से जोड़ेंगे तो हमारा पलायन रूकेगा क्योंकि आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है।

तीर्थाटन और पर्यटन के क्षेत्र में, उत्तराखण्ड में जो हमारा 'धरती का स्वर्ग' है, यह अभियान है, उत्तराखण्ड में दसियों स्विट्ज़रलैंड समाए हैं, उस अभियान को वहां आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

सैनिक कल्याण की दिशा में हमने बहुत अभिनव काम किए। वह सैनिकों का प्रदेश है। इसलिए भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में हमने एक ब्लॉक में एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। कैंटीन में जितनी भी सामग्री होती है, उस पर उन्हें जो टैक्स लगता था, उससे हमने उन्हें छूट दी थी। बहुत सारे भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में समायोजित किया था। इस समय मैं केन्द्र सरकार का अत्यंत आभारी हूं कि उसने 'वन-रैंक-वन-पेंशन' का काम करके सैनिकों का सम्मान किया।

हमने जो उस दिशा में 'आयुष गांव' के अभियान को आगे बढ़ाया था, वे अभी जहां के तहां खड़े हैं। हमने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाया था। संस्कृत के गांवों को स्थापित किया था। शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए अभिनव प्रयोग किए थे। 'धरती की उड़ान' और 'मुस्कान' जैसी योजनाओं को किया था।

अध्यक्षा जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं इस अनुरोध के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि हमारा जो 'विजन- 2020' था, उसमें हमने पांच महत्वपूर्ण सूत्र लिए थे - 'समृद्ध उत्तराखण्ड', 'शिक्षित उत्तराखण्ड', 'स्वस्थ उत्तराखण्ड', 'सुसंस्कृत उत्तराखण्ड' और 'हरित उत्तराखण्ड।' ये पांच सूत्रों पर आधारित जो हमारा 'विजन- 2020' था, उस विजन ने योजना आयोग में इसके सर्वाधिक प्रमाण दिए हैं कि हम ही देश में दूसरे और तीसरे नम्बर के राज्य बन गए थे। इसलिए वह जो हमारा 'विजन- 2020' है, उसे लागू किया जाए।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री जी के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां पर रखा और इस बिल का समर्थन करते हुए हम सहर्ष उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Speaker Madam, I rise to speak on the general discussion on Uttarakhand Budget. Rs 13,642 crore have been proposed to be withdrawn from the Consolidated Fund of India to meet the expenditure of Uttarakhand. The Finance minister has earlier described from his point of view the necessity of withdrawing this money in order to keep the administration running. I will speak on that later.

Madam, let me make my point of view absolutely clear in case there is any confusion. Our party All India Trinamool Congress is equally distant from Congress-CPM combine and the BJP. As a regional party, we are opposed to President's rule under Article 356 being imposed anywhere in any State because it is an overriding of the powers. We feel that the drama in Uttarakhand has been a sordid drama which is a shame to Indian democracy. As I will state later in detail, both sides have to be blamed. This side says that when you were there, you applied Article 356 in such and such case. That side will say that you have wrongly imposed Article 356 now. I feel there is no change in the attitude.

I had expected the present Government to concentrate on development, which they had promised, but they have indulged in solid horse-trading which is unfortunate. I am reminded of a small couplet:

" पंछी जो उड़ता है, चमन बदल गया, हंसते हैं सितारे तो गगन बदल गया,
शमशान की खामोशी बता रही है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया।"

There has been no change. It is going on in the same line. But this should not have been the case because Uttarakhand was formed amidst much hope. The people there had gone for a long agitation demanding a separate hill state. So, when it was granted, there was great hope for one crore people. Uttarakhand is one of the most beautiful places in the world. You have got the Garhwal and Kumaon in Himalayas; you have got the beautiful rivers like Ganga, Yamuna and Mandakini. From Haridwar, as you go up slowly to Rishikesh, Rudraprayag, Devaprayag, Uttarkashi and on to the Chardham, you find nature at its most beautiful! Uttarkhand is also our border with China along the east and is very vital.

Uttarakhand has immense potential in terms of tourism, in terms of timber, and in terms of hydro-electricity. It was expected that the State would progress but while the State is rich in natural resources the people are poor. If you go to any of the hill villages, there are no roads. They trudge through very difficult terrain to reach the main road. There is lack of water and sanitation in many of the hill villages. In the 15-odd years that Uttarakhand has been a States, development has not taken place. Compared to that, if you go to Darjeeling in West Bengal, you will how the face of Darjeeling has changed in the last five year. Uttarakhand could have proceeded in the same way.

Unfortunately, we are involved in a political game of one-upmanship in the State. What are the basic facts? A Congress Government was there; nine Congress MLAs were supposed to have defected from the Party. The Budget was placed before the Assembly. The Speaker said that the Budget was passed a voice vote, which was disputed by many people. One day before the floor test was to take place, the Government imposed President's rule on Uttarakhand. The former Uttarakhand Chief Minister went to the High Court. The High Court ruled the imposition of President's rule as unconstitutional. The Centre went in appeal to the Supreme Court. The Supreme Court has not given its final view in the matter yet. But on the question of disqualification of nine MLAs, the Uttarakhand High Court has said that the Speaker was within his right to have suspended those MLAs.

The Supreme Court just today hearing around 3.40 p.m. had given a ruling that it is upholding the verdict of the Uttarakhand High Court. Tomorrow, the floor test would be held and that too in a peculiar situation where the Speaker would not be sitting in the Chair. The Secretary of the Assembly has been asked to sit for the Chair and they are not having a floor test in the sense of pressing the buttons. From what I read, Division will be taken in the lobby and heads will be counted.

Now is it something that was desirable in Uttarakhand? If the BJP was to entertain defectors from the Congress to form a Government, they could have

done it in a nice way or forced a situation where you would go for a fresh elections but manipulation has been used to form a Government which is unfortunate. It is an act of unsettling a settled-government. This is not desirable in the country.

I think somebody in the Central Government has botched it. I read in the papers that Jaitleyji was away in Australia for a few days during that time. He is the Principal Legal eagle for the Government. So maybe his advice was not taken properly.

I just want to read from the judgement of the Supreme Court because today the important question has been raised about the role of the Speaker in any dispute. Member after Member is saying that Uttarakhand Speaker was wrong. He passed a budget which ought not to have been passed. But let us see what Justice Dipak Mishra and Justice Shiva Kirti Singh of the Supreme Court said:

“The Speaker is the master of the House. Whether a Bill has been passed or not can the Central Government or the President go into it? What was the number of MLAs voting for this side or the other side is also for the Speaker to decide. How can somebody else get into the business of the House? It is a million dollar question and you could have taken it as a ground for invoking article 356. Here is a situation where one side says that the Bill has been passed but the other side refutes.”

The two Supreme Court judges upheld the supremacy of the Speaker in any matter concerning the House. The Bench again observed:

“Article 356 is a rare phenomenon. If a Government is in a minority, floor test has to happen as a natural corollary. Ultimately, if we sustain the President’s Rule, then also floor test will have to happen.”

They are obviously referring to the judgment in the Bommai case which said that only floor test could finalise this matter. The Attorney-General, Shri Mukul Rohatgi, who was appearing for the Centre said that after the Appropriation Bill failed to be passed in the Assembly, the inference was that the Government had lost the majority. The Bench overruled the AG. The Bench said that the

Speaker maintained that the Bill was passed. The Attorney-General said that the actions of the Speaker could not remain outside the purview of judicial review. He said that a sting operation showing the Chief Minister, Shri Harish Rawat, etc. was also relevant material for imposing President's Rule. He contended that the Bill was not sent to the Governor for almost ten days.

Now the point to which I am coming is that the imposition of President's Rule was wrong. In Uttarakhand case the speciality is that the Governor did not recommend the President's Rule. Yes, article 356 does say that on the recommendations of the Government or otherwise and the Government in Delhi had taken advantage of that and imposed President's Rule.

I would urge that, after tomorrow's floor test is done, democratically elected Government should be imposed there at the earliest. The Finance Minister earlier said that it was essential incumbent on the Central Government to have the Appropriation Bill passed. I feel that there was no such hurry. If the test was taking place tomorrow, then maybe a Government would come out and they would pass the Budget in their Assembly. What was the hurry in getting the Appropriation Bill passed in this House?

Ultimately, a Speaker may be good or bad but as far as matters regarding the House are concerned, in this House, you are the supreme authority. What you will say is law to all of us. To lead to a situation where you will deny the Speaker's recommendation, criticize it and give it as a ground for President's Rule is wrong.

Shri Jaitley argued that the President can consider whether the Speaker is right or wrong. I do not think that the President has that right under our Constitution. I think the argument of the Government in this matter is fallacious.

Let tomorrow be over, Madam. Those nine MLAs have been disqualified. Tomorrow, let the floor test take place. Let the Government of India assure this House that popular Government would be restored in Uttarakhand at the earlier. The most beautiful, the most holy and the most pristine State in the country would

be on the way of development. People there would not be concerned with the politicians but they would be concerned with whether their lives are changing as they should.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Madam Speaker, I rise to speak on the Uttarakhand Appropriation (Vote on Account) Bill, 2016 and I wish to thank you for giving me time to talk on this Bill.

Long back, when many of us in this House were not even born, in 1951 when the Patiala Government, for the first time, saw promulgation of Article 356, the Congress was in power at that time.

At the outset, I would categorically put it on record very clearly that all these are regressive and bad precedents that we are setting.

As a representative of an established regional party, I oppose this imposition of Article 356 which in turn has resulted in this Appropriation Bill being brought into this House.

India is in a situation where both the BJP-led NDA and the Congress-led UPA seem to be in the same boat and both seem to be repeating each other. I would not like to get into the details of Uttarakhand *per se* as a State. Many of my learned friends speaking before me have discussed it from beauty to economic development being stopped to many aspects of that State. What really bothers me is, what is it that people expect from us and are we really living up to what people want from us. None of us, those who are steeped in political history, can every forget how, from 1951 till Kerala and from Kerala onwards, the Congress Government during Indira Gandhi's time, at will, went on misusing – not using – Article 356 and demolishing one after the other democratically-elected Governments in different States of the country.

Then came 1977 when the late Chaudhry Charan Singh became the Home Minister and the Deputy Prime Minister, a lot of hope was pinned on the Janata Party at that time in which the BJP and all of us were party to the formation because it was heralded as a change from the age-old corrupt Congress Government to the Government of the people. But we failed the people so miserably that we were promptly, all of us including the BJP, were kicked out of power and in 1980 a role reversal happened. Like Chaudhry Charan Singh had

demolished all the State Governments, nine State Governments, similarly when Mrs. Gandhi and her late son, the younger son, came to power, they took no time and demolished the State Governments using this same very constitutional piece of paper. I do not believe the Constitution is a living being. I believe it is a piece of paper. It is to be used for the interest of the people. It is not to be misused for our personal and political goals.

The late Mrs. Gandhi – the original one – again kicked out those same State Governments which, let us remember, had come to power by the power of the vote of the people. This indicates that neither the group which Chaudhry Charan Singh represented in which all of us were parties nor the group that the late Mrs. Indira Gandhi represented respected the wishes of the people. Nobody respected the wishes of the people. We disregarded the people then and we are disregarding them today.

We have heard about cooperative federalism from this Government. All of us were very happy that may be a new chapter is being tried out, a new chapter in which a healthier democracy which has its ears to the ground, which has concerns for the poverty-stricken poor people, which will actually listen and abide by their wishes. We thought this new chapter would be good. We in a way fought the BJP. The candidate who lost to me, who came second, was also of the BJP. But yet we wish them well, not as a political party, not because they will win and fight against each one of us, but we wish them well in the greater interest of the country. Now, that they have got an opportunity after ten long years, one whole decade of the beginning of the 21st Century, in which this country had had such a miserable time – one whole decade was destroyed and wasted – we all hoped that a new chapter would begin. ... (*Interruptions*)

I am not getting into the nitty-gritty of Uttarakhand. Uttarakhand is just a façade. Uttarakhand, to me, signifies one milestone in a long road of democracy in which this country intends to mature and it is still maturing. We are not yet a fully

matured democracy. These are all milestones. All of us are learning. All of us are students. All of us are toddlers in this great process, that we call democracy.

So, this cooperative federalism has become a doubtful slogan now, a slogan that is intended for use when it is convenient. What the BJP-led NDA Government has done till now starting from Arunachal Pradesh to Uttarakhand is not only anti-democratic and anti-federalism but also a very sad thing because all of us, the people of India, pin a lot of hope on Narendra Damodar Das Modi ji and his Government. We expect that something new shall turn up. But alas! It is a sad thing there is no effort also. I am not talking about success or failure. That is something that only Allah will decide.

But when these people have been rejected, Congress has been rejected because of their misdeeds, people have a lot of hope on these people. If States are disturbed this way, this reminds us of Indira Gandhi's days when article 356 was misused. I am reminded of what a great leader of our time, Shri L.K. Advani ji has said very recently. He said in an interview that a situation is being built where it seems that imposition of Emergency might be a possibility. Sadly, no body from the ruling clique thought it fit to contradict him. So, it was kind of accepted.

This is a bad time for that particular State, there was a cloudburst last night; there is no Government. Like the fire, the former Chief Minister of that State was referring to, there was a cloudburst and the Badrinath and Kedarnath road has been blocked. I do not know whether NDRF can do any miracles. But with a properly elected Government in position, definitely people would have got more justice. I wonder if the Central Government would bother to inform the House what steps it has taken in view of not only the fire but also cloudburst of last night.

I believe that before using article 356 which I as a Member of the Biju Janata Dal vehemently oppose, whoever is the Government of the day, should always keep people as priority, and not gaining power in the State. We can understand their desperation; we can understand especially because of Bihar, their loss in the larger cow belt, Hindi-speaking belt, they are probably thinking that

focusing on small States - focusing on Arunachal Pradesh and such States - they may be able to cobble together some kind of strength next time.

I would like to quote a noted jurist, Mr. Fali S. Nariman who expressed over a decade ago in relation to an interim order passed by a Division Bench of the Apex court concerning Jharkhand. This was in 2005. He had said, “To me, the order of March 9 serves as a disturbing precedent for courts, in the future, not only the Supreme Court but also any High Court, to direct how proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha and State Assemblies should or should not be conducted by its presiding officers.” In 1998, we have had the case of *Jagadambika Pal ji*, which is a great historical piece of judgement where the SC had ordered a composite floor test. Lawyers have said that this is a direct violation of articles 118 and 208 where no such provision is present. These are precedents and another one is being set now.

I would like to state here before winding up that the High Court of Nainital had to interfere and quash the President’s rule, which was eventually challenged in the Supreme Court. A floor test is the natural recourse if questions of stability of a Government are concerned. But what worries me today is this. Which State Government is your target now? How many State Governments you break before your appetite for power is satisfied? Thank you.

SHRI JITENDRA CHAUDHURY (TRIPURA EAST): Madam, we have been discussing here an issue which is an outcome of a very undemocratic act unleashed by the Party in power.

This Bill is related to Uttarakhand. Uttarakhand Assembly is still alive. But here in Parliament, we are discussing the Uttarakhand Budget. Why has this happened? My learned colleagues have already explained that in Uttarakhand, by the undemocratic way, the Government has been dismantled.

Now, the NDA is committing the same sins that were started by the Congress Party in 1959, as we all know, when they dismissed a popular Government in Kerala led by the great E.M.S. Namboodripad and then they dismissed the elected Governments in Tamil Nadu in 1976 and also in Manipur in 1979. Again, that was repeated during the tenure of the NDA in 1998. It is very unfortunate that, when our hon. Finance Minister who is present here – he is an outstanding lawyer – the sanctity of democracy has been denied and this has been done again in Uttarakhand.

Madam, in the S.R. Bommai's judgement of the Supreme Court delivered in 1993 is a landmark judgement and in that judgement, the Supreme Court said, "Issues of majority or minority are not matters to be determined by the Governor or for that matter anywhere else except the floor of the House." Since the Uttarakhand Assembly is alive, let the floor test be conducted in the Uttarakhand Assembly, a popular Government be installed there and let their Budget be passed there. So it is very unfair to do it here.

Let the Proclamation of President's Rule imposed in Uttarakhand under Article 356 should first be scrapped. Then, if the Uttarakhand Assembly is not alive, then let us discuss the Appropriation Bill and pass it here. So, it is very unfair and it is wrong. It is a shameless assault on democracy and a blatant violation of constitutional norms. Therefore, I oppose this Appropriation Bill and I would like to urge that first the Proclamation issued Article 356 of the Constitution should be scrapped, let the floor test be conducted in the Uttarakhand

Assembly, let a popular Government be installed there and then their elected representatives should be allowed to decide their destiny and let them pass their Budget.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Madam Speaker, I thank you very much for giving me this opportunity.

We sincerely support this Budget. But we oppose the defection of people's representatives after having been elected on a particular party ticket earlier and later defecting to other parties. This is a very immoral practice. We have to correct this. Otherwise, it becomes a mockery. This is really unfortunate. We are destroying the very laws which have been passed by us in the same august House.

Madam, what is happening in Andhra Pradesh now? There is a popular Government there and it is a very stable Government with the support of 108 MLAs in the House of 175 MLAs. Our party, the YSR Congress Party has 67 MLAs. There is no need to feel panicky about the stability of the Government. In spite of that, ... (*Interruptions*)...* is taking each MLA from our party, one by one, every alternative day. Till now he has taken 17 MLAs of YSR Congress Party by paying huge amounts of money, by paying hundreds of crores.

HON. SPEAKER: No, this should not go on record.

... (*Interruptions*)... *

HON. SPEAKER: No name will go on record.

... (*Interruptions*)... *

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY: Please ask your conscience. I am very correct. I will never tell a lie Madam. They are paying huge amounts. They have taken 17 MLAs from our Party, but still this process is going on. How is it so? This is very immoral. ... (*Interruptions*) If they have any moral responsibility, either they should resign on their own, otherwise the hon. Speaker should disqualify them. Here, the Speaker being the official party, he has immediately disqualified the people who have defected; whereas in Andhra Pradesh it is not the case. There is Telugu Desam Party; their own Speaker is there. In spite of our reports making allegations against them, he is not at all active.

* Not recorded.

Madam, we have a great example of hon. Vajpayee *ji* here. Had he wished to survive, to keep up his Government, he would have taken some MPs from other parties and would have survived and avoided the mid-term poll. But he never did like that. That is a great example to follow. We should all follow that example.

HON. SPEAKER: That is why he is Bharat Ranta.

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY: Yes, Madam; I admire his leadership. Had he wished, he would have taken some MPs, after all a few MPs and he would have saved his Government. But he never did it. That is the moral he had. He is a great person; we have to admire him. Here, unless otherwise we correct the lapses in our Anti Defection Law, either it should be a time-bound thing. Within three months, if a person crosses the floor, having been elected on one party's 'form B', to other party, either he should on his own resign; otherwise he should be disqualified. This is high time we acted on it. We should correct the Anti Defection Bill. However, I support this Budget. Thank you very much, Madam.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Thank you very much, Madam. TDP people are saying Telangana also but here it is reverse. Here, what Shri Raja Mohan Reddy is saying that they are being forcibly taken. They are pulling them. But in Telangana, willingly people are coming in. They are pulling and here willingly, everybody is coming. Every night, one MLA calls up and says that your administration is very good; we want to come and join. So we are allowing them to come and join. That is pulling and this is willing.... (*Interruptions*) But when you come to the Uttarakhand issue, in Telugu, there is a proverb: '*Goruto poyedi goddalito techukovadam*'. It means, you could have used your nail and removed the problem but you have used an axe to remove it. As per the rules and regulations, if the Government did not have proper MLAs, there should have been a floor test. In the floor test, if it had been proved that they were short of MLAs, automatically the Government would have fallen. But here, last time Devegowda *ji*'s saying I always remember, 'old man in hurry'. This is what Mr. Devegowda had said, when he had last given his speech. I do not understand why BJP was in such a hurry. ... (*Interruptions*) I am talking about BJP, not BJD. Yesterday I saw in the newspapers that Congress wants to put President's Rule there also. The Congress has asked to put President's Rule in Odisha also. So, unnecessarily using Article 356 is not good for democracy. We have our rules and regulations in the Assemblies as well as in the Parliament. So, I request that the State should be allowed to run properly, the Parliament should be run properly and Article 356 should not be unnecessarily imposed. Thank you, Madam.

श्री प्रेम सिंह चन्द्रमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तराखंड राज्य के लिए बजट की चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जहां तक आर्टिकल-356 का सवाल है, मुझे और हमारी पार्टी को इससे एलर्जी है। हम सैद्धांतिक तौर पर इस आर्टिकल के विरोध में हैं और इसका कारण यह है कि आजाद भारत में सबसे पहले यदि आर्टिकल 356 लगाया गया तो पेप्सु में अकाली सरकार ज्ञान सिंह राड़ेवाला की मैजोरिटी में, उसे तोड़ दिया गया। बादल सरकार की वर्ष 1980 में सरकार थी, 117 विधायकों में से 103 हमारे साथ थे, रात को ही सरकार को तोड़ दिया गया। हमारा एक मंत्री तो सचिवालय में चला गया, उसे पता ही नहीं चला कि उनकी सरकार तोड़ दी गई है। वर्ष 1985 में मैं मंत्री था और 117 में से 80 सदस्य हमारे साथ थे। हमारी सरकार तोड़ दी। हम रात को मंत्री थे लेकिन सुबह संतरी बना दिए गए। आज जब कांग्रेस वाले उत्तराखंड की घटना का विरोध कर रहे थे, तो मुझे एक कहावत याद आई कि "अपने घर लगी तो आग, दूसरे के घर लगी तो वसंत।" इन्हें अब मालूम हुआ कि आर्टिकल 356 से क्या दुख होता है।

महोदया, मेरे मित्र गगोई जी डॉ. अम्बेडकर की बात कह रहे थे। जब ज्ञान सिंह राड़ेवाला की सरकार तोड़ी थी, तब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि जिंदगी में मुझसे अगर कोई सबसे बड़ी गलती हुई है तो वह यह है कि आर्टिकल 356 को संविधान में लाया गया है। यह बात सच है कि जो स्थिति आज उत्तराखंड में बनी है, उसके लिए हम जरूर सोच रहे हैं। जब वहां के मुख्यमंत्री जैसे रेहड़ी पर गोभी के फूल रखकर बेचते हैं, ऐसे एमएलएज़ की ऑक्शन कर रहे हों तो फिर क्या किया जा सकता है। बहुत दुख की बात है, स्टिंग ऑपरेशन हुए, ये कहते हैं कि कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस नहीं आया। जब बहुमत हाउस में डिविजन करने के लिए कह रहे हों और लिखित तौर पर दे रहे हों तथा वहां असेम्बली में स्पीकर मैजोरिटी की बात न माने तो इससे बड़ा कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस और क्या हो सकता है। जब मुख्यमंत्री स्वयं विधायकों को खरीदने की बात कह रहे हों, पेपर में खबर आई है, लोग मीडिया में देख रहे हैं, तो इससे बड़ा कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस और क्या हो सकता है। हमें हाउस में ईमानदारी से जरूर सोचना होगा कि हम अपने प्रजातांत्रिक सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसे प्रभावी तौर पर कैसे लागू करना है। आज जो स्थिति उत्तराखंड में है मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था। विधायकों को जैसे खरीदा जा रहा था, मजबूरीवश केंद्र को आर्टिकल 356 लगाना पड़ा। जब इनके घर के सदस्यों में ही अलगाव हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं। क्राइसिस कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई है, इनके पास न नेता हैं, न नीति है। इनकी गलत नीतियों के कारण आज देश का समय बरबाद हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मैं उत्तराखंड के इस बजट के पक्ष में हूँ।

श्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तराखण्ड की राजनीतिक संकट के बारे में बहुत सारे विषयों को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा है। इससे इस सदन में और पूरे देश में स्थिति स्पष्ट हुई है। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय निशंक जी द्वारा भी उत्तराखण्ड के राजनीतिक संकट पर विस्तार से चर्चा की गयी है। विपक्ष के बहुत सारे साथी, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और कठिनाइयों से अनभिज्ञ हैं। वे जो कुछ समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हीं बातों को इस सदन में रख रहे हैं।

मेरा मानना यह है, चूंकि उत्तराखण्ड की सीमा नेपाल, चाइना और तिब्बत के बॉर्डर से लगा है। उसकी बहुत सारी भौगोलिक परिसथितियाँ हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, जो आज भी हैं, उनको हम सब लोग भलीभांति जानते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं, जो उन कठिनाइयों से जूझते हैं, उन लोगों को मालूम हैं।

उत्तराखण्ड की इन्हीं सारी कठिनाइयों के कारण वर्षों से मांग रही थी कि यह एक अलग राज्य बनना चाहिए। इस संबंध में बहुत सारी आहूतियाँ हुईं, बहुत-से लोग शहीद हुए। बहुत सारी माताएँ-बहनों की आहूतियाँ हुईं। मुजफ्फरनगर का कांड या खटीमा का कांड या मसूरी का कांड हुआ। लेकिन कांग्रेस के समय में हमें अलग राज्य नहीं मिला। अटल जी के समय में हमें अलग राज्य मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिला, हमें औद्योगिक पैकेज मिले। तब हमारे राज्य का विकास-कार्य बढ़ा। हालांकि उस समय वहाँ कांग्रेस का शासन था, फिर भी यह दिया गया। इन सारी चीजों को हमें याद रखना चाहिए।

कांग्रेस के शासनकाल में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्तराखण्ड राज्य में रही हैं, भू-माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया आदि सारे माफिया तंत्र के लोगों का सरकार से जुड़े होने के कारण वहाँ की जनता तो त्रस्त थी ही, लेकिन वहाँ के कैबिनेट मंत्री ... (*Interruptions*)... * और एक पूर्व मुख्यमंत्री तथा सात विधायकों ने सरकार के मत विभाजन के समय ही अपनी सरकार के खिलाफ बिगुल फूँका और सदन के अंदर की यह कार्यवाही कैमरे में भी है, लिखित रूप में भी है, जिन्होंने खुद कहा है कि वहाँ की सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस की सरकार के साथ पूरा राज्य नहीं है। हम मंत्री और विधायक भी इनके साथ नहीं हैं। यह स्पष्ट स्थिति हुई है। इसलिए डिवीज़न मांगना उनका अधिकार था, उन्होंने डिवीज़न मांगा और उन्हें डिवीज़न नहीं दिया गया तथा विधान सभा अध्यक्ष जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। उन्होंने उन सदस्यों की बात सुने बिना ही सिर्फ एक लाइन बोलकर चले गये। आज तक का यह सारा विषय आप सबके और हम सबके ध्यान में है।

* Not recorded.

मेरा यहाँ पर बैठे सभी साथियों से कहना है कि वास्तव में उत्तराखण्ड राज्य, जिसका 70 परसेंट क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से वनक्षेत्र है। हमारी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं। हमारे पास अपनी नाप जमीनें बहुत कम हैं। जितना हम विकास कर सकते हैं, आज भी हमारे पास मोटर मार्ग नहीं हैं, कई गांवों में बिजली नहीं है, कई गांवों तक रास्ते नहीं हैं, पानी नहीं है, उन सब चीजों को करने के लिए बहुत सारे वन क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।

सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी छोटी-छोटी समस्याओं को भी दूर किया है। जैसे हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पास आना पड़ता था। लेकिन अब राज्य सरकार को ही पाँच हेक्टेयर तक की भूमि का निस्तारण करने का अधिकार दिया गया है। वन क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास राज्य सरकार खुद करे।

हमारा क्षेत्र हर वर्ष आपदा का क्षेत्र रहता है। हम लाइकेला की घटना को नहीं भूले हैं, जिसमें 42 लोग एक ही रात में लील गये थे, केदारनाथ और बद्रीनाथ में हजारों लोगों की जान चली गयीं। ऐसी बहुत सारी आपदा की घटनाएँ निरंतर होती रही हैं। हमारे आज के प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने तब भी उत्तराखण्ड राज्य की चिन्ता की और वहाँ की सरकार तक आपदा राहत पहुंचायी है।

वास्तव में हमें इस बात की बहुत ज्यादा चिन्ता है। हमें कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया है। वहाँ की आम जनता जानती है कि जितना राज्य को मिला था, उसमें हमेशा कांग्रेस ने लूटने-पीटने का काम किया है और वहाँ की जनता को त्रस्त करने का काम किया है। वह तो बिल्ली के भाग्य से छीका फूँटा कि 33 विधायक कांग्रेस के पास आए और 32 विधायक बीजेपी के पास आए। उसका लाभ लेकर फिर जोड़-तोड़ की राजनीति में कांग्रेस लग गयी थी।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा क्योंकि हमारा उत्तराखण्ड राज्य सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यह सीमा का प्रहरी है। सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते कोई भी ऐसा घर नहीं है, जिस परिवार का हर दूसरा व्यक्ति सेना में न हो।

"वन रैंक वन पेंशन" का लाभ देकर हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड की जनता को एक बहुत बड़ा लाभ दिया है।

18.00 hours

हमारे यहां बिजली उत्पादन के लिए बड़े स्रोत हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है, हमारे रोटी-बेटी के संबंध नेपाल के साथ हैं, मगर वहां 17 वर्ष बाद हमारे प्रधानमंत्री जी गए और सबसे बड़े डैम, पंचेश्वर डैम, जो साढ़े पांच हजार मेगावाट बिजली बनाएगा। वह बिजली केवल उत्तराखण्ड राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए होगी। ऐसी बहुत सी संभावनाएं हैं। हमारे पास ग्लेशियर्स हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अजय जी, एक सेकण्ड के लिए रुकिए।

अगर माननीय सदन की इजाजत हो, आप सभी की सहमति हो तो सदन का एक घण्टे के लिए यह बिल पास करने तक बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री अजय टम्टा: अध्यक्ष जी, हम आज उत्तराखण्ड राज्य की बात कर रहे हैं। वहां हमारे पास बड़े-बड़े हिमनद हैं। वहां एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर - मिल्म ग्लेशियर है, जिससे बहुत सारी नदियां हमारे उत्तराखण्ड राज्य से पूरे देश में जाती हैं। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं उत्तराखण्ड राज्य में हैं। कांग्रेस के मेरे मित्र गोगोई साहब इस तरह बोल रहे थे जैसे वह वहां पर्यटक के रूप में गए होंगे। वहां पर्यटक के रूप में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक कठिनाइयों को देखने की आवश्यकता है। मैं पीछे दो दिन की छुट्टी में अपने क्षेत्र में गया था, वहां गांव के लोग अपने घरों के बाहर बैठे थे कि आग किस तरफ फैलेगी, लेकिन सरकार के अथक प्रयास से, एनडीआरएफ और वायुसेना के माध्यम से उस आग को बुझाया गया। हमारे यह मित्र जी नहीं जाते, वहां कांग्रेस के अन्य एक मित्र भी हैं, जो कौसानी में हफ्ते-हफ्ते भर रहते हैं। इसलिए यहां यह कहना संभव नहीं है कि किस प्रकार राज्य को हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस वहां राज कर रही थी, उसका यह परिणाम है। वहां जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ...* वह स्वयं कहते थे कि यह राज्य मेरी लाश पर बनेगा। इस प्रकार की भावना थी। कांग्रेस कभी उत्तराखण्ड राज्य बनाने की पक्षधर नहीं रही है। यह राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी उसकी पक्षधर है। मैं देख रहा था कि माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा विभिन्न विभागों की मदों में जो मांग की गयी है, बहुत अच्छे प्रकार से उन सभी योजनाएं के लिए उन्होंने बजट की मांग की है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अरुण कुमार जी, दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : मैडम, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

* Not recorded.

डॉ. अरुण कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विधेयक, 2016-17 पर चर्चा के लिए आपने अनुमति दी, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

कांग्रेस के दो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। जब कांग्रेस के लोग लोकतंत्र पर चर्चा करते हैं तो हमें हंसी आती है। पूरा इतिहास अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग से भरा पड़ा है। माननीय सदस्य चन्द्रमाजरा जी जब बोल रहे थे, तो इनके दिल की पीड़ा थी किस तरीके से क्षेत्रीय दलों की लोकतांत्रिक सरकारों को इन लोगों ने कुचला है, तोड़ा और मरोड़ा है। अनुच्छेद 356 और लोकतंत्र की जहां तक बात है, कभी-कभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनुच्छेद 356 का संविधान में प्रावधान किया गया। जिस तरीके से 18 तारीख की घटना हुई। उत्तराखण्ड की विधान सभा में जब मामूली बहुमत से, 32 और 33 सदस्यों के साथ सरकार चल रही थी, उनमें से 9 विधायक बागी हो गए। जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं हो, वह पार्टी लोकतांत्रिक सरकार कैसे चला सकती है, यह कल्पना से परे है। इसलिए जब उनकी अंतरात्मा की आवाज आई कि राज्य के हितों के साथ अनदेखी हो रही है, लूटपाट हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है तो निश्चित तौर से उन लोगों ने फ्लोर टेस्ट कराने की बात की। संविधान के उच्च पद पर बैठे हुए लोग, सार्वभौमिक सत्ता उनके साथ जरूर है, लेकिन संविधान में चेक और बैलेंस की भी व्यवस्था है। डिजीजन की मांग यदि एक सदस्य भी करता है तो डिजीजन कराना चाहिए और वहां डिजीजन की गुहार लगाई गयी, लेकिन चूंकि फ्लोर पर सरकार नहीं चल सकती थी, इसलिए निश्चित तौर पर कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस यह भी है कि हम संविधान के अनुसार व्यवस्था नहीं दे रहे हैं।

इसलिए निश्चित तौर से इस कंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में केन्द्र सरकार का स्टेप-इन करना आवश्यक था। हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने की एक आदत सी बना ली थी और वर्ष 1975 में आपातकाल के साथ लोकतंत्र के डेथ वॉरंट पर सिग्नेचर किया गया। भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली शक्तियां थीं, वर्ष 1977 में एक नये इतिहास की संरचना की और उस संरचना के आधार निश्चित तौर से आज जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करें और क्षेत्रीय पार्टियों को भी मजबूत करें। अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रो. सौगत राय बोल रहे थे। वह ऊधर भी रहे हैं और इधर भी रहे हैं। इसीलिए उनकी अंतरात्मा से उनकी बात आ रही थी कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही, संविधान की रक्षा के लिए ही वहां कंस्टीट्यूशनल क्राइसिस से निबटने के लिए ही सरकार यह प्रस्ताव लायी है, जिसका हम समर्थन करते हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, संविधान लोक-लाज से चलता है, संविधान को हम मानेंगे, लेकिन खूँटा वहीं गाड़ेंगे, जहाँ मेरा मन है, यही है बीजेपी। संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है। हमारी संघीय व्यवस्था पर हमला अत्यंत ही घातक है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। यही उत्तराखण्ड में हुआ है और यही अरुणाचल में हुआ है। हम बाबा साहेब की 125 वीं जयंती मना रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, लेकिन हम लोकतंत्र को बुलडोज भी कर रहे हैं। अनैतिक है या नहीं, इसका फैसला फ्लोर पर होगा, सदन में होगा। लेकिन यह तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है और गलाघोंटू लोकतंत्र है। अहंकार और खुमार के बल पर यह जो फैसला लिया गया है और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। यह फैसला कानून के दरवाजे से होता, अगर नहीं हुआ, जबरदस्ती हुआ तो सख्ती से इसका फैसला होगा। अतिबलशाली का भी विनाश होता है। यह जो नासूर है, यह लोकतंत्र को समाप्त करेगा। जहाँ-जहाँ भी गैर-भाजपा सरकार है, वहाँ-वहाँ इस तरह का हमला शुरू हो गया है। उत्तराखण्ड लोकतंत्र का भण्डार कोना है। प्रकृति ने ऊपर से उपहार के रूप में उत्तराखण्ड दिया, लेकिन लोकतंत्र की दमनकारी नीति की शुरुआत है और देश में उपहास हो रहा है कि लोकतंत्र पर हमला उत्तराखण्ड में किया गया है और उधर जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने किया है। संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गयी हैं। इन लोगों को बाबा साहब का नाम लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना गलत है। सोए में लोकतंत्र की हत्या की गयी। देवभूमि को दमनभूमि बना दिया गया, यह अत्यंत ही घातक है, यही कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं उस प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश में पहली बार कहा गया- आया राम, गया राम। वर्ष 1967 में हमारे प्रदेश के विधायक गया लाल जी एक दिन में तीन दलों में आए और गए। आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि वर्ष 1982 में जब चौधरी देवी लाल के पास मेजोरिटी थी, तब उस समय के गवर्नर तापसे जी ने बुलाकर एक महीने का समय कांग्रेस की सरकार को वहां दिया था, क्योंकि केन्द्र सरकार का दबाव था। आज कांग्रेस दुखी और पीड़ित है क्योंकि इनके दो प्रदेशों में ऐसे हालात हैं, जहां इन्हीं के लोग इनको छोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ताकि इन्हें याद रहना चाहिए कि जब इंदिरा गांधी जी 14 साल इस देश की प्रधान मंत्री रहीं तो उन्होंने पचास बार अलग-अलग राज्यों में धारा 356 लगाने का काम किया था।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 में जब इनकी मैजोरिटी हरियाणा प्रदेश में नहीं बनी तो रातों-रात हैलिकॉप्टर से हरियाणा जनित कांग्रेस के पांच विधायकों को खरीदकर इन्होंने दिल्ली लाने का काम किया और प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। पांच साल मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा। जो इनके विधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उन्हें डिसमिस नहीं किया, बल्कि सरकार का हिस्सेदार रखने का काम किया और जब हाई कोर्ट के आर्डर आ गये कि पांच साल के अंतराल में उन्होंने जितनी फ़ैसिलिटीज लीं, जितने लॉ अमेंड किये, उन सबको नल एंड वॉइड किया जाए तो भी इनकी सरकार ने हाई कोर्ट के आर्डर मानने का काम नहीं किया। लेकिन जो उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हुआ, उससे भी मुझे दुख होता है। ... * प्रदेश में प्रेसिडेन्ट रूल में लगा देते हैं और माननीय ... * यह बड़े दुख की बात है कि इस देश के सर्वोच्च पद पर टिप्पणी की जाती है। मैं आज सरकार से आग्रह करूंगा कि हमें ... *के ऊपर भी एक्शन लेने की सोच रखनी पड़ेगी। आज मन करता है तो मीडिया का कोई साथी सरकारों के खिलाफ कुछ भी लिख देता है। ... * आज ऐसी टिप्पणी करते हैं कि कल अखबारों और टीवी में हाईलाइट बन जाए। आज हमें अपनी डेमोक्रेसी का अंत दिखाई दे रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर कहा करते थे - “Emergency provision should be a dead letter in our Constitution.” परंतु मुझे लगता है कि जहां डाटा सामने आएगा तो जवाहर लाल नेहरू जी ने आठ बार धारा 356 लगाने का काम किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार धारा 356 लगाने का काम किया, मोरारजी देसाई जी ने 16 बार धारा 356 लगाने का काम किया, चौधरी चरण सिंह ने चार बार धारा 356 लगाने का काम किया और इंदिरा गांधी जी ने पचास बार इस देश के अंदर धारा 356 लगाने का काम किया।

* Not recorded.

महोदया, आज हमें इस प्रोविजन के अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी ... (व्यवधान) प्रेसीडेंट रूल और इमरजेन्सी दोनों आपकी सरकार ने लगाने का काम किया। मैं वह वाक्या नहीं भूलूंगा कि जब आपने मेरे परिवार के चार सदस्यों को सलाखों के पीछे रखा था और वे लोग 19 महीने सलाखों के पीछे रहे थे। जेटली जी चले गये, वह भी अम्बाला की जेल में रहकर आए थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दो प्रदेशों में डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करने का काम किया, हमें उसका भी संज्ञान लेना पड़ेगा। इनके कई साथी इनकी पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, उसका दुख है, मगर प्रजातंत्र को इससे भी खतरा है कि हमारे देश में दोबारा हॉर्सट्रेडिंग देखने को मिल रही है।

महोदया, मैं आज आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे एक मिनट की जगह ढाई, तीन मिनट बोलने दिया। मैं समझता हूँ कि आज हमें सबसे पहले आर्टिकल 356 के ऊपर इस सदन में दोबारा चर्चा करनी पड़ेगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRIMATI MALA RAJYALAKSHMI SHAH (TEHRI GARHWAL): Hon. Speaker Madam, thank you for letting me to speak today on Uttarakhand.

As you know, we are facing a lot of problems in Uttarakhand. The Bill is being discussed. We support the Bill. But our colleague, Mr. Gaurav Gogoi was very kind to talk about Uttarakhand. Thank you Mr. Gaurav Gogoi and all the rest of the speakers. But today I would like to speak not as an MP but as a Uttarakhandi about the problems we are going through. Modi Ji has done a lot for Uttarakhand. We support him. Let me tell you we had gone through a lot of problems in 2013 when the Government was of Congress, and what we went through we only know. I never say this but it is a fact. In Parliament these days, I see we only talk about papers, Bills and all these things. But things are not practical.

Today I would like to say it in Parliament that we must be more practical and let Parliament be like a Parliament and not like a *machhi bazaar*. I feel very sad about it. But I will definitely thank Gaurav ji. I do not know that you are so fond of our Gadwali songs. So, I thank you very much.

Let me tell you what has been happening; what I went through and what my people went through in 2013. It was very sad. At that time, the Congress was in Government. But that is the past. We only talk about each other. But the people, who are suffering, are suffering. Uttarakhand people need the support of our Government. The support will only come if we are with the people. That is all I would like to say. With these words I support this Bill. Thank you very much.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, यहां सब लोग रो ही रहे हैं। हंस कोई नहीं रहा है। कांग्रेस के मित्रों से हम आग्रह करेंगे कि जैसा बोएंगे, वैसा ही पाएंगे। माने बबूल रोपे तो क्या खजूर खाइएगा? मैं सबकी बात कह रहा हूँ। जनतंत्र को ध्यान से हटा कर लोकतंत्र की बात भी यह सही नहीं है। हम समझते हैं कि ... * हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजामें गुलिस्तां क्या होगा। यहां आप भी समझते हैं।

अध्यक्ष महोदया, आप तो मेयर रही हैं। ब्लॉक प्रमुख की जो दो साल के बाद बदली की जाती है, जिला परिषद् अध्यक्ष का या मेयर की जाती है, तो वह कोई ... *को हटा कर महात्मा गांधी को बिठाने की बात नहीं होती है। वह रूपया के चलते एक ... * को बिठाता है या तो ... * को बिठाता है। यह जो सत्ता में पैसे, यह जो money will must, money will first and money will just. अर्थ में जो, महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा था कि गांधी जी आप के मरने के बाद यह जो तस्वीर लगी है, जहां हम न्याय लेते हैं, उसका क्या होगा तो उन्होंने कहा कि हमारी तस्वीर याद दिलाती रहेगी। हमें लगता है कि गांधी जी की छाप जो रूपए पर है, वह याद दिलाती रहती है कि सत्ता के मद में कौन ऐसा व्यक्ति है, हॉर्स ट्रेडिंग कौन नहीं करता, यह दुनिया जानती है। इसलिए उस पर बहस नहीं है। लेकिन थोड़ी जल्दबाजी बीजेपी के साथियों ने कर दी, उनको इंतजार करना चाहिए। आपने ... * जी को हीरो बना दिया। आप मानिए या न मानिए, जो तंग होता है, यह देश हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। यह देश या तो ताकतवर के साथ खड़ा हुआ है या तो दया करने के वाले के साथ खड़ा हुआ है। आप लोगों ने थोड़ी जल्दबाजी की है, यह उचित नहीं था, उनको आप फ्लोर टैस्ट करने देते।

मेरा आग्रह है कि स्पीकर और गवर्नर के बीच यह कौन तय करेगा कि स्पीकर सर्वोच्च है या नहीं है। न्यायपालिका और स्पीकर के बीच कौन बड़ा है। हम तो याद करना चाहते हैं सोमनाथ दादा को और संगमा साहब को। सोमनाथ दादा लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी थे, जिन्होंने न्यायपालिका से ले कर दुनिया को बताने का काम किया था कि लोकतंत्र की ताकत इस कुर्सी से चलती है न कि हिंदुस्तान के ... * से चलती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे उन पर गर्व है। मैं आग्रह करूंगा कि दुनिया ऐसी चीजों को कभी भी उचित नहीं ठहराती है, जो जनतंत्र को अच्छा न लगे। मैं निशंक जी से कहना चाहूंगा, आपके यहां एक संत मर गए थे, भू-माफिया के खिलाफ लड़ते हुए मर गए थे, उत्तराखण्ड में जो प्रलय हुई, वह किसकी देन है? वह राजनीतिज्ञों की देन है। पढ़ने से इतिहास नहीं बनता है। जो इतिहास बदलता है, उसका इतिहास होता है। इतिहास पढ़िए नहीं, देवो भूमि, मातृभूमि, इतिहास के करने से इतिहास बदलत है। वे जो संत मर गए थे, तो उनको कोई देखने वाला नहीं था। उत्तराखण्ड के सात गांवों में एक भी मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें

बची हैं उस प्रलय के बाद। चारों धाम ध्वस्त हो गए। प्रकृति और परमात्मा को छेड़ने वाला जो मनुष्य है, पहले उसको सुधारिए। इन सारी व्यवस्थाओं के दोषी राजनैतिक लोग हैं।

इसीलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि हम अपनी नीति और नीयत को ठीक करें। राजनैतिक व्यवस्था बिकना बंद करे। पद और सत्ता के लिए हम लोभी न बनें। मेरे पास वक्त नहीं है, हम आग्रह करेंगे कि ऐसे लोक तंत्र को बचाने में यदि जनतंत्र पर खतरा तो वह सही नहीं है। आपने जो राष्ट्रपति शासन लगाया, हो सकता है कि वह संवैधानिक चीजें हों, लेकिन मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे पहले राजनीतिज्ञों की स्थिति है, उसको ठीक करें। जो आज संवैधानिक, लोकतंत्र और जनतंत्र की रक्षा नहीं कर पाता, जात, धर्म मज़हब, सत्ता वोट के लिए सब कुकर्म करते हैं।

हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो जाति, धर्म, मज़हब और रूप से ऊपर उठकर लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। यह मेरा आग्रह है। जो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है, हम इसको जल्दबाजी मानते हैं। थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि आप जैसा बोए हो, वैसा ही पाओगे। बोए हो बबूल, खओगे खजूर कहाँ से। आप सब दिन वैसा किए हो। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो राष्ट्रपति शासन लगा है, इसको आप वापस करें। आप जो बिल लाए हैं, निश्चित रूप से यह बिल, चूंकि संवैधानिक संकट था, इसे लाना आवश्यक था, आप जो बिल लाए हैं, मैं समझता हूँ कि इस बिल को लाने में आपने जल्दबाजी नहीं की है। संवैधानिक संकट से बचाने के लिए आप यह बिल लाए हैं, इसका मैं समर्थन करता हूँ लेकिन जो आपने राष्ट्रपति शासन लगाया है, उसका हम विरोध करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सुष्मिता देव, ओनली टू मिनिट्स। Not more than that.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पूरा समय समाप्त हो गया, आपने डबल समय लिया। आपने उस पर, अच्छा बोलने वाली पर अन्याय किया है। गौरव जी ने अन्याय किया है। नाऊ ओनली टू मिनिट्स। I am sorry.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam, I will keep myself very brief. I thank you that you were kind enough to grant me some time.

I have never had the privilege of opposing the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitleyji, in a court of law. So, today is the first time that I stand face to face because the last Bill was passed by consensus.

He is right that as the Finance Minister of the country, it is incumbent upon him to avoid any constitutional crisis that may emerge if the Uttarakhand State Government is unable to spend after the 1st of April. There, I agree with him. But I am forced to say that the constitutional crisis that we fear that may happen on 1st of April is actually precipitated by the decision of the Cabinet on 26th of March. On that day, a meeting happened late in the evening. It is that meeting which actually first precipitated the constitutional crisis. I say this because there is one very important thing.

The Government of India has filed an affidavit in the court wherein nowhere have they stated that the Governor of Uttarakhand has recommended President's Rule. Secondly, since there is no such report in front of the President, they are relying on the word 'otherwise'. Based on that otherwise clause, the President is satisfied that the State Government is not acting in accordance with the constitutional provisions.

Now, there is a short point. I know that I can be brief because Mr. Jaitley, being an eminent lawyer, will understand what I am saying. I do not have to elaborate. I would like to ask what was the material in front of the hon. President of India, and in front of the Cabinet, which showed and was evidence of the fact that the elected Government of Uttarakhand was not going to be able to function as per the provisions of the Constitution. There are several judgements to say that 'not in accordance with constitutional provisions' is not just any provision; it has to be a set of events that has happened in a State and it must be one of the key administrative functions.

Madam, we definitely do not want Uttarakhand to enter into any financial crisis, but I can say this much that there is no law in this country which requires a division, which means not a voice vote, on an Appropriation Bill. As far as the material I have, the Assembly had already voted on the grant. It was the Appropriation Bill that the Speaker did not allow a division on.

In the end, I would say that it is true that the Governor has not given its assent to the Budget, which hon. Finance Minister stated, but the question is that the final authority on certifying whether a Budget has been passed or not lies with the Speaker of the House, which no one can question. The Governor on 18th evening knew that the entire battle was about the Appropriation Bill and only 27 MLAs wrote to the Speaker of the House to ask for a vote by division. It was not the majority. Therefore, the show cause, that was eventually issued by the Speaker, was on the basis of the memorandum they signed and submitted to the Governor along with BJP MLAs. On 27th, if the minority asks for a division of vote, Madam, you are not bound to do it. They only signed the memorandum much later. This is an absolute travesty of justice and I am grateful that every attempt of this Government to scuttle a Floor Test has ultimately been set aside by the hon. courts. Thank you.

SHRI ARUN JAITLEY : Madam Speaker, I am extremely grateful to the hon. Members who have participated in this discussion. Though, the discussion is only on the Constitutional necessity of having an Appropriation Bill and the Budget passed so that there is no Constitutional crisis, bulk of the discussion really has been around article 356.

Article 356, from the time of its inception, has been an unpopular provision. Even those Founding Fathers -- who legislated article 356 -- were not very enthusiastic. Therefore, it is only in the rarest of rare cases that the President or the Centre has to step in because there is a federal polity, there is always a shared mandate.

A State Assembly is elected for the powers that the State Assembly has. The Parliament is elected for the jurisdiction that the Centre has. It is a shared sovereignty as far as India is concerned between the Centre and the States. This is the essence of Federalism, which has to be respected.

But then, there are several unforeseeable situations where the governance of a State cannot be carried on in accordance with the Constitution. There is no corresponding provision with regard to the Centre. There must always be an elected Government in the Centre, but in a State a situation of this kind can arise. This power was hugely used, even misused, in the earlier days. But as a result of several pronouncements of the court -- I can deal separately with a number of those because they are given in a particular context -- the use of it has now been restricted.

To comment on article 356 without touching the facts, now everybody said that article 356 was used or misused in Arunachal Pradesh and Floor Test is the rule. But are we aware of the fact that when Floor Test was asked in Arunachal Pradesh, the Speaker physically locked the Assembly और स्पीकर ने कहा न असेम्बली का प्रिमाइसेज़ होगा, न फ्लोर टैस्ट होगा। Now, what if a Speaker himself locks the Assembly and prevents a Floor Test? Mr. Satpathy can stand up here and say that Floor Test is the rule, but there is no floor where the test can take place because the floor has

been locked. So, the rebel MLAs went in majority and had an Assembly Session outside in a new premises. Now, who in the world can say that this is not a breakdown of the Constitutional machinery? So, let us not comment on article 356 in Arunachal Pradesh -- which is not the issue today -- without realising what was happening in Arunachal Pradesh. Did the Constituent Assembly envisage that we will have Speakers who will physically lock the Assembly and say that : “I do not allow you to hold the Session and therefore there will be no Floor Test” and in the abstract, somebody will say that rule is Floor Test.

Now, as far as Uttarakhand is concerned, my young friend Ms. Sushmita, just now very eloquently said what was the material? Let us not go into the rest of the material. I will only point out three materials. On the 27th midnight, when the Council of Ministers met and decided to advise the President, let us forget other factors, you had the first material that 27 MLAs, as you said, asked for a Division. The Speaker says that : “I do not give a Division.”. Everybody can theoretically write an essay or give a speech saying ‘floor test’ should be done. But what if the Speaker refuses to have a ‘floor test’? ... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: He has the right. Will the Speaker not have the right? She has the right.

SHRI ARUN JAITLEY: Let us not create a constitutional monstrosity! The rule is a ‘floor test’, but what if the Speaker refuses to test the floor? What if the Speaker wrongly counts and wrongly tests the floor? What if the Speaker then says, “I will change the characteristic of the floor and then test it”? In such a situation, what is to be done? I will just elaborate the argument.

What was the material before the President? The first material is 27 MLAs asked for a division, but the Speaker does not give it. Thirty-six MLAs immediately write to the Governor saying, “We have voted against the Bill”. The minutes of the Assembly record that a division was asked, but the Bill was declared as ‘passed’.

Secondly, between this monstrosity that took place on the 18th where the majority fails the Budget, but the Speaker declares it passed, you have a video clipping -- and the forensic examination holding it true – of the Chief Minister indulging in horse-trading.

Thirdly, the 28th March was three days away from 1st April. The Speaker has not certified the Appropriation Bill, and the Governor has not given his assent. On the 1st of April, the State would have been plunged into a constitutional crisis where there was no Budget.

How did the Speaker on the 28th give a certificate? If you check up the record, after the 27th recommendation and the President's Rule, while criticism was being made, I wrote an article and put it on my blog saying "A State without a Budget". There cannot be a bigger constitutional crisis than this. Then, some wise people realized that they made this mistake, the Speaker has not even certified the Budget – I said in my blog that till I wrote that blog and put it on post, the Speaker has not certified the Bill because the Bill does not exist – within minutes, the Bill was signed by the Speaker on 28th और बैक डेट में, 19 की डेट डालकर गवर्नर को 28 तारीख की दोपहर को भेज दिया।

Now, the material is when President's Rule is imposed, when the majority was saying that they failed the Budget, horse-trading was going on, you have a State without a Budget, and within 72 hours it would have plunged into a constitutional crisis; the certificate of the Speaker comes much later; till today, the Governor has not given his assent. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is your allegation.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, let us talk in real terms. Article 356 is an unpopular provision. What are the basic factors? Democracy and federalism are the essence of the Indian Constitution. Democracy means 'rule by majority'. If the majority fails the Budget, can a Government continue even for a minute? The answer is 'no'. ... (*Interruptions*)

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): What about the Tenth Schedule?

SHRI ARUN JAITLEY: The MLAs may be disqualified. The answer to the 'Tenth Schedule' is the MLAs will be disqualified, and the Government has to resign because it has lost the Budget; both things have to follow. That is the answer; that is the constitutional provision.

Now, democracy is rule by majority. Let us see the dangerous consequences of the argument. Courts have no jurisdiction to review the decision of the Speaker. Supposing a Vote of Confidence is lost, let us assume, and the Speaker says, "I believe that the 'vote' is passed", it means 'majority is declared a minority' and 'minority is declared as majority'.

I will give you three or four illustrations in the Uttarakhand Case. The rule by majority is defied because a failed Budget was declared passed. The argument is, "You should have had a floor test". Well, a floor test is a 'division'.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): It was not done.

SHRI ARUN JAITLEY: The Speaker refuses to have a division; he refuses to test the floor. Today, the argument is: "Go back to the same Speaker and have another floor test." Why did the Speaker refuse to have a floor test on the 18th? It is because they did not have the majority. The questions which have to be answered is: What if the Speaker refuses to have a floor test? You can in the abstract say, "Bomma has said that floor test is the rule." But the Speaker is refusing to have a floor test.

Second is, the Speaker wrongly manipulates the floor by wrongly counting. The third situation is that the Speaker adjourns the House and then changes the character of the floor and says, "Now let us have a floor test under a new floor." In such a case, under article 212, the Courts cannot go into it. But in such a case, Prof. Saugata Roy I repeat what I told you earlier, the actions of the Speaker can constitute a break down of the constitutional machinery because the Constitution

envisages rule by a majority, not rule by a manipulated majority or a wrongly counted majority.

PROF. SAUGATA ROY: The Speaker in a democracy is always right. ...
(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: If he allows, I have no objection.

... (*Interruptions*)

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, to say, have a floor test, we are on a moral high ground. Shri Gogoi said: "We wanted a floor test." But the Speaker refused to have a floor test on the 18th. That is the answer. Then he manipulated the floor. Then he changed the nature of the floor. And then you say, "Oh, because it is being held to be a break down of the constitutional machinery, the Centre has posed a threat." My respectful submission is this. I am not going into grey areas like horse trading. This is the answer to the article 356. Let me tell you that article 356 has had a chequered history. With respect, the Supreme Court is always binding. But there are many times 30 years or 50 years later when you test the Supreme Court judgment.

Shri Satpathy raised a very important point. Today in 2016, let us test the 1977 view. The 1977 view of the Supreme Court about article 356 was that if a party has lost majority in a Lok Sabha election, it automatically means that people have expressed a No Confidence in the State Assemblies of that party. Nine State Assemblies were dissolved. Today in 2016, if you discuss the State of Rajasthan ruling of 1977, most people would agree and jurists would agree that it was probably a ruling which requires to be re-visited because the Lok Sabha election decided otherwise, it automatically means that confidence in the Assemblies is lost.

Now, I would give you the second example. Bommai's case correctly laid down the principles. But what was the application in Bommai's case? In Uttar Pradesh, a disputed structure, as a result of some action, fell down or was demolished. So, the Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal

Pradesh should also be dismissed and article 356 was upheld. बोम्मई केस का एप्लीकेशन यह था कि तीन राज्यों में, जहां कुछ नहीं हुआ, उन तीन राज्यों में आर्टिकल-356 को जस्टिफाई कर दिया गया क्योंकि एक चौथे राज्य में एक घटना हुई। आज वर्ष 2016 में अगर आप बोम्मई केस का एप्लीकेशन टेस्ट करें तो my respectful submission is that Courts have also shown tendency to be carried with the times. One of the cardinal principles of judicial independence is that Courts should never follow the ballot box. But it did not happen. The judgment of 1977 can raise questions. The Bommai judgment in its application raises questions. I have told you what has been said in those cases. Only history will test the correctness of those judgments.

But let us see how. My friend from the Left party has raised a question. Today Mr. Gogoi was saying 356 is very dangerous. The second time when it was imposed, first time in PEPSU, was against a Left Front government, against the Namboodiripad Government. You should read the correspondence between Pandit Nehru and Mrs. Indira Gandhi. One was the Prime Minister, one was the Congress President. She was pressing for it and he was distinctively uncomfortable. It is published correspondence. In Punjab, Akali Dal government was dismissed three times under 356. You were in power. And when militancy came, the militants used to give this as one of the reasons कि आपको बैलेट बॉक्स के थ्रू तो राज करने नहीं देंगे। What happened in Haryana? पूरी की पूरी सरकार लेकर चले गए थे भजनलाल जी। कश्मीर, आज आपके साथी हैं डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला, उनकी सरकार थी। उसके स्थान पर गुल मोहम्मद साहब की सरकार बना दी। उससे कश्मीर की पूरी इंस्टेबिलिटी आर्म हुई। ... (व्यवधान) एनटीआर के केस में क्या हुआ? What would any government have done in let us say Uttarakhand where the Speaker says that I am converting a majority into a minority? So, a lot can be argued. Let the courts decide.

Today I am on a limited question. Irrespective of whichever way the courts decide, whether they revive one Government or they create a new Government or they extend President's rule continues, the Appropriation Ordinance has to be made into an Act because there is a cloud on what happened on the 18th of March

and, therefore, expenditure from 1st April has to be ratified. That is a necessity and that is why we have sought that appropriation for a period of four months. That is a Constitutional necessity and I would urge my friends in the Congress Party and others also who have reservations and two views about 356, that this is a Constitutional necessity, it should really be approved.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जेटली साहब ने विस्तार से अपनी बात रखी है। वे अच्छे वकील हैं। अगर गलत केस भी है, तो उसे ठीक समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता था, आपने तो यह कहा कि फ्लोर टेस्टिंग के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी या चीफ मिनिस्टर तैयार नहीं थे, लेकिन 28 मार्च को तो तैयार थे, 31 मार्च को हाई कोर्ट ने किया था, अब 10 मार्च को कल है। इसके बावजूद भी अगर 15 घंटे के लिए आप यह बिल लाते हैं ...(व्यवधान) कल 10 मई है, मैं कल ही बोल रहा हूँ न। ...(व्यवधान) केवल 15 घंटे का सवाल है। 15 घंटे में क्या आकाश गिरने वाला है? ...(व्यवधान) 15 घंटे में क्या ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है?...(व्यवधान)

दूसरी चीज, अगर कुछ होना है, तो जो गवर्नमेंट कल इलेक्ट होती, वह पास कर लेगी, एप्रोप्रिएशन बिल भी पास कर लेगी, दूसरे अगर कुछ चेंजेज हैं तो रीएप्रोप्रिएट करके पास कर लेगी। ये सारी चीजें हैं। यह 15 घंटे में हो जाता, लेकिन आप इतनी गड़बड़ी के साथ, तेजी के साथ, तूफान आए जैसा, आप जो बिल लाए हैं, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

आप जो बजट लाए हैं, इसकी तो पार्टी हम बनने वाले नहीं हैं। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से यह पास हो जाए। आप मानते हैं, लेकिन क्या कंफ्लिक्शन है, मुझे मालूम नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि यह अनकांस्टीट्यूशनल है। यह डेमोक्रेसी का मर्डर है। ऐसी अनकांस्टीट्यूशन चीजों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) कल तक आप वेट कीजिए। ...(व्यवधान) कल तक आप डेफर कीजिए। ...(व्यवधान) कल देखेंगे। ...(व्यवधान) इसके बाद अगर ...(व्यवधान) मुझे मालूम है, वह तो नहीं करने वाले हैं। ...(व्यवधान) तो इन प्रोटेस्ट वी आर वाकिंग आउट। ...(व्यवधान)

18.45 hours

(Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members then left the House.)

HON. SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants on Account (Uttarakhand) for 2016-17 to the vote of the House.

The question is:

“That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 and 3 to 31.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Demands for Grants on Account (Uttarakhand) for 2016-17 are passed.

18.46 hours**UTTARAKHAND APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT)
BILL, 2016 Introduced ***

HON. SPEAKER: Now we will take up Item No. 17- The Uttarakhand Appropriation (Vote on Account) Bill 2016. The Minister of Finance Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand for the services of a part of the financial year 2016-17.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand for the services of a part of the financial year 2016-17.”

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section -2, dated 9 May, 2016.

** Introduced with the recommendation of the President.

18.47 hours**UTTARAKHAND APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 2016
AND
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF UTTARAKHAND
APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ORDINANCE, 2016**

HON. SPEAKER: Now we take up Item Nos. 18 and 19 together. The Minister of Finance Shri Arun Jaitley.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND
MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN
JAITLEY): I beg to move:

“That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand for the services of a part of the financial year 2016-17, be taken into consideration.”

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO (BOLANGIR): I beg to move:

“That this House disapproves of the Uttarakhand Appropriation (Vote on Account) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 2 of 2016) promulgated by the President on 31st March, 2016.”

Hon. Speaker Madam, I will not take too much time because a large discussion has happened and many points have been covered in the entire discussion. The question remains whether this Central Government has the moral authority or the Constitutional authority to bring in this Appropriation. I have discussed this with the hon. Minister separately but I think it is important that the Chair clarifies this particular issue, that is promulgation of the President's rule is supposed to be ratified by the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Is the Government constitutionally enabled to bring in an Appropriation Bill and a Budget before the President is actually got ratified? I know Shri Jaitley thinks contrary to the fact, but I have been informed that this particular move by the Government may be *ultra vires*. Since the President's rule itself has not been ratified by the Lok Sabha

and the Rajya Sabha, the Government does not have the constitutional authority or the right to bring in the Budget.

Secondly, I think we need to understand the emotions behind the use of article 356. Article 356 is not something which our Constitutional forefathers thought of. It was an article put by the British and it finds its roots in the British India's Constitution- Section 93 of the Government of India Act 1935. At that time, it allowed a Provincial Governor appointed by the British Raj in Delhi to assume powers of a provisional elected Government, a Government made by Indians, if the administration was not carried out under their Act.

The Congress which unfortunately walked out right now had 1/8th of the eleven provinces. At that time, before Independence, they protested very strongly against this. In fact, they refused, under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru to take over the government until they got an assurance from the Lieutenant-Governor that it would not be used arbitrarily. The British Viceroy Linlithgow gave an assurance that this would not be used arbitrarily, this would not be misused; and only after that the governments of the provinces were taken over. Therefore, it is absolutely surprising that the Act to which our freedom fighters, our politicians before Independence objected so strongly, had so much fear and apprehension about, was copy-pasted and put into our Constitution.

There have been 113 such instances as far as my information goes eighty-eight of which have been used by the Congress. But what is more surprising is this. I bear no allegiance to the Congress. I bear no sympathy for their cause as far as use, misuse or abuse of article 356 is concerned. But I do have an apprehension when the NDA or the BJP tries to utilise it for the simple reason that in 1998 the BJP manifesto stated: "Abuse of provisions like article 356 and misuse of Raj Bhawans as extension counters of ruling party at the Centre have defiled the sanctity of the country's Constitution."

The hon. Minister of Finance Shri Arun Jaitley on the 27th November, 2015 stated: "These days the fear of article 356 being violated repeatedly or repeatedly

being used against the States have disappeared.” Yet again, we find the same BJP using article 356. There is no doubt that the use of article 356 has led to disastrous consequences for the Indian polity, the political system, the parliamentary and legislative system as a whole, and for the country.

The hon. Finance Minister very correctly said that in the Kashmir scenario the use of article 356 led to terrorism, a condition which we still battle with. What has happened as a result of the use and misuse? The Courts have got into it. This is something which I personally find indefensible and undesirable. Since it has been used many times and has been misused many times, the SR Bommai vs. Union of India judgement came.

I think it is a shame when you as the leader of the House, as the custodian of the House have the full power, authority and confidence of the House to adjudicate on matters or disputes, the fact that our behaviour and our political parties' behaviour have led to such grey cloud surrounding the use of article 356 that the Courts have found a leeway to get into this. I think, it is a matter of shame for us. हिन्दी में एक कहावत है - अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। Forgive me, my Hindi is not very good.

A number of hon. Members have said this and I reiterate it that allowing the Courts to get in, allowing the Courts to challenge the supremacy of the Speaker is not desirable for any political party. I find it ironical when my friends from the Congress Party have objected so strongly to this matter because only yesterday or day before yesterday in Odisha they were themselves demanding President's rule. So, I bear no allegiance with them but I do repose my faith in the political democratic system.

If the Speaker is supreme, do we have a right to question the Speaker? The Government of India has in its wisdom thought of the matter which has happened in Uttarakhand as a break-down of Constitutional machinery. There is some merit in the argument. I would agree when Shri Arun Jaitley says that if the nine MLAs in Uttarakhand were to be disqualified that means, they must have gone against the

whip and voted against the Government. Therefore, they are disqualified. If they are disqualified, the Government must fall. I completely agree with him. However, the larger point is whether we can sit in judgement over the provincial speakers, over the Speakers of the Assemblies?

Madam, tomorrow, I may not agree with you on certain subject, does that give me the right to pass judgment on you? Madam, what we need to do is to re-look at the way we frame our rules. I agree some level of unfairness could possibly have happened in Uttarakhand. We need to look at the rules and see how we, as a whole – Speakers, Members of the House included, conduct our business within the House. We have to ensure that the business is conducted within the parameters of rules. If we are unable to do that, we will go on inviting High Courts and Supreme Courts to enter our space to take away our privileges and ensure that we, as a political establishment, are looked down upon by the nation.

The Government has talked many a times about cooperative federalism. Cooperative federalism should not only be shown in words but also in spirit. We, in Odisha, have raised this issue many a times and I hold strong grudge with the Government. Whenever we talk about getting our fair share of funds, one thing is said on the floor of the House, however, when it comes down to actual translation into action, that is severely limited. I do not want to go into the details of that. But I will ask the question that a day before majority was to be proved in Uttarakhand what was the need to bring this Bill today? You could have brought it tomorrow by the evening. You could have brought it the day after once the majority was tested in the Houses. What was the need to bring it today? I fail to see the logic in that. Almost one month and a half has gone from 1st of April. If one month and eighteen days have gone, what was the urgency in the matter? How would it impact the people of Uttarakhand or the Government of Uttarakhand? इस आर्डिनेस को परसो फ्लोर टेस्ट के बाद लाते।

Madam, I would not like to speak too much on the subject. Now I want to seek my last clarification ... (*Interruptions*). आपको समर्थन किया है लेकिन आर्टिकल 356 का विरोध किया है।

Madam, I think there is an opportunity for us to ensure that the rules which are in grey come into black and white so that the people of India know the rules in which the politicians have to conduct themselves and we, as a House, act responsibly. The discretionary power should be limited to the extent of what the rules allow. I would like to reiterate whether the Government has the constitutional authority to bring in an Appropriation Bill and a Budget when the President's Rule itself has not been ratified by both the Houses.

Madam, with that I rest.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, my colleague, Shri Kalikesh Singh Deo has very eloquently put his four points in opposition to the Ordinance. I will just answer each one of the four.

The first point is that under article 356 the ratification of the proclamation by both Houses of Parliament is to take place. After the Bommai judgment, you are no longer allowed to dissolve the Assembly straightaway. It can only be put in an animated suspension and the dissolution will come after both Houses of Parliament have approved it. Mr. Kalikesh Singh says that this Bill can come only after the Centre gets jurisdiction over the affairs of the State and therefore, this Bill should have come thereafter. With utmost respect to the entire industrious research that he has done, this view may not be accurate.

19.00 hours

The reason is, the consequences of a Proclamation under Article 356, whether it is for an animated suspension or a dissolution, are identical. If it is under an animated suspension, there is an eclipse over the State Assembly. Therefore, the powers of the State Assembly vest in the Centre. That is the language of Article 356. If a complete dissolution takes place, the effect is the same.

The Supreme Court only wanted to be sure that in the case of a wrongful invocation of a proclamation under Article 356, the Assembly should not be dissolved in the first instance. The Assembly should not be dissolved in the first instance because it may be difficult to revive a dead man and it may be difficult to revive a dead Assembly. But if it is an Assembly under an animated suspension, it is possible to revive it in case either the Court decides to the contrary or either of the two Houses of the Parliament refuses to ratify it. But then the constitutional effect of dissolution or animated suspension is the same. In any case, the power of the State Assembly would vest in the Central Government. The moment a Proclamation comes, the effect of the Proclamation is to keep the Assembly in suspended animation. Therefore, the power vested on the 28th March itself in the

Central Government, whether it is only a suspended animation leading to a dissolution or a suspended animation leading to a revival, that situation can disagree.

Now, irrespective of what happens tomorrow – and this is my answer to your fourth point as to why do not we wait – the expenditure which has incurred from 1st April onwards is under this Ordinance and irrespective of whatever is the result of the floor test tomorrow, that expenditure needs to be ratified. So, whether you do it today or whether you do it tomorrow, the ratification will be required even if there is a popular Government.

Shri Kharge is not here. He had raised this question and this would have been my response to his question.

Your second question is tracing out the history of Article 356 and the genesis lies in the Government of India Act, 1935.

We are not in the process of writing a column or an essay on Article 356. Because it is politically always correct not to have a Proclamation under Article 356. But there are various situations. I would invite you to give me an answer. What if a State Assembly passes a Resolution that we decide to secede from India? हम इस देश को छोड़ने के लिए प्रस्ताव पास करते हैं। Will Article 356 be justified or not justified? Then should we say that we made a fatal mistake? Obviously, in that extreme case, Article 356 would be justified. What if there is a constitutional deadlock in terms of arithmetic and nobody is able to form a Government?

An Assembly can be elected where nobody has a popular mandate. बिहार में वर्ष 1999 और वर्ष 2000 में हुआ। उसके बाद वर्ष 2005 में हुआ। So, as a result of a constitutional deadlock, you will have to have Article 356 and then go back to the people for an election.

Therefore, there may be several situations. However bad Article 356 or politically incorrect Article 356 is, Article 356 would always be required.

Your third question is, the Speaker must always be respected. You have two arguments. On one, I agree with you. I agree with your general proposition that Speaker must always be respected.

Your second argument where I agree is, that a Speaker's ruling is not challengeable in a court of law. That is the mandate of the Constitution. If we try and have a Speaker's ruling subject to judicial review, then the concept of separation of powers which is a part of the basic structure will be completely destroyed. And you are absolutely right, that an initiation to the judiciary that a Speaker's ruling is subject to your power to overrule a Speaker would be extremely dangerous for Indian democracy.

Madam, if such a situation were to happen ever, I think, we have the age-old practice that the legislators follow that Speakers ignore the summons of the court. You had a situation like this in 1963 in the Keshav Singh case where courts summoned the legislators and the legislators summoned the judges. Then the full bench of the Supreme Court had to sit to decide the issue. Therefore, the recent move by some friends in the Congress Party to invite the judiciary and tell the judiciary that you have the power to review the Speaker's rulings, augurs of dangers to India's legislatures and to the separation of powers.

I am sure such a situation would be avoided. There is some element of statesmanship, and institutions that India have and they would continue to respect that.

But I disagree on the second leg of your argument. While we respect the Speaker, I am still waiting for an answer – the Congress did not give that answer and they walked out instead of giving the answer – that democracy envisages rule by majority. If Speaker regularly says, 'I treat the minority to be a majority'. कल को वोट ऑफ नो कांफीडेंस होता है, तो वह मेजोरिटी को माइनोरिटी कर देता है और माइनोरिटी को मेजोरिटी कर देता है, यानी रिजल्ट गलत डिक्लेयर कर देता है। Will democracy be held to ransom by such a *mala fide* rulings?

You are absolutely right that the courts cannot go into it. The House has to assemble. But you had Speakers who say, 'I will lock the House and not the House to reassemble. I will change the floor. I will wrongly count the floor'. Then the question is: Is democracy remedyless? Are we without a remedy or will such actions of the Speaker constitute a break down of the constitutional machinery because the action of the Speaker is allowing a minority to sit in Government and a majority to sit in opposition?

That is the question which I had posed before them. If somebody has an answer, please tell me as to how to deal with such a Speaker. The House deals with such a Speaker but then the Speaker does not call the House. He changes the floor. He wrongly counts the numbers and creates a deadlock. I agree that article 356 has to be used in the rarest of rare cases. Some such situations can arise where the power, however much we dislike article 356, has to be considered in situations of this kind. Thank you.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: Madam I have the right to reply to the hon. Minister under the Motion. Since he has addressed specific questions I will take two minutes.

HON. SPEAKER: It is already seven o'clock. We will complete this business and then adjourn the House. So, we are extending the House to complete the business.

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : I think the hon. Minister may be a little pained by the fact that I have compared his use of article 356 with that of the British Raj. I belong to a regional party. Decades of misuse and abuse of this article had happened. So, I speak on the use of this article with that apprehension.

Hon. Finance Minister has given a few scenarios which he has posed to me. I will pose one scenario back to him. As he has suggested in his speech that one State might just vote to go away from the country, in which case it is justifiable to use article 356 to stop them. Tomorrow the country may decide to throw a State out. This is a hypothetical situation. I mean in extreme cases you can always justify extreme action. We have to look at that extreme action in the circumstances which exist today.

I agree with you and I am as much pained as you are with the courts interfering in our parliamentary system. The antidote to that is, we conduct ourselves properly. We have seen as you have stated that it has not happened in the past. Maybe, we can have, amongst the Speakers throughout the country – 30 Speakers, I think – maybe you can put this particular question, headed by you, Madam, and under your leadership, 30 Speakers of the country take a decision of something like this. If one Speaker being errant, then 30 Speakers of the country take a decision, rather than allowing the courts to intervene.

My colleague and I still tend to agree, you could have waited for two more days before tabling of the Appropriation Bill. With that, Madam, I thank you for allowing me to speak.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): As a Parliamentary Affairs Minister, I am compelled to say this. My friends always make some charges, then, use some slogans and go away. They have got every right. But using slogans and accusing, I would just quote a thing. They were preaching us about how sacrosanct the Speaker's ruling is, how the Speaker has to be respected, etc. A senior Congress leader, Shri Jairam Ramesh has moved the Supreme Court, challenging the decision to treat Aadhar Bill as a money Bill which was passed during the Budget Session in March, 2016. इन्होंने 91 स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमस किया। 'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली', ऐसा इनका व्यवहार है।

HON. SPEAKER: Shri Kalikesh Singh Deo, are you withdrawing your Statutory Resolution?

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO: No, Madam.

HON. SPEAKER: Okay. I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri Kalikesh N. Singh Deo to the vote of the House.

The question is:

“That this House disapproves of the Uttarakhand Appropriation (Vote on Account) Ordinance, 2016 (Ordinance No. 2 of 2016) promulgated by the President on 31st March, 2016”.

The motion was negatived.

HON. SPEAKER: The question:

“That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttarakhand for the services of a part of the financial year 2016-17, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 4 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI ARUN JAITLEY: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

19.13 hours

**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
31st Report**

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to present the Thirty-first Report of the Business Advisory Committee.

19.14 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 10, 2016/Vaisakha 20, 1938 (Saka).
